




विषय सूची

CONTENTS

103वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना	2	Notice of 103 rd Annual General Meeting	2
निगमित रूपरेखा	3	Corporate Profile	3
कम्पनी के निदेशक	4	Your Directors	4
निदेशक मण्डल	5	Board of Directors	5
क्षेत्रीय प्रभारी	8	Regional Incharges	8
अध्यक्ष का अभिभाषण	12	Chairman's Communique	13
सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	24	Report of the Board of Directors to the Members	25
मण्डल व समिति की बैठकें-अनुलग्नक - I से V	70	Board & Committee Meetings - Annexure-I to V	71
व्यक्ति आधारित बीमा विवरण-अनुलग्नक - VI	76	Personal Line Insurance details - Annexure-VI	77
प्रबन्धन रिपोर्ट	84	Management Report	85
सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	88	Statutory Auditors' Report	89
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	92	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	93
अग्नि आय लेखा	94	Fire Revenue Account	94
समुद्री आय लेखा	96	Marine Revenue Account	96
विविध आय लेखा	98	Miscellaneous Revenue Account	98
लाभ व हानि लेखा	100	Profit & Loss Account	100
तुलन पत्र	102	Balance Sheet	102
नकदी प्रवाह का विवरण	104	Cash Flow Statement	104
विभक्त रिपोर्ट	107	Segmental Report	107
वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ	112	Schedules forming part of Financial Statements	112
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	134	Significant Accounting Policies	135
तुलनपत्र के मुख्य अंश तथा कम्पनी के साधारण बीमा व्यवसाय का संक्षेप	170	Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile	171



बुधवार 28 जुलाई, 2010 को 3, मिडिलटन स्ट्रीट कोलकाता-700 071 में सम्पन्न 103वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के सदस्यों के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 103वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मण्डल, प्रबंधन एवं नेशनल के कर्मचारियों की ओर से आप सदस्यों का स्वागत करते हुए तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

व्यापक आर्थिक वातावरण:-

पिछले वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापक अनिश्चिता एवं उथल पुथल का माहौल रहा। वित्तीय वर्ष 2009-10 में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि 7.2% दर्ज की गई जो पिछले वर्ष 6.7% थी। वित्तीय विघटन के परिणामस्वरूप, जिसने मूलरूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, वर्ष 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में निश्चितरूप से गिरावट आयी। केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने वित्तीय एवं मौद्रिक क्षेत्र में सही समय पर हस्तक्षेप कर इसमें सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये। मानसून की अस्थिरता के कारण कृषि उत्पादन में 0.2% की कमी होने के बावजूद वर्ष 2009-10 की द्वितीय तिमाही में हुए व्यापक परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्र एवं सकल निर्धारित पूंजी निर्माण की वृद्धि दर में सुधार हुआ जिसमें वर्ष 2008-09 के दौरान हास हुआ था।


वर्ष 2009-10 के दौरान प्राथमिक एवं निर्माण उत्पाद, ईंधन एवं विद्युत समूह में स्फीति के साथ साथ खाद्य स्फीति का दो अंकों में पहुँचना एक प्रमुख बिन्दु था। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर एवं उपभोग, जो सामान्यरूप से जन कल्याण के मापक हैं, में भी पिछले दो वर्षों में गिरावट आयी।

विश्व अर्थव्यवस्था जो मुख्यतया एशियाई अर्थव्यवस्था, विशेषरूप से चीन एवं भारत द्वारा संचालित होती है में वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यापक वृद्धि के लक्षण दिखाई दिये। वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत एवं विदेशी तथा संस्थानिक निवेशकों के वापस लौटने के परिणामस्वरूप रुपया यूएस डालर के मुकाबले मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा वित्तीय प्रसार को नीति के रूप में लेने के परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 में विश्व अर्थव्यवस्था में हो रही गिरावट का प्रभाव वर्ष 2009-10 तक जारी रहा। वर्तमान अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र, जो एक दशक से अधिक समय से भारत का प्रमुख क्षेत्र रहा है, में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 8.7% की दर से वृद्धि होना प्रारंभ हुई जो पिछले वित्तीय वर्ष में 9.8% थी।

निर्धारित वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों के प्रभाव के कारण अनुमानित वृद्धि दर 3% होने की संभावना है जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा बढी है। वर्ष 2009-10 में विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था का निष्पादन, जिसमें पिछले दो वर्षों का निष्पादन भी सम्मिलित है, मध्यम गति से विकास की संभावना का संकेत देता है तथा दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था के सकारात्मक अनुमान की पुष्टि करता है।

भारतीय साधारण बीमा व्यवसाय परिदृश्य:

सम्पूर्ण विश्व के चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण में भारतीय बीमा उद्योग में व्यापक परिवर्तन हुए। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में साधारण बीमा क्षेत्र की इक्कीस बीमा कम्पनियां कार्य कर रही थीं। साधारण बीमा उद्योग ने आटो सेल्स एवं रिटेल स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में वर्ष 2009-10 के दौरान



Chairman's Communiqué to the Members of National Insurance Company Limited at the 103rd Annual General Meeting held on Wednesday, 28th July 2010 at 3 Middleton Street, Kolkata 700 071

On behalf of the Board of Directors, Management and staff of National Insurance Company Limited, it gives me great pleasure to welcome you to the 103rd Annual General Meeting of the Company and to present the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31st March, 2010.

Macro-Economic Environment

In the past year the global economy witnessed a high degree of uncertainty and volatility. The fiscal 2009-10 registered a GDP growth of 7.2% as compared to growth of 6.7% in the previous year. The aftermath of financial meltdown which primarily affected the Industrialized Economies, has no doubt slowed down the buoyancy in the Growth rate of Indian Economy during 2008-09. Thanks to the timely Fiscal and Monetary Interventions of the Union Government and the Reserve Bank of India, Liquidity concerns have been suitably addressed and necessary corrective measures have been carried out. Despite decline of 0.2% in agricultural output due to sub-normal monsoon, the real turn around came in the second quarter of 2009-10 following renewed momentum in manufacturing sector and recovery in the growth rate of gross fixed capital formation which had declined in 2008-09.

A major concern during the year 2009-10 was the emergence of double digit food inflation coupled with inflation in primary and manufactured products, fuel and power group. The growth rates in per capita income and consumption which are gross measures of welfare in general had also declined in last two years.

The global economy led by Asian economies especially China and India had shown signs of robust growth in fiscal 2009-10. With the signs of recovery and return of Foreign Institutional Investors' (FIIs) flows in the fiscal, the rupee has strengthened against the US dollar. The fiscal expansion undertaken by the Government as a part of the policy response to counter the impact of global economic slowdown in 2008-09 continued in 2009-10, with further sector-specific reinforcement including health and rural development. Under the prevailing buoyant economy, the service sector which has been India's workhorse for over a decade continued to grow rapidly at a rate of 8.7% during the fiscal 2009-10 as against 9.8% in the previous year.

The global economy is expected to experience gradual recovery in 2010, when growth is estimated at 3% as the impact of expansionary fiscal and monetary policies set in. The performance of the Country's economy in 2009-10, which combined with an analysis of performance over the last couple of years hints at medium term growth prospects and lends to optimistic prognosis for the economy in the medium to long run.

Indian General Insurance Business Scenario

The insurance industry in India has changed rapidly in the challenging economic environment throughout the world. During the year 2009-10 there were twenty one non-life insurance Companies operating in India. The non-life insurance industry riding on recovery in auto sales and retail health segments recorded 13.4% growth in gross premium

सकल प्रीमियम में 13.4% की वृद्धि दर्ज की जो पिछले वर्ष 9% थी। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सकल प्रीमियम रु.34,627 करोड़ अर्जित किया गया जो वर्ष 2008-09 में 30,601 करोड़ था। वर्ष 2009-10 के अंतिम छः महीनों में सम्पत्ति बीमा की प्रीमियम दर में 15-20% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में समूह मेडिकलेम की दरों में 20-30% की वृद्धि हुई थी।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय ने भारत को समस्त स्टेक होल्डर्स, जैसे बीमाकर्ता, आईआरडीए, हेल्थकेयर प्रोवाइडर एवं अन्य संगठनों जो हेल्थकेयर की बढ़ती लागत के कारण इकोसिस्टम से जुड़े हैं, में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय कुल जीडीपीआई का 15% है। यह घटक पिछले दो वर्षों से 30% की वृद्धि दर्ज कर रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार ने विभिन्न बीमा कम्पनियों के सहयोग से असुरक्षित समूहों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाया है। वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के लिए उत्पाद की उपलब्धता ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को काफी लोकप्रिय बनाया है।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साधारण बीमा की सूची में इसका 136वाँ स्थान है। साधारण बीमा का लाइफ घटक से सम्बन्धित व्यवसाय पर पकड़ केवल 0.6% है। भारत में बीमा उद्योग के व्यवसाय में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। भारतीय साधारण बीमा कम्पनियां अपने नये उत्पादों के द्वारा अपने व्यवसाय का प्रसार, विस्तृत वितरण चैनल, प्रभावी प्रचार, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार बीमा सम्बन्धी जानकारियां प्रदान करना एवं ग्रामीण क्षेत्र पर बढ़ती पकड़ के कारण अत्यधिक प्रतियोगी हो गई हैं।

वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन:

पिछला वित्तीय वर्ष परिवर्तन का वर्ष रहा। वित्तीय वर्ष 2009-10 में हमारी कम्पनी का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम रु.4645.97 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु.4295.85 करोड़ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रीमियम आय में उल्लेखनीय 8.15% की वृद्धि हुई। कम्पनी ने वर्ष 2009-10 में कर पूर्व लाभ रु.268.59 करोड़ अर्जित किया। शुद्ध अर्जित प्रीमियम पर कुल उपगत दावा घटकर 85.05% हो गया जो पिछले वित्तीय वर्ष 2008-09 में 99.16% था तथा कुल प्रतिधारण वर्ष 2009-10 में 85.62% रहा जो पिछले वर्ष 2008-09

में 85.05% था। इस प्रकार कुल प्रतिधारण क्षमता में आंशिक वृद्धि हुई। अग्नि एवं मरीन पोर्टफोलियो में क्रमशः रु.116.46 व रु.71.01 करोड़ का आधिक्य रहा जबकि विविध बीमा के अंडरराइटिंग पोर्टफोलियो में हानि बरकरार रही जो 2009-10 में घटकर 66.57 करोड़ हो गई जबकि पिछले वर्ष यह हानि 394.98 करोड़ थी।

31 मार्च, 2010 तक भारत में कुल निवेश रु.6365.40 करोड़ रहा जबकि मार्च 2009 तक यह निवेश 5754.34 करोड़ ही था। निवेश आय जो पिछले वर्ष रु.1039.62 करोड़ थी से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 1348.43 करोड़ हो गई।

शोधन क्षमता: कम्पनी की शोधन क्षमता (साल्वेंसी मार्जिन) पिछले वर्ष 1.56 थी जो 31 मार्च, 2010 को 1.60 हो गई।

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को वर्ष भर के लिए एएए/स्टेबल रेटिंग दी गई है जिससे पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वोच्च वित्तीय समर्थता प्रदर्शित होती है।

पुनर्बीमा:

वर्ष 2009 के नवीकरण काल में सामान्यतया दरों में शिथिलता आयी है जो कि वृहतरूप से उत्तरी अमेरिका में हल्के तूफानी मौसम के प्रभाव से विश्व पुनर्बीमा उद्योग को लाभकारी वर्ष के अनुभव के कारण संभव हुआ है। हालांकि सुदूरपूर्व एशिया में तूफानी गतिविधियां प्रचंडता एवं आवृत्ति में तीव्र रहीं। हाल के वर्षों में वर्ष 2009 की तृतीय तिमाही सुदूर पूर्व के लिए आँधी का मौसम रहा जिसके अन्तर्गत जापान, फिलीपीन्स, चीन, ताइवान एवं हांगकांग की घटनाएं सम्मिलित हैं। इसने मिडिल ईस्ट एवं फार ईस्ट एशिया में कार्यरत, अधिकतर पुनर्बीमाकर्ताओं के लाभ को प्रभावित किया, जिनमें से अधिकतर भारतीय बाजार से सम्बद्ध थे। अधिकतर पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए मूल्य अपर्याप्तता के प्रमुख क्षेत्र बने रहे। उच्च संख्या में हानियां एवं एअर क्राफ्ट की अरक्षितता के कारण एविएशन की दरों में प्रचुर वृद्धि आयी। तथापि नवीकरण का समय यह दर्शाता है कि पुनर्बीमा उद्योग ने मान्य दरों पर समुचित क्षमता प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का पूरा

collected during the fiscal 2009-10 as against 9% growth in the previous year. The industry collected gross premium of Rs.34,627 crore in 2009-10 compared to Rs.30,601 crore in 2008-09. Premium rate on property insurance went up by 15-20% during the last six months of 2009-10. Similarly, in the last financial year group mediclaim rates witnessed an increase of 20-30 per cent.

The Health Insurance business in India has witnessed increased focus from all stake holders viz. Insurers, IRDA, healthcare providers and other entities associated with ecosystem due to rising cost of healthcare. Health contributes about 15% of GDPI. This segment has been growing at roughly 30% over the past two years. The Central and State Governments have recently initiated large scale health insurance programme in association with insurance companies to protect the vulnerable groups. Availability of products for senior citizen and children helped in popularising health insurance among the masses.

Though India is the second most populous country in the world, it ranks 136th in the list of "General Insurance", having penetration of only 0.6 % as against 4% in "Life" segment. India with its huge middleclass households, has exhibited growth potential for insurance industry. Indian non-life insurance companies have become competitive in nature having large opportunity to expand and augment its business potential through higher focus towards developing new products, wider distribution channels, effective publicity, education of the customers on the needs of insurance and tapping of rural market.

Financial & Operational Performances

The past fiscal was a year of turn around. During the Financial Year 2009-10, Global Gross Direct Premium of our Company was Rs.4645.97 crore as against Rs.4295.85 crore. in the previous year thereby, recording an overall increase of 8.15% of

premium income. The Company earned a Net Profit of Rs.268.59 crore Before Tax in 2009-10. Overall Net Incurred Claim on Net Earned Premium had gone down to 85.05% in the last fiscal from 99.16% in 2008-09 with marginal increase in Net retention from 85.05% in 2008-09 to 85.62% in 2009-10. Fire and Marine portfolios have resulted in a surplus of Rs.116.46 crore and Rs.71.01 crore respectively. Underwriting performance of Miscellaneous portfolio though continued to show losses, the same was reduced to Rs.66.57 crore in 2009-10 as against Rs.394.98 crore in the previous year.

The total Investment in India stands at Rs.6365.40 crore as on 31st March,2010 as against Rs.5754.34 crore as on 31st March,2009. Investment Income (inclusive of Profit on sale /redemption) has increased to Rs.1348.43 crore in 2009-10 from Rs.1039.62 crore in the previous year.

Solvency Margin: The Solvency Margin of the Company was 1.60 as on 31st March,2010 as against 1.56 in the previous year.

The Company continued to enjoy "AAA/STABLE" rating by CRISIL, which indicates the highest financial strength of the Company to meet the obligation of policy holders at any point of time.

Reinsurance

The year 2009 renewal season witnessed an overall softening of rates, largely driven by the profitable year the global reinsurance industry has seen on account of benign Hurricane season in North America. However, the typhoon activity in Far East Asia was high both by severity and frequency. The third Quarter of 2009 witnessed one of the most active windstorm season in the Far East in recent years with incidents in Japan, Philippines, China, Taiwan and Hong Kong. This has impacted the profitability of most reinsurers operating in Middle East and Far East Asia with majority of them having commitments in Indian Market. The main area of

प्रबंध किया। लायड्स की क्षमता में वर्ष 2009 में वृद्धि हुई जिसका वर्तमान अनुमानित आँकड़ा ₹22.8 बिलियन है।

आनुपातिक ट्रीटी कार्यक्रम को वार्तालाप के पश्चात एक्सपायरिंग कामर्शियल टर्म पर ही नवीकरण किया गया। अतिरिक्त सकल क्षमता उत्पन्न करने एवं फैंकल्टेटिव पुनर्बीमा पर निर्भरता कम करने के लिए 100 करोड़ पीएमएल की द्वितीय सरप्लस प्रापर्टी ट्रीटी प्रारंभ की गई। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रही उन्नति में पहुँच बनाने के लिए इंजीनियरिंग ट्रीटी की क्षमता भी 40 करोड़ पीएमएल से बढ़ाकर 100 करोड़ पीएमएल कर दी गई। हल एवं कार्गो की स्वतः क्षमता को बढ़ाने एवं अपेक्षाकृत छोटे आकार एवं बाजार पर निर्भर हल पोर्टफोलियो को बनाये रखने के लिए मरीन ट्रीटीज को भी मिला दिया गया। एक्सपोजर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 50 करोड़ का प्रापर्टी रिस्क एक्सेस आफ लास प्रोग्राम एवं 50 करोड़ का कटास्ट्रोफ एक्सएलओ जैसे अतिरिक्त कवर खरीदे गये। वर्ष के दौरान ओवरसीज मार्केट से प्रतियोगी पुनर्बीमा दरों एवं शर्तों को प्राप्त करने के कारण हम कुछ बड़े ग्राहकों को फिर से पाने एवं नये वृहत ग्राहकों को अपने से जोड़ने में सफल रहे। हम अपने विदेशी इन बड़े पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने में सफल रहे जिसके कारण हमारे शुद्ध प्रीमियम आय में वृद्धि हुई।

समुचित पुनर्बीमा सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप हमारा शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम वर्ष 2009-10 में 85.62% हो गया जो वर्ष 2008-09 में 85.05% था।

स्ट्रेटेजिक एलॉएंस (रणनीतिक गठबंधन):

17% की दर से बढ़ रहे बैंकाशोरेन्स व्यवसाय ने वर्ष 2009-10 में ₹.231.78 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय किया है। पाँच महत्वपूर्ण बैंकों के अलावा, जिनका बैंकाशोरेन्स व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान रहा, कम्पनी ने वर्ष के दौरान पाँच अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/कोऑपरेटिव बैंक के साथ टाई-अप किया है। 31 मार्च, 2010 तक कम्पनी ने कुल 39 बैंकों के साथ टाई-अप किया।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दो महत्वपूर्ण

वाहन निर्माता कम्पनियों होण्डा सील एवं टाटा मोटर्स के साथ भी टाई-अप किया।

स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन :

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में ₹.1079 करोड़ के व्यावसायिक आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए 108.53% के उपगत दावा अनुपात के साथ जो वर्ष 2008-09 में कुल अर्जित प्रीमियम का 111.27% था, 20% की वृद्धि दर्ज की। व्यवसाय में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2009-10 में स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो की प्रचालन हानि में कमी आयी। इस क्षेत्र में कम्पनी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं: आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्थ सेल की स्थापना की गई है जहाँ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ₹.40 करोड़ या उससे अधिक है। बीमा लेखन एवं व्यवसाय प्रयास को सहयोग प्रदान करने के लिए हेल्थ सेल के कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण, टीपीए के निष्पादन की समीक्षा एवं साधारण बीमा की अन्य कम्पनियों के साथ तालमेल इस आशय से किया गया कि समूह एवं टेलरमेड स्वास्थ्य पालिसियां, जिनका प्रीमियम ₹.1 करोड़ से अधिक है, के दावा सम्बन्धी आँकड़ों तथा समूह पालिसियों के लिए उचित दर निर्धारित की जा सके। आपकी कम्पनी पहले से ही पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाएं प्रदान कर रही है। इस वर्ष हमें बिहार के पाँच जिलों, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का शासनादेश प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2009-10 के दौरान 12,98,492 स्वास्थ्य पालिसियों के अन्तर्गत 1,65,81,733 व्यक्तियों को आवरण प्रदान किया गया।

अनुसंधान एवं विकास:

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के अन्तर्गत आपकी कम्पनी ने स्टैंडर्ड फायर एवं स्पेशल पेरिल पालिसी में एड आन का अतिरिक्त आवरण देते हुए इसके क्षेत्र को बढ़ाया है। प्राइवेट कार एवं दुपहिया वाहन के बीमाधारकों को हुई आंशिक हानि



pricing inadequacy for most reinsurers continued to be in Property, Energy and Aviation. Aviation rates hardened considerably due to high number of losses and increase in aircraft exposures. However, the renewal season demonstrated that the reinsurance industry has managed to clear the hurdle of providing sufficient capacity at acceptable prices. Lloyd's overall capacity increased in 2009 and the currently estimated figure is £22.8 billion.

The proportional treaty programme was renewed and placed on expiring commercial terms after negotiations. A second surplus property treaty was floated with a limit of Rs.100 crore PML in order to generate additional gross capacity and reduce dependence on facultative reinsurance. The Engineering treaty capacity was also increased from Rs.40 crore PML to Rs.100 crore PML to enable us to tap the infrastructure growth in the Country. The marine treaties were merged to increase automatic capacity both for Hull and Cargo and to sustain the Hull portfolio which is relatively small and market dependent. To factor in growth in exposures additional limit of Rs.50 crore in Property Risk Excess of loss programme and Rs.50 crore in Catastrophe XOL Cover were purchased. During the year we were able to win back some of the major accounts and also secure new mega/ large accounts by being able to obtain competitive facultative RI rates and terms from the overseas market. We have also been able to enlarge our Foreign inward portfolio and thereby augment our net premium income.

Consequent to arrangement of suitable reinsurance protection, net retained premium has increased from 85.05% in 2008-09 to 85.62% in 2009-10.

Strategic Alliances

The Bancassurance Business growing at a rate of 17% has generated a premium of Rs.231.78 crore during 2009-10. Apart from 5 major banks which contributed to the most of the Bancassurance

Business, the Company had tied up with 5 more Regional Rural Banks/ Co-operative banks during the year. The total number of banks tied -up with the Company upto 31st March, 2010 is 39.

The Company has tied up with Honda Siel and Tata Motors, two major automobile manufacturers during the Financial Year 2009-10.

Health Insurance Management

Your Company has grown at a rate of 20% in Health Insurance during 2009-10 to achieve a business figure of Rs.1079 crore with ICR of 108.53% as against 111.27% during 2008-09 on Net Earned Premium. Despite growth in business, operating loss in health portfolio has decreased in 2009-10. Among various initiatives taken by the Company, Dedicated Health Cells were set up in 8 Regional Offices where Health Insurance premium is Rs.40 crore or above to support and strengthen the underwriting and business efforts, specialized training for identified officials manning health cells, review of performance of TPAs and coordination with non-life PSU Companies were carried out to share claims experience data in respect of group and tailor-made health policies exceeding Rs.1 crore premium for proper rating of group policies. Your Company is already servicing RSBY in the States of West Bengal, Punjab and Union Territory of Chandigarh. During the year we got mandate for implementation of RSBY in 5 Districts in Bihar, Mizoram, Tripura, Assam Haryana and Maharashtra.

Total number of 12,98,492 health policies were issued covering 1,65,81,733 persons during 2009-10.

Research & Development

As a part of continuous R & D activities, your Company has expanded the scope of Standard Fire and Special Peril policy by including a bouquet of "add ons" additional coverages. With the intent to



या वाहन की क्षति से पूरी तरह से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मूल्यहास का अधित्याग करने के लिए एड आन कवर, नियामक के समक्ष दाखिल किया गया है। डीलर्स एवं एसएमईज के लिए पैकेज पालिसियां विकसित की गई हैं जो परीक्षाधीन हैं।

प्रचार:

चार दशक के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 कम्पनी के लोगो की डिजाइन में परिवर्तन के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व के लोगो को कम्पनी के उत्पाद की पहचान के रूप में अपनाया गया था। कम्पनी की पारदर्शी एवं ब्रांड पहचान को बनाये रखने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया को लागू किया गया। कम्पनी ने अपने संदेश एवं प्रचार को पूरे भारत में प्रचारित करने के लिए प्रचार एवं विज्ञापन के परिवर्तित एवं समसामयिक संसाधनों को अपनाया है। सरकार के सहयोग से चलाई जा रही पालिसियां जैसे यूएचआईएस (UHIS), एवं आरएसबीवाई (RSBY) को प्रचारित किये जाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आपकी कम्पनी ने कुछ संगठनों जैसे हेलेन केलर अन्ध विद्यालय, अक्षम बच्चों के लिए प्रतिबंधी कल्याण स्कूल, मूलभूत सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए चलाये जा रहे प्रसायन एनजीओ, शंकर इंस्टीट्यूटफार फिलासफी एवं कल्चर को अनुदान प्रदान किया गया।

बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी :

वर्ष 2009-10 ने इंटरप्राइज आर्किटेक्चर सोल्यूशन के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना आईटी समर्थ रिइंजीनियर्ड बिजनेस प्रासेस को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न एप्लीकेशन्स जैसे कोर इन्श्योरेंस, पोर्टल, मास्टर डाटा मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं डाटा वेयर हाउस एप्लीकेशन के साथ साथ एक्सटेंसिव सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी का आयोजन किया गया। एसआरएस पर आधारित एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन सिस्टम इंटीग्रेटर एचसीएल (टेक्नालाजीज) प्रा.लि. द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया जा रहा है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के संचालन के लिए हमारे

बीपीआर कन्सल्टेंट प्राइस वारहाउस कूपर्स का सहयोग लिया जा रहा है। यूएटी से विशेष प्रकार के टूल्स प्राप्त किये जा रहे हैं जिसके लिए आरएफपी की जा चुकी है। पिछले डाटा को पुराने सिस्टम से इएसआई एप्लीकेशन पर ले जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न मानकों पर आधारित एचआर डाटा कर्मचारियों से एकत्र कर लिए गये हैं। केन्द्रीयकृत पे-रोल एप्लीकेशन के लिए पैरलल रन प्रारंभ हो गया है। वित्तीय एप्लीकेशन के केन्द्रीयकृत मानक के रूप में, फंड को प्रभावशाली ढंग से मानिटर एवं नियंत्रित करने के लिए, सीएमएस पार्टनर की पहचान हेतु प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इएसआई रोल आउट के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। उल्टाडांगा में वीएसएनएल के साइट पर प्राइमरी डाटा तैयार किया गया है तथा इंटरनेट, एमपीएलएस कनेक्टिविटी तैयार की गई है। सर्वर टेस्ट के लिए तैयार किये जा रहे हैं। सुरक्षा, मेल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर पीडीसी से पहले से ही चल रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी सेंटर, बंगलोर में हार्डवेयर की आपूर्ति एवं स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 7 ओडी मोटर हब बनाये गये हैं जिनमें जेनेसिस के प्रयोग को इएसआई क्लेम हब में, ईजी के आरंभ होते ही, परिवर्तित किया जायेगा। दूसरा प्रमुख कार्य भारतीय डाकघर, कोलकाता से प्रिंट-टू-पोस्ट सोल्यूशन टाई-अप किया गया जिसके अन्तर्गत नवीकरण नोटिस की प्रिंटिंग, इन्वेलपिंग एवं पोस्टिंग सम्मिलित है।

मानव संसाधन विकास

हम प्रत्येक स्तर से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार अपने मानव संसाधनों के विकास का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष का प्रारंभ वर्ष 2006-07 के स्पेशल एचीवर्स के लिए एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लागू किये जाने के साथ हुआ। 9 सुपर एचीवर्स (मंडल/शाखा प्रमुख) का पहला बैच शैक्षणिक भ्रमण पर सिंगापुर गया। उक्त के अतिरिक्त आपकी कम्पनी ने अधिकारियों को एनआईए, पुणे, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद, स्टेट बैंक ऑफ, इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, आईआईएम, शिलांग, सीआईआई, नौराजी, गोदरेज सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स, मुम्बई, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बंगलोर तथा अन्य सम्मानित संस्थाओं में प्रशिक्षण एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने हेतु नामित किया गया।



offer fuller financial coverage to the insureds of private cars and two wheelers in the event of partial loss or damage to the vehicles, add on cover for waiver of depreciation has been filed with the Regulator. Package policies for dealers and SMEs have been developed and are on the anvil.

Publicity

The Financial Year 2009-10 started with the change in Logo design after four decades the earlier one was adopted as a part of re-branding of Company's product identity. A strict standardization exercise was introduced for creating and maintaining a clear and consistent visual brand identity for the Company. The Company also launched innovative and contemporary methods of Publicity and Advertising to disseminate its message and advertise its products pan India. Special emphasis was given to wider publicity of Government supported policies such as UHIS and the RSBY. With an objective to fulfill Corporate Social Responsibilities, your Company had sponsored events put up by organizations such as Hellen Keller Blind School, Pratibandhi Kalyan Kendra School for Challenged Children, Prasayam NGO for under Privileged children, Sankara Institute for Philosophy and Culture among others.

Business Process Re-engineering and Information Technology

The year 2009-10 paved the way for launching of the ambitious IT enabled Re-engineered Business Process through Enterprise Architecture Solution for Insurance (EASI). Extensive System Requirement Study has been conducted for several applications simultaneously, which include Core Insurance, Portal, Master Data Management, Document Management System, Identity Management, Financial Application, Customer Relationship Management, Human Resource Management and Data Warehouse Application. Based on SRS, an integrated solution is being

designed and developed by the system integrator, viz. HCL(Technologies) Pvt. Ltd. We are obtaining the assistance of our BPR consultant, viz. PricewaterhouseCoopers for conducting the User Acceptance Test. Specialized tools are being procured for UAT for which the RFP has been floated. The process of migrating the past data from the legacy system to EASI application has commenced. HR data on various parameters have been collected from all employees. Parallel run for centralized payroll application has commenced. As a part of centralization of Financial application, with a view to control and monitor funds more effectively, the process of identifying a CMS partner has commenced. Infrastructure is being set up for implementation of EASI rollout. Primary Data Center at VSNL site at Ultadanga, Kolkata has been readied, Internet, MPLS connectivity have been set up. Servers are being readied for test and development. Security, Mail and Infrastructure Management servers are already running from PDC. At the Disaster Recovery Center in Bangalore, hardware delivery and installation have been completed. Seven motor OD claims hubs have been created at different RO centers covering city based offices using legacy GENISYS system which will be converted into EASI claims hubs when EASI is rolled out. Another initiative is a Print to Post Solution tie up with GPO, Kolkata for printing, enveloping and posting of renewal notices.

Human Resource Development

We are continually endeavoring to develop our Human Resources for achievement of the best results at all levels. The year started with implementation of the Advanced Management Programme for Special Achievers 2006-07. The first batch comprising a team of 9 super achievers (DO/BO Heads) were sent to Singapore on an educative tour. Apart from the above your Company nominated officers to NIA, Pune, CBI Academy, Ghaziabad, State Bank of India Staff Training College, IIM



आपकी कम्पनी का दृष्टिकोण वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक व्यवसाय की संभावनाओं के प्रति आशावादी है तथा आने वाले वित्तीय वर्ष में हम बेहतर परिणाम के माध्यम से नई ऊँचाइयों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे।

कम्पनी में अपना विश्वास बनाये रखने के लिए मैं अपने ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्ष के दौरान कम्पनी के प्रबंधन एवं स्टाफ द्वारा समर्पित भाव से कम्पनी को दी गई सेवाओं के लिए बधाई देता हूँ। मैं कम्पनी के सम्मानित निदेशक मण्डल, कार्यालय के समस्त साथियों, आईआरडीए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को कम्पनी

की वृद्धि एवं विकास के लिए उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझाव, दिशानिर्देश एवं निर्बाध सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपने अभिकर्ताओं, ब्रोकर्स एवं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कम्पनी के प्रति अपनी बचनबद्धता निभाते हुए अपना सहयोग दिया। हम अपनी परंपरा पर आधारित सम्मान एवं आपसी सौहार्द का ऐसा संस्कार पैदा करना चाहते हैं जिसमें हमारे कर्मचारी, ग्राहक एवं स्टेकहोल्डर्स नेशनल इन्श्योरेन्स की आकांक्षाओं से परिचित हो सकें तथा सभी सम्बन्धितों के लाभ के लिए कम्पनी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सके।

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक






Shillong, CII Naoroji Godrej Centre of excellence, Mumbai, Institute of Public Administration, Bangalore among other institutes of repute for training and cultivation of strategic thinking.

Your Company is optimistic in their outlook about the vast potential within the given economic set up and will endeavour to scale new heights by way of better results in the fiscal we have already stepped into.


I would thank our valued Customers for their continued confidence in the Company. I also congratulate and thank the Management and Staff of my Company for their dedicated service during the year. I express my sincere thanks to my

esteemed Directors on the Board of the Company, my Colleagues at all our offices, Insurance Regulatory and Development Authority, Ministry of Finance, Government of India, Comptroller and Auditor General of India and the Statutory Auditors for their crucial advice and guidance for the growth and development of the Company. I would like to take this opportunity to express my thanks to our Agents, Brokers and all our partners for their commitment and support to our Company. Based on our tradition, we cultivate a culture of respect and mutuality in which our Employees, Customers and Stakeholders closely identify with the aspirations of "National Insurance"- your Company and strive to emerge as winner for the benefit of all concerned.

(N. S. R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director



Profit Before Tax (PBT) & Profit After Tax (PAT)*




*Excluding tax adjustment for earlier years.


■ PBT ■ PAT

Rs. in Cr.

PREMIUM DISTRIBUTION



CLAIM DISTRIBUTION



सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्द्वारा अपना 103वाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए खुशी है :

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2010 तक वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ में)

विवरण		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल	
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय- भारत में	CY	426.52	238.97	3959.68	4625.17	
	PY	393.59	200.78	3685.53	4279.90	
	(% वृद्धि)	CY	8.37	19.02	7.44	8.07
	PY	3.38	14.74	6.78	6.80	
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय- भारत के बाहर	CY	6.48	3.78	10.54	20.80	
	PY	5.61	3.31	7.03	15.95	
	(% वृद्धि)	CY	15.51	14.20	49.93	30.41
	PY	3.89	18.21	7.49	8.21	
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय- कुल	CY	433.00	242.75	3970.22	4645.97	
	PY	399.20	204.09	3692.56	4295.85	
	(% वृद्धि)	CY	8.47	18.94	7.52	8.15
	PY	3.39	14.80	6.78	6.81	
स्वीकृत रि-इंश्योरेंस प्रीमियम	भारत में	CY	81.11	11.04	443.22	535.37
		PY	43.62	12.30	385.52	441.44
	भारत के बाहर	CY	0.05	0	0.02	0.07
		PY	0.14	0	-0.14	0
	कुल	CY	81.16	11.04	443.24	535.44
		PY	43.76	12.30	385.38	441.44
अर्पित रि-इंश्योरेंस प्रीमियम	भारत में	CY	133.44	120.74	943.73	1197.91
		PY	108.50	89.28	879.96	1077.74
	भारत के बाहर	CY	3.91	0	1.94	5.85
		PY	4.57	0	1.35	5.92
	कुल	CY	137.35	120.74	945.67	1203.76
		PY	113.07	89.28	881.31	1083.66
शुद्ध प्रीमियम	भारत में	CY	374.19	129.27	3459.17	3962.63
		PY	328.71	123.80	3191.09	3643.60
	(% वृद्धि)	CY	13.84	4.42	8.40	8.76
	PY	28.74	7.63	17.93	18.44	
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	87.73	54.09	87.36	85.68
		PY	83.52	61.66	86.58	85.13

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

Your Directors take pleasure in submitting their 103rd Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2010 :

FINANCIAL RESULTS

SUMMARISED FINANCIAL RESULTS AS ON 31ST MARCH 2010

(Rs. in crore)

Particulars			Fire	Marine	Misc	Total
Gross Direct Premium Income - India		CY	426.52	238.97	3959.68	4625.17
		PY	393.59	200.78	3685.53	4279.90
	(% Growth)	CY	8.37	19.02	7.44	8.07
		PY	3.38	14.74	6.78	6.80
Gross Direct Premium Income - Outside India		CY	6.48	3.78	10.54	20.80
		PY	5.61	3.31	7.03	15.95
	(% Growth)	CY	15.51	14.20	49.93	30.41
		PY	3.89	18.21	7.49	8.21
Gross Direct Premium Income - Total		CY	433.00	242.75	3970.22	4645.97
		PY	399.20	204.09	3692.56	4295.85
	(% Growth)	CY	8.47	18.94	7.52	8.15
		PY	3.39	14.80	6.78	6.81
Reinsurance Premium Accepted	India	CY	81.11	11.04	443.22	535.37
		PY	43.62	12.30	385.52	441.44
	Outside India	CY	0.05	0	0.02	0.07
		PY	0.14	0	-0.14	0
	Total	CY	81.16	11.04	443.24	535.44
		PY	43.76	12.30	385.38	441.44
Reinsurance Premium Ceded	India	CY	133.44	120.74	943.73	1197.91
		PY	108.50	89.28	879.96	1077.74
	Outside India	CY	3.91	0	1.94	5.85
		PY	4.57	0	1.35	5.92
	Total	CY	137.35	120.74	945.67	1203.76
		PY	113.07	89.28	881.31	1083.66
Net Premium	India	CY	374.19	129.27	3459.17	3962.63
		PY	328.71	123.80	3191.09	3643.60
	(% Growth)	CY	13.84	4.42	8.40	8.76
		PY	28.74	7.63	17.93	18.44
	(% to Gross Premium)	CY	87.73	54.09	87.36	85.68
		PY	83.52	61.66	86.58	85.13

शुद्ध प्रीमियम	भारत के बाहर	CY	2.62	3.78	8.62	15.02
		PY	1.18	3.31	5.54	10.03
	(% वृद्धि)	CY	122.03	14.20	55.60	49.75
		PY	-67.40	17.38	5.93	-14.05
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	40.43	100.00	81.78	72.21
		PY	21.03	100.00	78.81	62.88
कुल शुद्ध प्रीमियम		CY	376.81	133.05	3467.79	3977.65
		PY	329.89	127.11	3196.63	3653.63
	(% वृद्धि)	CY	14.22	4.67	8.48	8.87
		PY	27.40	7.87	13.71	14.61
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	87.02	54.81	87.35	85.62
		PY	82.64	62.28	86.57	85.05
आरक्षित असमाप्त जोखिम में वृद्धि/कमी	(शुद्ध प्रीमियम का %)	CY	23.46	2.82	135.58	161.86
		PY	35.47	3.08	192.72	231.27
		CY	6.23	2.12	3.91	4.07
		PY	10.75	2.42	6.03	6.33
अर्जित प्रीमियम		CY	353.35	130.23	3332.21	3815.79
		PY	294.43	124.03	3003.92	3422.38
शुद्ध उपगत दावा	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	202.88	47.52	2994.97	3245.37
		PY	237.61	134.60	3021.46	3393.67
		CY	57.42	36.49	89.88	85.05
		PY	80.70	108.52	100.58	99.16
शुद्ध कमीशन	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	12.20	10.96	208.25	231.41
		PY	10.85	11.12	196.20	218.17
		CY	3.45	8.42	6.25	6.06
		PY	3.69	8.97	6.53	6.37
प्रबंधन व्यय	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	121.83	45.04	1132.71	1299.58
		PY	96.60	35.38	891.95	1023.93
		CY	34.48	34.58	33.99	34.06
		PY	32.81	28.53	29.69	29.92
अन्य आय (-)/जावक(+)		C/Y	1.33	0.82	5.96	8.11
		P/Y	0.76	0.63	-9.95	-8.56
बीमा लेखन परिणाम	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	15.11	25.89	-1009.68	-968.68
		PY	-51.39	-57.70	-1095.74	-1204.83
		CY	4.28	19.88	-30.30	-25.39
		PY	-17.45	-46.52	-36.48	-35.20
निवेश आय-पालिसीधारक		CY	101.35	45.12	943.11	1089.58
		PY	70.24	29.88	700.76	800.88
पालिसीधारक खाता	आधिक्य	CY	116.46	71.01	-66.57	120.90
		PY	18.85	-27.82	-394.98	-403.95
निवेश आय - शेयर होल्डर्स		CY				258.85
		PY				238.74

Net Premium	Outside India	CY	2.62	3.78	8.62	15.02
		PY	1.18	3.31	5.54	10.03
	(% Growth)	CY	122.03	14.20	55.60	49.75
		PY	-67.40	17.38	5.93	-14.05
	(% to Gross Premium)	CY	40.43	100.00	81.78	72.21
		PY	21.03	100.00	78.81	62.88
Total Net Premium		CY	376.81	133.05	3467.79	3977.65
		PY	329.89	127.11	3196.63	3653.63
	(% Growth)	CY	14.22	4.67	8.48	8.87
		PY	27.40	7.87	13.71	14.61
	(% to Gross Premium)	CY	87.02	54.81	87.35	85.62
		PY	82.64	62.28	86.57	85.05
Addition/Reduction in Un-expired Risk Reserve		CY	23.46	2.82	135.58	161.86
		PY	35.47	3.08	192.72	231.27
	(% to Net Premium)	CY	6.23	2.12	3.91	4.07
		PY	10.75	2.42	6.03	6.33
Earned Premium		CY	353.35	130.23	3332.21	3815.79
		PY	294.43	124.03	3003.92	3422.38
Incurred Claims Net		CY	202.88	47.52	2994.97	3245.37
		PY	237.61	134.60	3021.46	3393.67
	(% to Earned Premium)	CY	57.42	36.49	89.88	85.05
		PY	80.70	108.52	100.58	99.16
Commission Net		CY	12.20	10.96	208.25	231.41
		PY	10.85	11.12	196.20	218.17
	(% to Earned Premium)	CY	3.45	8.42	6.25	6.06
		PY	3.69	8.97	6.53	6.37
Expenses of Management		CY	121.83	45.04	1132.71	1299.58
		PY	96.60	35.38	891.95	1023.93
	(% to Earned Premium)	CY	34.48	34.58	33.99	34.06
		PY	32.81	28.53	29.69	29.92
Other Income(-)/Outgo(+)		C/Y	1.33	0.82	5.96	8.11
		P/Y	0.76	0.63	-9.95	-8.56
Underwriting Results		CY	15.11	25.89	-1009.68	-968.68
		PY	-51.39	-57.70	-1095.74	-1204.83
	(% to Earned Premium)	CY	4.28	19.88	-30.30	-25.39
		PY	-17.45	-46.52	-36.48	-35.20
Investment Income - Policyholders		CY	101.35	45.12	943.11	1089.58
		PY	70.24	29.88	700.76	800.88
Revenue Policyholders' Accounts Surplus		CY	116.46	71.01	-66.57	120.90
		PY	18.85	-27.82	-394.98	-403.95
Investment Income - Shareholders		CY				258.85
		PY				238.74

कुल निवेश आय	CY				1348.43
	PY				1039.62
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	CY				113.00
	PY				-30.00
जावक घटाकर अन्य आय	CY				1.84
	PY				1.70
कर पूर्व लाभ	CY				268.59
	PY				-133.51
कर हेतु प्रावधान	CY				48.70
	PY				5.15
कर पश्चात लाभ	CY				219.89
	PY				-138.66
प्रस्तावित लाभांश	CY				43.98
	PY				0
लाभांश संवितरण कर	CY				7.47
	PY				0
पूर्व वर्षों का समयोजित कर	CY				4.97
	PY				-10.52
सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित	CY				173.41
	PY				-149.18

घ. पूँजी तथा निधियाँ

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10		2008-09	
शेयरधारकों का कोष :				
प्रदत्त पूँजी	100.00		100.00	
सामान्य आरक्षित (आरक्षित अस्थगित कर सहित)	1481.46	1581.46	1308.05	1408.05
पालिसीधारकों का कोष :				
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	1996.95		1835.08	
वर्ष के अन्त में बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता	4187.95	6184.90	4091.86	5926.94
		7766.36		7334.99

विगत वर्ष में रुपये 553.79 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान रु.431.37 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्धि रही (शेयरधारकों के कोष में रु.173.41 करोड़ की वृद्धि तथा पॉलिसीधारकों के कोष में रु.257.96 करोड़ की वृद्धि) कम्पनी की कुल सम्पत्तियाँ वर्ष 2008-09 में रु.12543.22 करोड़ की तुलना में रु.18000.47 करोड़ रही।

Total Investment Income	CY				1348.43
	PY				1039.62
Provision for Doubtful Debts	CY				113.00
	PY				-30.00
Other Income less Outgo	CY				1.84
	PY				1.70
Profit Before Tax	CY				268.59
	PY				-133.51
Provision for Tax	CY				48.70
	PY				5.15
Profit After Tax	CY				219.89
	PY				-138.66
Proposed Dividend	CY				43.98
	PY				0
Dividend Distribution Tax	CY				7.47
	PY				0
Tax Adjustment for earlier years	CY				4.97
	PY				-10.52
Transfer to General Reserves	CY				173.41
	PY				-149.18

CAPITAL & FUNDS

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10		2008-09	
Shareholders' Fund :				
Paid-up Share Capital	100.00		100.00	
General Reserve (including Deferred Tax Reserve)	1481.46	1581.46	1308.05	1408.05
Policyholders' Fund :				
Reserve for Unexpired Risks	1996.95		1835.08	
Estimated Liability for Outstanding Claims at the end of the year	4187.95	6184.90	4091.86	5926.94
		7766.36		7334.99

The accretion in total funds in 2009-10 has been Rs.431.37 crore (Increase in Shareholders' Fund being Rs.173.41 crore and increase in Policyholders' Fund Rs.257.96 crore) as against Rs. 553.79 crore in the previous year. The total assets of the Company amounted to Rs.18000.47 crore as against Rs.12543.22 crore in 2008-09.



शुद्ध उपगत दावा :

वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुद्ध उपगत दावा में कमी आने के कारण वर्ष 2009-10 में 85.05% हो गया जो वर्ष 2008-09 में 99.16% रहा तथा कुल प्रतिधारण में आंशिक वृद्धि के परिणामस्वरूप 85.62% हुआ जो पिछले वर्ष 85.05% था।

प्रबन्धन व्यय :

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40(सी) के प्रावधानों के अनुसार, व्यय की अनुमत सीमा, बीमालेखन व्यवसाय के अनुपात पर आधारित, तथा आवश्यक समायोजन के पश्चात, प्रबंधन व्यय रु.913.14 करोड़ रहा जो वर्ष 2008-09 में रु.845.99 करोड़ था। उपरोक्त अनुमत सीमा एवं आवश्यक समायोजन के पश्चात भारत में व्यवसाय प्रचालन पर व्यय रु.1295.61 करोड़ रहा। कम्पनी प्रबंधन व्यय को बीमा अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा में लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

कंपनी ने वर्तमान वर्ष में कर पूर्व शुद्ध लाभ रु.268.59 करोड़ दर्ज किया जो पिछले वर्ष में कर पूर्व शुद्ध हानि रु.133.51 करोड़ था।

अग्नि एवं मरीन पोर्टफोलियों में आधिक्य के रूप में क्रमशः रु.116.46 करोड़ एवं रु.71.01 करोड़ का लाभ रहा। विविध बीमा पोर्टफोलियों के बीमालेखन निष्पादन में रु.66.57 करोड़ की हानि हुई जबकि पिछले वर्ष यह हानि रु.394.98 करोड़ थी।

रु.173.41 करोड़ के लाभ को प्रस्तावित लाभांश रु.43.98 करोड़ एवं लाभांश वितरण टैक्स रु.7.47 करोड़ के प्रावधान करने के पश्चात सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित किया गया।

लाभांश :

कम्पनी के वित्तीय निष्पादन को देखते हुए कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी के पेड-अप शेयर केपिटल पर 43.98% के लाभांश की अनुशंसा की है। लाभांश के रूप में, कर सहित, रु.51.45 करोड़ का व्यय होगा।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की सम्पत्ति देयता तथा शोधन क्षमता) विनियम, 2000 द्वारा निर्धारित विधि से 31 मार्च 2010 से परिकल्पित कंपनी शोधन क्षमता 1.60 है।

क्रिसिल रेटिंग :

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को एए/स्टेबल रेटिंग प्रदान की गई है जिससे पॉलिसी धारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वाधिक वित्तीय शक्ति प्रदर्शित होती है।

दान, मनोरंजन, विदेश दौरा व प्रचार:

दान, मनोरंजन और अधिकारियों द्वारा विदेश दौरे, प्रचार और विज्ञापन पर वर्ष के दौरान खर्च का विवरण निम्नवत है:

विवरण	2009-10	2008-09
दान	शून्य	शून्य
मनोरंजन	18,38,886	16,76,477
विदेश दौरा	11,03,055	11,29,830
प्रचार एवं विज्ञापन	10,00,95361	13,43,66,500

विदेशी विनिमय आय तथा व्यय:

विदेशी मुद्रा में कुल आय तथा व्यय क्रमशः रु.42.19 करोड़ और रु.16.44 करोड़ था। आय में आवक पुनर्बीमा स्वीकृति जावक पुनर्बीमा अर्पण पर दावा वसूली तथा निधियों एवं निवेशों की आवक जमा शामिल है, जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण आवक पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल है।

निवेश:

31 मार्च, 2010 को भारत में कुल निवेश रु.6365.40 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2009 को रु.5754.34 करोड़ था। इसमें से समाजोन्मुख क्षेत्रों में, जिसमें शामिल हैं केन्द्रीय व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी गारंटीयुक्त बंध-पत्र, ढाचागत बंध-पत्र, आवास और अग्नि शमन उपकरणों



NET INCURRED CLAIMS:

The overall Net Incurred Claims (on Earned Premium) has gone down to 85.05% in 2009-10 from 99.16% in 2008-09 with marginal increase in Net Retention from 85.05% in the last fiscal to 85.62% during the current fiscal.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

As per the provision of Section 40C of the Insurance Act, 1938, the permissible limit of expenses, being a ratio of the business underwritten, after due adjustment, was Rs.913.14 crore as against Rs.845.99 crore in 2008-09. As against the allowable limit as aforesaid, the actual expenses incurred on business operations in India, after due adjustment, amounted to Rs.1295.61 crore. The Company has been making determined efforts to curtail the expenses and to bring it within the permissible limit as per the Insurance Act.

The Company has recorded a Net Profit Before Tax Rs.268.59 crore in the current year as against Net Loss Before Tax of Rs.133.51 crore in the previous year.

Fire and Marine portfolio has shown to be profitable resulting in a surplus of Rs.116.46 crore and Rs.71.01 crore respectively. The underwriting performance of Miscellaneous portfolio continues to show losses of Rs.66.57 crore as against last year figure of Rs.394.98 crore.

A profit of Rs.173.41 crore has been transferred to General Reserve after making a provision for proposed dividend of Rs.43.98 crore and dividend distribution tax of Rs.7.47 crore.

DIVIDEND:

Considering the financial performance of the Company, your Directors are pleased to recommend a dividend of 43.98% on the paid-up share capital of the Company for the financial year ended 31st March 2010. Total outgo in the form of dividend, including taxes, will be Rs.51.45 crore.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS :

The Company has the solvency margin of 1.60 as at 31st March 2010, calculated as per the method prescribed under IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000.

CRISIL RATING :

The Company continues to enjoy the "AAA/STABLE" rating by CRISIL, which reflects the highest financial strength to meet the policyholders' obligations.

DONATIONS, ENTERTAINMENT, FOREIGN TOURS & PUBLICITY :

The expenses incurred on donations, entertainment, foreign tours and publicity & advertisement are furnished hereinbelow

(in Rs.)

Particulars	2009-10	2008-09
Donations	Nil	Nil
Entertainment	18,38,886	16,76,477
Foreign Tours	11,03,055	11,29,830
Publicity & Advertisement	10,00,95361	13,43,66,500

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

The income and outgo in foreign exchange aggregated to Rs.42.19 crore and Rs.16.44 crore respectively. The income was on account of inward reinsurance acceptances, claims recovery on outward reinsurance cessions, inward remittances of funds and investments, while outgo was due to outward reinsurance cessions, claim settlement on inward reinsurance acceptances.

INVESTMENT :

The total Investment in India stands at Rs.6365.40 crore as on 31st March 2010 as against Rs.5754.34 crore as on 31st March 2009. Out of this, investment in Socially Oriented Sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds, Loans to HUDCO and various State Governments for

के लिए हूडको और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में 31 मार्च, 2010 को रु.3188.26 करोड़ का निवेश हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2009 को 2850.71 करोड़ था ।

निवेश आय (वित्तीय/विमोचन पर लाभ सहित) विगत वर्ष में रु.1039.62 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में रु.1348.45 करोड़ हुई । इस प्रकार पिछले वर्ष में 17.90% से बढ़कर वर्ष 2009-10 में निवेश लाभ-22.24% हो गया ।

कम्पनी ने पिछले वर्ष रु. 52.12 करोड़ के बदले चालू वर्ष में रु.611.06 करोड़ का निवेश कोष में अर्जन किया। कम्पनी ने सेकेंडरी मार्केट में सक्रिय प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्जित लाभ पिछले वर्ष के रु.497.15 करोड़ के बदले रु.789.83 करोड़ हुआ ।

ऋण तथा ऋणपत्र के वर्गीकरण और निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू प्रावधान से सम्बंधित आईआरडीए के नियमों का कंपनी ने पालन किया । सकल निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए प्रावधान 2009-10 में घटकर रु.2.10 करोड़ कम हुआ और निष्क्रिय सम्पत्ति का वर्ष 2009-10 में प्रतिशत बढ़कर 1.20% हो गया जो वर्ष 2008-09 में 1.51% था। कंपनी ने निष्क्रिय सम्पत्ति से वर्ष 2009-10 के दौरान रु.4.66 करोड़ की प्रतिपूर्ति की ।

वर्ष के दौरान अपलिखित निवेश रु.1.68 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु.6.89 करोड़ था ।

31 मार्च, 2010 को भारत में इक्विटी निवेश का कुल बही मूल्य रु.1851.64 करोड़ था । इस बही मूल्य के बदले 31 मार्च, 2009 को इन इक्विटी निवेशों का बाजार मूल्य रु.9906.42 करोड़ रहा जिससे इसके बाजार मूल्य में 535.01% का संवर्धन हुआ ।

पुनर्बीमा

वर्ष 2009 के नवीकरण काल में सामान्यतया दरों में शिथिलता आयी है जो कि वृहतरूप से उत्तरी अमेरिका में हल्के तूफानी मौसम के प्रभाव से विश्व पुनर्बीमा उद्योग को लाभकारी वर्ष के अनुभव के कारण संभव हुआ है। हालांकि सुदूरपूर्व एशिया में तूफानी गतिविधियां प्रचंडता एवं आवृत्ति में तीव्र रहीं। हाल

के वर्षों में वर्ष 2009 की तृतीय तिमाही सुदूर पूर्व के लिए आँधी का मौसम रहा जिससे अन्तर्गत जापान, फिलीपीन्स, चीन, ताइवान एवं हांगकांग की घटनाएं सम्मिलित हैं। इसने मिडिल ईस्ट एवं फार ईस्ट एशिया में कार्यरत , अधिकतर पुनर्बीमाकर्ताओं के लाभ को प्रभावित किया, जिनमें से अधिकतर भारतीय बाजार से सम्बद्ध थे। अधिकतर पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए मूल्य अपर्याप्तता के प्रमुख क्षेत्र बने रहे। उच्च संख्या में हानियों एवं एअर क्राफ्ट की अरक्षितता के कारण एविएशन की दरों में प्रचुर वृद्धि आयी। तथापि नवीकरण का समय यह दर्शाता है कि पुनर्बीमा उद्योग ने मान्य दरों पर समुचित क्षमता प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का पूरा प्रबंध किया। इस स्थिरता का जारी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रत्यक्ष बीमा बाजार में सकारात्मक मूल्य की प्रवृत्ति एवं कटास्ट्रोफ गतिविधि जारी रहेगी। लॉयड्स की क्षमता में वर्ष 2009 में वृद्धि हुई जिसका वर्तमान अनुमानित आँकड़ा £22.8 बिलियन है। कुल नवीकरण दरें पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम शेष एवं पूँजी प्रसार की वापसी के सम्बन्ध में एक अनुशासित विचार को प्रदर्शित करती हैं ।

भारतीय बीमाबाजार विभिन्न घटकों जैसे नये साधारण बीमाकर्ताओं के प्रवेश, विनियामक परिवर्तनों, बीमा विधान में परिवर्तन तथा ग्राहकों के व्यवहार से प्रभावित होकर लगातार परिवर्तित हो रहा है। डिटैरिफिंग के दूसरे वर्ष में दरों में कमी एवं छूट के बावजूद भी परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे। बाजार में वृहत् जोखिम एवं केटास्ट्रोफ हानियां जैसे हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, आईओसीएल, बीएचईएल(मरीन), आंध्र-कर्नाटका बाढ इत्यादि ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में परिणाम के अनुकूल न होने की संभावना को बढ़ाते हैं। अतः पहले की अपेक्षा आज बीमालेखन के अन्तर्गत जोखिम की गुणवत्ता एवं चयन, क्षेत्र विस्तार, पीएमएल के दिशानिर्देश एवं दरों पर विशेष ध्यान देना है।

आनुपातिक ट्रीटी कार्यक्रम को वार्तालाप के पश्चात एक्सपायरिंग कामर्शियल टर्म पर ही नवीकरण किया गया। अतिरिक्त सकल क्षमता उत्पन्न करने एवं फैकल्टेटिव पुनर्बीमा पर निर्भरता कम करने के लिए 100 करोड़ पीएमएल की द्वितीय सरप्लस प्रापर्टी ट्रीटी प्रारंभ की गई। बढी हुई क्षमता से हमें लार्ज

Housing and Fire Fighting Equipments amounts to Rs.3188.26 crore as on 31st March 2010 as against Rs.2850.71 crore as on 31st March 2009.

Investment Income (inclusive of profit on sale/redemption) has increased to Rs.1348.45 crore in 2009-10 from Rs.1039.62 crore in the previous year. The corresponding yield on Investment for 2009-10 is 22.24% as against 17.90% in the previous year.

The Company has generated an accretion of Investment Fund to the tune of Rs.611.06 crore in the current year as against Rs.52.12 crore in the previous year. The Company continued to operate actively in the Secondary Market and the profit earned on the sale of securities of the Company has been Rs.789.83 crore as against last year's figure of Rs.497.15 crore.

The Company has followed the IRDA Norms relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non-Performing Assets (NPA) as applicable to the Financial Institutions. The total provision for NPA has decreased by Rs.2.10 crore in 2009-10 and the net NPA percentage has come down to 1.20% in the current year as compared to 1.51% in 2008-09. The Company has recovered Rs.4.66 crore from NPA during the year 2009-10.

Investment written off/down during the year was Rs.1.68 crore as against the last year's figure of Rs. 6.89 crore.

The aggregate book value in Equity Investment in India as at 31st March 2010 amounts to Rs.1851.64 crore. As against this Book Value, the Market Value of these Equity Shares stood at Rs.9906.42 crore as on 31st March 2010, showing an appreciation of 535.01%.

REINSURANCE :

The year 2009 renewal season witnessed an overall softening of rates, largely driven by the profitable year the global reinsurance industry has seen on account of benign Hurricane season in North America. However, the typhoon activity in Far East Asia was high both by severity and frequency. The third quarter of 2009 witnessed one of the most active windstorm season in the Far East in the

recent years with incidents in Japan, Philippines, China, Taiwan, and Hongkong. This has impacted the profitability of most of the reinsurers operating in Middle East and Far East Asia with majority of them having commitments in the Indian Market. The main area of pricing inadequacy for most reinsurers, continued to be in Property, Energy and Aviation. Aviation rates hardened considerably due to high number of loss incidents and increase in aircraft exposures. However, the renewal season demonstrated the reinsurance industry has managed to clear the hurdle of providing sufficient capacity at acceptable prices. The continuation of this relative stability will largely hinge on whether positive pricing trends emerge in the direct insurance markets and the levels of future catastrophe activity. Lloyd's overall capacity increased in 2009 and the currently estimated figure is £22.8 billion. The overall renewal rates reflect a disciplined view by reinsurers on the balance of risk and return on capital deployed.

The Indian insurance market is undergoing constant changes influenced by various factors such as entry of more non-life insurers, regulatory changes, impending amendments to the insurance legislation and consumer behavior. The business results after the second year of full detariffing has not been encouraging with low rates and deductibles impacting results. Large Risk and Catastrophe losses in the market viz. Haldia Petrochemicals, IOCL, BHEL (marine), Andhra - Karnataka Floods etc. especially in the third quarter (October - December) is expected to dampen the results further. Thus there is emphasis more than earlier for prudence in underwriting; selection and quality of risks, spread by occupancy, setting guideline PMLs and rating.

The Proportional treaty programme was renewed and placed on expiring commercial terms after intense negotiations. A second surplus property treaty was floated with a limit of Rs.100 crore PML in order to generate additional gross capacity and reduce dependence on facultative reinsurance. The increased capacity was to enable us to write large accounts and compete on the direct side. The Engineering treaty capacity was also increased

एकाउन्ट्स लिखने एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा में बनाये रखेगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रही उन्नति में पहुँच बनाने के लिए इंजीनियरिंग ट्रीटी की क्षमता भी 40 करोड़ पीएमएल से बढ़ाकर 100 करोड़ पीएमएल कर दी गई। हल एवं कार्गो की स्वतः क्षमता को बढ़ाने एवं अपेक्षाकृत छोटे आकार एवं बाजार पर निर्भर हल पोर्टफोलियो को बनाये रखने के लिए मरीन ट्रीटीज को भी मिला दिया गया। अपने हानि आधिक्य योजना के परिपेक्ष्य में हम एक नये आयल एंड एनर्जी एक्सेस आफ लास कवर को संरचित एव प्लेस करने में सफल हुए। इस प्रकार के कवर की वास्तव में आवश्यकता थी क्यों कि आयल एंड एनर्जी क्षेत्र में गतिविधियां आयल अनुसंधान के पुनरुत्थान के कारण बढ़ रही हैं। एक्सपोजर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 50 करोड़ का प्रापर्टी रिस्क एक्सेस आफ लास प्रोग्राम एवं 50 करोड़ का कटास्ट्रोफ एक्सएलओ जैसे अतिरिक्त कवर खरीदे गये। वर्ष के दौरान ओवरसीज मार्केट से प्रतियोगी पुनर्बीमा दरों एवं शर्तों को प्राप्त करने के कारण हम कुछ बड़े ग्राहकों को फिर से पाने एवं नये वृहत ग्राहकों को अपने से जोड़ने में सफल रहे। हम अपने विदेशी उन बड़े पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने में सफल रहे जिसके कारण हमारे

शुद्ध प्रीमियम आय में वृद्धि हुई। विदेशी इनवर्ड पोर्टफोलियो के बढ़ने से विभिन्न देशों के साथ समुचित तारतम्य बनाये रखने के लिए पुनर्बीमा प्रोटेक्सन को खरीदा गया।

समुचित पुनर्बीमा सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप हमारा शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम वर्ष 2009-10 में 85.62% हो गया जो वर्ष 2008-09 में 85.05% था।

मोटर टीपी दावा:

वर्ष 2009-10 में मोटर टीपी दावा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा जिसके अन्तर्गत प्रकरणों की समीक्षा, निस्तारण एवं पुराने केसों की भौतिक जाँच पर बल दिया गया। परिणामस्वरूप टीपी उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष 111% से घटकर वर्तमान वर्ष में 88% हो गया तथा दावा निस्तारण अनुपात बढ़कर 35.32% हो गया।

वर्तमान वर्ष 2010-11 के दौरान उच्च न्यायालय के अपील केसों की समीक्षा, विभिन्न समझौताकारी फोरम के माध्यम से अधिकाधिक केसों का निस्तारण तथा एमएसीटी का कार्य देख रहे कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

31 मार्च 2010 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का समयवार विश्लेषण

(रु. हजार में)

लंबित 3 माह से कम		लंबित 3 माह से 6 माह तक		लंबित 6 माह से 1 वर्ष तक		लंबित 1 वर्ष से 3 वर्ष तक		लंबित 3 वर्ष से 5 वर्ष तक		लंबित 5 वर्ष से अधिक		योग	
सं.	कुल	सं.	कुल	सं.	कुल	सं.	कुल	सं.	कुल	सं.	कुल	सं.	कुल
10736	1906587	8497	1114611	17115	2318643	61854	7272640	46155	5625656	60657	6644513	205014	24882650

स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन:

प्रधान कार्यालय के स्वास्थ्य बीमा विभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान स्वास्थ्य बीमा के पोर्टफोलियो को माडल के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्य किया। वर्ष के दौरान वृद्धि की दर 20% रखते हुए रु.1000 करोड़ से अधिक के प्रीमियम लक्ष्य तथा उपगत दावा अनुपात को 100% से कम रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष के अन्त में हमने 20% की वृद्धि के साथ व्यवसाय आँकड़ा रु.1079 करोड़ को प्राप्त करने में सफलता पाई।

वर्ष के दौरान कुल 1,65,81,733 व्यक्तियों को आवरित करने के लिए 12,98,492 स्वास्थ्य पालिसियां जारी की गईं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयास किये गये:

1. आठ क्षेत्रीय कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलूर, क.क्षे.का.-1, चेन्नई, क्षे.का., दि.क्षे.का.-1, दि.क्षे.का.-2, मु.क्षे.का.-1 एवं मु.क्षे.का.-2 में हेल्थ सेल की स्थापना की गई जहाँ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रु.40 करोड़ से अधिक है। हेल्थ सेल का प्रमुख कार्य प्रधान कार्यालय से समन्वय, टीपीए मानिट्रिंग एवं दावा नियंत्रण, डाटा कलेक्शन एवं विश्लेषण के द्वारा प्रचालन कार्यालयों द्वारा व्यवसाय के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं बीमा लेखन को मजबूत करना है।

from Rs.40 crore PML to Rs.100 crore PML to enable us to tap the infrastructure growth in the country. The marine treaties were merged to increase automatic capacity both for Hull and Cargo and to sustain the Hull portfolio which is relatively small and market dependent. With respect to our excess of loss programme, we were successful in structuring and placing a new Oil & Energy Excess of loss cover. There was a critical need for such a cover as there is increased activity in the Oil & Energy sector due to resurgence of Oil exploration activity. To factor in the growth in exposures additional limit of Rs.50 crore in Property Risk Excess of loss programme and Rs.50 crore in Catastrophe XOL Cover was purchased. During the year, we were also able to win back some of the major accounts and also secure new mega/large accounts by being able to obtain competitive Facultative RI rates and terms from the overseas market. We have also been able to enlarge our Foreign inward portfolio and thereby augment our net premium income. As the foreign inward portfolio

is increasing, to mitigate accumulation in various countries suitable reinsurance protection was purchased.

Consequent to arrangement of suitable reinsurance protection, net retained premium has increased from 85.05% in 2008-09 to 85.62% in 2009-2010.

MOTOR TP CLAIMS :

The management of Motor TP Claims continued to remain focus area in the year 2009-10 with emphasis on review, settlement and physical verification of old cases. These have resulted in reduction of TP incurred claims ratio (without IBNR) from 111% last year to 88% this year with claims disposal ratio increasing to 35.32%.

During the current year 2010-11, high priority will be accorded on review of High Court Appeal cases, higher disposal rate of settlement of cases through various alternative conciliatory forums and enhancing skill and efficiency of the employees dealing with MACT claims.

Age-wise analysis of Outstanding Suit (MACT only) cases as at 31st March 2010

(Amount Rs. in '000)

Pending for Less than 3 months		Pending over 3 months up to 6 months		Pending over 6 months up to 1 year		Pending over 1 year up to 3 years		Pending over 3 years up to 5 years		Pending for more than 5 years		Total	
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
10736	1906587	8497	1114611	17115	2318643	61854	7272640	46155	5625656	60657	6644513	205014	24882650

HEALTH INSURANCE MANAGEMENT

The Health Insurance department of Head Office aimed and worked towards a sustainable model of health portfolio during the year 2009-10. The target for growth during the year was pegged at 20% to hit a premium of Rs.1000 crore plus but to strive for achieving an ICR of below 100%. As at the end of the year, we have grown at a rate of 20% to achieve a business figures of Rs.1079 crore.

A total number of 12,98,492 health policies were issued during the year covering 1,65,81,733 persons.

The health department took many initiatives during the year to achieve the goal set for the year:

- (1) Dedicated Health cells were set up in eight Regional Offices where the health insurance premium is Rs.40 crore or more. The Regional Offices with Dedicated Cells include ARO, Ahmedabad, BRO, Bangalore, CRO-1, Kolkata, CNRO, Chennai, DRO-1, New Delhi, DRO-2, New Delhi, MBRO-1, Mumbai and MBRO-2, Mumbai. The main functions of the Dedicated Cells are to support and strengthen the underwriting and business efforts of the operating offices in coordination with Head Office, TPA monitoring and claims control, data collection and analysis.

2. क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्थ सेल में कार्यरत कुछ कार्मिकों के लिए एनसीआईएल (NCIL) में प्रधान कार्यालय द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विशेषरूप से तैयार किये गये फार्मेट के अनुसार बीमालेखन एवं दावा नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के विषय में तथा सेल स्थापना के उद्देश्य को बताया गया।
3. उक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के उन कार्मिकों के लिए, जो स्वास्थ्य बीमा एवं तकनीकी विभाग देख रहे हैं, एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
4. स्वास्थ्य विभाग ने टीपीए के निष्पादन की समीक्षा दावा निस्तारण अनुपात, उपगत हानि अनुपात, हास्पिटल नेटवर्क एवं रीच, ग्राहक सेवा इत्यादि के आधार पर की तथा तर्कसंगत एलोकेशन किया गया।
5. साधारण बीमा की अन्य कम्पनियों के साथ तालमेल इस आशय से किया गया कि समूह एवं टेलरमेड स्वास्थ्य पालिसियां, जिनका प्रीमियम रू.1 करोड़ से अधिक है, के दावा सम्बन्धी आँकड़ों तथा समूह पालिसियों के लिए उचित दर निर्धारित की जा सके एवं अंडर प्राइसिंग के कारण हो रही हानियों से बचा जा सके।

वर्ष के दौरान आरएसबीवाई (RSBY) पालिसियों के माध्यम से सेवाएं देने एवं व्यवसाय प्राप्त करने पर बल दिया गया। आरएसबीवाई पालिसी की सेवाएं हम पश्चिम बंगाल, पंजाब, संघशासित चंडीगढ़ में पहले से ही दे रहे हैं परन्तु इस वर्ष के दौरान हमें बिहार के पाँच जिलों, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भी कार्य करने का शासनादेश प्राप्त हुआ।

स्वास्थ्य पालिसियों के अन्तर्गत प्राप्त हो रही शिकायतों को निपटाने में इस विभाग ने सीआरएम विभाग के प्रयासों में सहयोग किया। वर्ष के दौरान विभाग को प्राप्त 300 शिकायतों में से विभाग ने एक तिहाई शिकायतों का निस्तारण किया एवं दो तिहाई शिकायतों को निस्तारण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ :

पूर्व के वर्षों की भाँति इस वित्तीय वर्ष में भी कम्पनी ने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार समाधान प्रदान करने का

कार्यक्रम चलाया। व्यापक संरक्षण प्रदान करके ग्राहकों को मुख्य धारा से जोड़ना इस वर्ष का महत्वपूर्ण बिन्दु रहा। स्टैंडर्ड फायर एवं स्पेशल पेरिल पालिसी के क्षेत्र को एड-आन्स से विस्तारित किया गया है। ये अतिरिक्त आवरण हाउसब्रेकिंग, स्वतः प्रज्वलन, बॉयलर का फटना, दुर्घटनात्मक क्षति तथा आरंभ एवं बंद होने के दौरान हुई हानियों को आवरित करते हैं। एड-आन के अन्तर्गत विद्युत सामानों, जेटीज, डाक्स एवं पानी में स्थापित सम्पत्ति के हानि को भी आवरित किया जाता है। प्राइवेट कार एवं दुपहिया वाहन के बीमाधारकों को हुई आंशिक हानि या वाहन की क्षति से पूरी तरह से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मूल्यहास का अधित्याग करने के लिए एड आन कवर, नियामक के समक्ष दाखिल किया गया है। यह उत्पाद, जिसे अतिरिक्त प्रीमियम पर प्राप्त किया जा सकता है, ग्राहकों के आंशिक हानि या वाहन की क्षति के दौरान उत्पन्न परेशानियों से निजात दिलाने में सक्षम है।

डीलर्स एवं एसएमईज के लिए पैकेज पालिसियां विकसित की गई हैं जो परीक्षाधीन हैं।

डिटेरिफिंग :

वर्ष 2009-10 अग्नि एवं इंजीनियरिंग वर्ग के व्यवसाय पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त होने का तीसरा वर्ष है।

मूल्य नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात प्रीमियम दरों में कमी आई। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में दरों को स्थिरता प्रदान करने की आवश्यकता प्रशंसनीय है। हमने अपने सभी लाभकारी खातों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में फायर पोर्टफोलियो का जीडीपी रू.393.59 करोड़ था जिसमें सुधार के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में रू.426.52 करोड़ हो गया तथा वृद्धि दर 8.4% हो गई।

फायर पोर्टफोलियो का उपगत दावा अनुपात वर्ष 2008-09 में 67.26% था जो वर्ष 2009-10 में 80.69% हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में रेशियो अधिक है जिसका प्रमुख कारण दो बड़ी हानियां हैं: हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स (हानि का हमारा हिस्सा रू.99.20 करोड़) तथा एडवान्टेक क्वायल्स (40 करोड़)। कम्पनी के लिए यह एक दुरुह अवसर था।

इंजीनियरिंग प्रीमियम पिछले वर्ष रू.166.36 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 12.36% की वृद्धि के साथ रू.186.92

- (2) Training programme for the identified officials manning the health cells in the Regional Offices was arranged at NCIL by Head Office wherein the purpose of setting up of cells and the functions of the cells were explained along with underwriting and claims management functions to be carried out as per specific formats designed.
- (3) In addition, another training of 2 days was also arranged for officials of the other Regional offices dealing with health and/or Technical department.
- (4) The health department also carried out the review of performance of TPAs on specific parameters like claims settlement ratio, incurred loss ratio, hospital network and reach, customer services etc. and rationalization in allocation was done.
- (5) Co-ordination with PSU non-life companies was done to share claims experience data in respect of group and tailor-made health policies above Rs.1 crore premium for proper rating of group policies and avoiding losses due to under pricing.

Emphasis was placed on procurement and servicing of RSBY policies during the year. We were already servicing RSBY in the states of West Bengal, Punjab and Union Territory of Chandigarh but during the year we got mandate for implementation of RSBY in 5 districts in Bihar, Mizoram, Tripura, Assam, Haryana and Maharashtra.

The department supplemented the efforts of the CRM department in dealing and redressal of grievances arising out of health policies. During the year, the department received complaints of around 300 and one-third of the complaints were resolved and the rest two-third were referred for redressal by the concerned Regional Offices.

RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES

As in earlier years, during this fiscal, too, the Company continued its drive in providing solutions to address the evolving insurance needs of

customers. The focus this year, has been on providing comprehensive coverage thereby moving the customers up the value chain.

The scope of the Standard Fire and Special Peril policy has been expanded by including a bouquet of 'add ons'. These additional coverages provide cover for loss due to housebreaking, spontaneous combustion, explosion of boilers, accidental damages and startup and shut down operations. Add ons to cover loss or damage to electrical appliances, jetties, docks, and properties erected in water have also been introduced. With the intent to offer fuller financial coverage to insured of private cars and two wheelers, an add on for waiver of depreciation, has been filed with the Regulator. This product, which can be bought at an additional premium, will mitigate the hardship of customers in the event of partial loss or damage to their vehicles.

Package policies for dealers and SMEs have been developed and are on the anvil.

DETARIFFING

The financial year 2009-10 is the third year of complete price decontrol in Fire and Engineering classes of business.

Expectedly, price decontrol led to a steady fall in premium rates. Of late, there has been an appreciation especially amongst the PSUs about the need to stabilize rates.

We endeavoured to protect all our profitable accounts. The GDP of Fire Portfolio for the fiscal year 2008-09 was Rs.393.59 crore which improved to Rs.426.52 crore in the fiscal year 2009-10 thus translating into a growth rate of 8.4%.

The ICR (with IBNR) of Fire portfolio for 2008-09 was 67.26% and for the fiscal year 2009-10 it is 80.69%. The ratio is high for 2009-10 as compared to previous year due to two large losses of Haldia Petrochemicals (our share of loss Rs 99.20 crore) and Advantec Coils (Rs. 40 crore). These are one off events.

The Engineering premium increased to Rs 186.92 crore in 2009-10 from Rs.166.36 crore thus

करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग प्रीमियम की दरों में कमी का रुख बना रहा।

इंजीनियरिंग वर्ग के व्यवसाय के लिए सकल आधार पर उपगत दावा अनुपात (आइबीएनआर सहित) वर्ष 2008-09 में 44.48% तथा 2009-10 में 42.34% था। इससे प्रतीत होता है कि हमारे बीमालेखन में सुधार हुआ है।

समुचित दरों के लिए हमारे प्रधान कार्यालय के एक्चुरियल विभाग द्वारा डाटा विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। मार्केट की प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, जो दावा अनुभव डाटा पर आधारित है, हमें जूट मिल्स/कारखानों एवं कोयले के स्वतः प्रज्वलन कवर को प्रभावी करना होगा।

नान-सूट दावा प्रबंधन : हम कम्पनी में हर स्तर पर दावा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हानि नियंत्रक उपायों को लागू करके दावों के समुचित प्रबंधन हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है। सर्वेयर एवं ग्राहकों से समयानुसार समन्वय के द्वारा कार्यालयों द्वारा सभी स्तर पर दावों की समुचित मानिट्रिंग की जा रही है।

कम्पनी में फरवरी व मार्च 2010 में नान टाई अप एवं नान सूट दावों के निस्तारण हेतु एक स्पेशल ड्राइव आरंभ की गई। इस दौरान एक लाख से अधिक नान सूट दावों का निस्तारण किया गया जो उल्लेखनीय है। परिणाम निम्नवत हैं:

1. वर्ष 2009-10 के लिए दावा निस्तारण अनुपात हेतु निर्धारित लक्ष्य 88% को प्राप्त कर लिया गया है।
2. मार्च 2010 तक लंबित दावों की संख्या मार्च 2009 में लंबित दावों की संख्या से कम है। 31 मार्च 2010 को कुल लंबित दावों की संख्या घटकर 95,505 हो गई जो 31 मार्च 2009 को 116058 थी।
3. 31 मार्च 2010 को कुल लंबित दावों की संख्या एक लाख से कम है।

नया एड आन कवर : नियामक ने बीमा कम्पनियों को टैरिफ पालिसी के साथ एड आन कवर के प्रयोग को फाइल करने की अनुमति दे दी है। हमने आईआरडीए के समक्ष अग्नि एवं इंजीनियरिंग वर्ग के व्यवसाय से सम्बन्धित कुछ एड-आन-कवर दाखिल किया है। इनसे रिस्क प्रोफाइल पर कोई विशेष असर पड़ने की संभावना नहीं है।

विदेश व्यवसाय :

वर्तमान में कम्पनी केवल नेपाल में कार्य कर रही है।

नेपाल :

नेपाल का प्रचालन 7 कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है जिनमें से नियंत्रक एवं 3 शाखा कार्यालय काठमांडू में स्थित हैं एवं अन्य तीन क्रमशः बीरगंज, बिराटनगर एवं नेपालगंज में स्थित हैं। बीरगंज शाखा के अन्तर्गत दो एक्सटेंशन सेंटर जनकपुर एवं हेतउदा में स्थित हैं तथा दूसरा एक जल्द ही बुटवल में खुलने जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल कार्यालय ने सराहनीय वृद्धि दर्ज की। नेपाल कार्यालय ने रु.6.30 करोड़ के शुद्ध लाभ के साथ सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम रु.20.81 करोड़ अर्जित किया। प्रबंधन व्यय जीडीपीआई का 12.64% तथा उपगत दावा अनुपात जीडीपीआई का 35.66% रहा।

वर्तमान में कार्यरत 58 कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए जनवरी 2010 में सम्पर्क अधिकारी, प्रशासनिक सहायक एवं सपोर्ट स्टाफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान नेपाल शाखा कार्यालय का निष्पादन संतोषजनक रहा

हांगकांग :

हांगकांग शाखा में 18 फरवरी 2002 से नया व्यवसाय स्वीकार करना बन्द कर दिया गया है। तथापि न्यू इंडिया द्वारा वर्तमान पालिसी एवं दावों से सम्बन्धित सेवाएं दी जा रही हैं।

showing a growth of 12.36%. The Engineering premium rates also showed a declining trend during the year.

The ICR (with IBNR) on Gross basis for engineering class of business during 2008-09 was 44.48% and it was 42.34% in 2009-10. Thus, it is seen our underwriting has been sound.

The Actuarial Department at Head Office is analyzing data to arrive at proper pricing. In order to remain competitive in the market, based on claims experience data we have come out with underwriting guidelines for jute mills/factories and spontaneous combustion cover for coal.

Management of Non-suit Claim: We are focussing on claims management in the Company at all levels. An action plan has been chalked out to manage claims better by implementing proper loss control measures. Constant monitoring of claims is being done by the offices at all levels by timely co-ordination with the surveyors and the clients.

A special drive was initiated in the Company in February and March 2010 for disposal of the non-tie up non-suit claims. More than one lakh non-suit claims have been settled during the claims clearance period which is noteworthy. The results in a nutshell are as follows:-

1. We have been able to achieve the claim settlement ratio of 88% which was the corporate target for the year 2009-10.
2. The total number of claims outstanding as on 31st March 2010 is less than the total number of claims outstanding as on 31st March 2009. The total number of outstanding claims have thus come down to 95,505 as on 31st March 2010 from 116058 as on 31st March 2009.
3. The total number of outstanding claims as on 31st March 2010 is less than one lakh.

New Add on covers : The Regulator has allowed companies to file Add on covers to be used in conjunction with the Tariff policies. We have filed certain add on covers with IRDA in the Fire and Engineering classes of business. These, however, are not likely to make any significant difference to the risk profile.

FOREIGN BUSINESS

At present, the Company has operation in Nepal only.

NEPAL

Our Nepal Operation is conducted through 7 offices of which the Controlling Office and 3 Branch Offices are located in Kathmandu - the other 3 are located in Birganj, Biratnagar and Nepalganj respectively. Two Extension Centers are located at Janakpur and Hetauda under Birganj Branch and another one will shortly be opened at Butwal. Nepal Office has shown tremendous Growth in the past fiscal. Nepal Office earned a Gross Direct Premium of Rs.20.81 crore with a Net Profit of Rs 6.30 crore. Expenses of Management Ratio to GDPI was 12.64%. Gross Incurred Claim Ratio to GDPI was 35.66%.

To augment the existing human resources strength of 58 personnel, a fresh Recruitment Exercise of Relationship Officers, Administrative Assistants and Support Staff was carried out in January 2010.

Performance of the Nepal branch office during the fiscal 2009-10 has been laudable.

HONG KONG

Hong Kong branch stopped accepting new business w.e.f. 18th February 2002. The run-off operations are being handled by New India who continue to service existing policy and claims.

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विदेशी प्रचालन का कार्यात्मक परिणाम :

विदेशी शाखा परिणाम :

(रु. करोड़ में)

विवरण	नेपाल		हांगकांग		योग	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	20.80	15.95	0.00	0.00	20.80	15.95
शुद्ध प्रीमियम	15.02	10.18	0.00	-0.15	15.02	10.03
शुद्ध उपगत दावा	5.71	4.37	-3.68	1.17	2.03	5.54
शुद्ध कमीशन	0.31	-0.41	0.00	0.00	0.31	-0.41
प्रबन्धन खर्च	2.62	3.06	0.32	0.36	2.94	3.42
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	2.43	-0.75	0.08	-0.08	2.51	-0.83
निवेश तथा अन्य आय	2.78	1.93	0.29	0.41	3.07	2.34
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-0.43	0.44	-4.29	7.90	-4.72	8.34
शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	6.30	6.28	-0.72	6.71	5.58	12.99

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय :

2009-10 के दौरान ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है :

वर्ष	भारत में कुल सकल प्रीमियम (रु. करोड़ में)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम (रु. करोड़ में)	कुल जीडीपीआई से ग्रामीण व्यवसाय का % (4/2x100)	क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या	क्या सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	4625.17	1531337	328.21	7.10	हाँ	2939110	हाँ

संगठनात्मक व्यवस्था :

31 मार्च, 2010 तक क्षेत्रीय कार्यालयों, मण्डलीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों तथा प्रत्यक्ष अभिकर्ता शाखाओं की स्थिति :

क्षे.का.	24
मं.का.	315
शा.का.	627
प्र. अभि. शाखा	254
योग :	1220

महत्वपूर्ण योजनाओं का परिचय :

- एजेंसी चैनल से व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए अभिकर्ताओं के लिए लागू प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना में

संशोधन किया गया जिसके अनुसार प्रीमियम, व्यवसाय वृद्धि, उपगत दावा अनुपात एवं अन्य मापदण्डों के आधार पर अभिकर्ता को एक तीन दिन एवं चार रात का पैकेज टूर (स्वयं एवं स्पाउज) दिया जायेगा, इस टूर को विदेश यात्रा तक भी विस्तारित किया जा सकता है।

- अभिकर्ताओं के लिए प्राइवेट कार, दुपहिया वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए पालिसी बेचने पर जुलाई 2009, सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2010 में पुरस्कार योजनाएं आरंभ की गईं।

कार्य योजनाएँ :

- स्टार एजेंट/विकास अधिकारी एवं प्रशा. अधि.(विकास)/सहायक प्रबंधक(विकास) के साथ क्षेत्रवार बैठक।

Working results of the Foreign operations for the fiscal 2009-10:

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(Rs. in crore)

PARTICULARS	NEPAL		HONGKONG		TOTAL	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
Gross Direct Premium	20.80	15.95	0.00	0.00	20.80	15.95
Net Premium	15.02	10.18	0.00	-0.15	15.02	10.03
Net Incurred Claims	5.71	4.37	-3.68	1.17	2.03	5.54
Net Commission	0.31	-0.41	0.00	0.00	0.31	-0.41
Expenses of Management	2.62	3.06	0.32	0.36	2.94	3.42
Decrease/Increase in Reserve for Unexpired Risk	2.43	-0.75	0.08	-0.08	2.51	-0.83
Investment and other Income	2.78	1.93	0.29	0.41	3.07	2.34
Foreign Exchange Gain/Loss	-0.43	0.44	-4.29	7.90	-4.72	8.34
Net Profit (+)/Loss (-)	6.30	6.28	-0.72	6.71	5.58	12.99

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS:

Rural & Social Sector obligations and achievements with details in respect of the year 2009-10 are furnished herein below :

Year	Total Gross Premium under written in India (Rs. in Cr.)	Policies u/w in Rural Areas (in nos.)	Gross Premium u/w in Rural Areas (Rs. in Cr.)	% of Rural business to total GDPI (Col 4/2x100)	Whether Rural Sector stipulations met? Yes/No	No. of Lives covered in the Social Sector	Whether Social Sector stipulations met? Yes/No
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	4625.17	1531337	328.21	7.10	Yes	2939110	Yes

ORGANISATIONAL SET UP:

Total number of ROs, DOs, BOs & DABs and Business Centres as on 31st March 2010 :

ROs	24
DOs	315
BOs & DABs	627
BCs	254
Total	1220

INTRODUCTION OF INCENTIVE SCHEME :

- To encourage business growth from agency channel revision has been made to the

Incentive/Reward scheme for agents in which, based on premium volume, business growth, incurred claim ratio and other parameters the agents will be eligible for Package Tour for 3 nights and 4 days for self and spouse which can also be extended to visit Foreign countries as well.

- Prize schemes for agents were for selling Private cars, Two-wheelers and Commercial vehicles were launched during July 2009, September 2009 and February 2010.

Programmes :-

- Zone wise meet of Star performers among

- आईआरडीए के नये एजेंसी पोर्टल पर क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं।
- ब्रोकर्स के साथ मेट्रो एवं अन्य प्रमुख शहरों में बैठक का आयोजन किया गया।
- एनजीओ, एसएचजी, एमएफआई, माइक्रोइन्श्योरेंस एजेंट एवं चुनिंदा प्रचालन कार्यालयों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- कार्पोरेट व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ अधिकारियों में मार्केटिंग एवं संप्रेषण कौशल की वृद्धि करने के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रारंभ किये गये कार्य:

1. 254 व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना इस आशय से की गई कि बीमा से वंचित क्षेत्रों से व्यवसाय को प्राप्त किया जा सके। इन केन्द्रों पर रिटेल एवं व्यक्तिगत क्षेत्र के बीमा व्यवसाय में विकास होगा, इसके अतिरिक्त नये ग्राहकों को उनके दरवाजे पर उत्तम सेवाएं उपलब्ध होंगी।
2. मोटर व्यवसाय के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अभिकर्ताओं के लिए प्राइवेट कार, दुपहिया वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए पालिसी बेचने पर जुलाई 2009, सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2010 में पुरस्कार योजनाएं आरंभ की गईं जिसके परिणामस्वरूप इस सेगमेंट में वृद्धि हुई। उन अभिकर्ताओं, जिन्होंने सफलता हासिल की, को प्रोत्साहन दिये जा चुके हैं।
3. व्यवसाय लक्ष्य निर्धारण हेतु मई 2009 में क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया तथा दिसम्बर 2009 में क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के शेष समय में 20% की वृद्धि परिलक्षित हुई।
4. प्रभारी कार्यपालकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया गया जिससे उन्होंने वर्ष के शेष बचे चार महीनों में जोनल/क्षेत्रीय बैठक एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन को सूक्ष्मता से मानिटर किया।
5. वर्तमान छह कार्यालयों को संभावित व्यवसाय क्षेत्रों में पुनःस्थापित किया गया।
6. रिटेल व्यवसाय में वृद्धि के लिए वर्ष के दौरान स्टार एजेंट/विकास अधिकारी एवं प्रशा. अधि.(विकास)/ सहायक प्रबंधक(विकास) के साथ क्षेत्रवार बैठक का आयोजन किया गया तथा बेहतर निष्पादनकर्ता को पुरस्कृत किया गया। स्टार पर्फार्मर को निर्धारित किये जाने के मापदण्डों को लाभ के परिपेक्ष्य में पुनः परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
7. उत्तम श्रेणी के अभिकर्ताओं की नियुक्ति हेतु वर्तमान में कार्यरत अभिकर्ता एवं नवनियुक्त अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एजेंसी मैनेजर कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत पाँच प्रचालन कार्यालयों में एजेंसी मैनेजर कोआर्डिनेटर को तैनात किया गया है ताकि एजेंसी सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।
8. मार्केट की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों को और अधिक कार्यकारी प्राधिकार सौंपे गये हैं।
9. आईआरडीए द्वारा जनवरी 2010 से नये एजेंसी पोर्टल की शुरुआत की गई है अतः नये पोर्टल द्वारा लाइसेंसिंग विषय पर क्षेत्रीय कार्यालय के नामित व्यक्ति एवं अन्य कर्मचारियों के लिए क्षेत्रवार व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात आईआरडीए के नये पोर्टल के द्वारा लाइसेंस जारी करने के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
10. आरएनटीबी व्यवसाय की मानिटरिंग एवं ग्रामीण बीमा के विकास के लिए एक एक्सक्लूसिव वर्टिकल का निर्माण प्रधान कार्यालय में किया गया।
11. ग्रामीण बीमा के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक क्षेत्र से बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 39 गाँवों का चयन किया गया है।
12. मारुति टाई-अप से संतुलित एवं लाभकारी वृद्धि के लिए यह निर्णय लिया गया कि जहाँ मारुति टाई-अप के व्यवसाय के लिए एक से अधिक कार्यालय कार्य कर रहे हैं, वहाँ मारुति व्यवसाय को एक स्थान पर केन्द्रित किया जाय। इसी कड़ी में दिल्ली में दो व्यवसाय हब्स

Agents, Development Officers, Administrative Officers (Development) and Assistant Managers (Development).

- Zone wise training programmes and workshops on the new Agency Licensing Portal of IRDA.
- Brokers interaction meet was held at Metro and other major Cities.
- No. of Workshops were conducted for NGOs, SHGs, MFIs, Micro Insurance agents and selective operating offices.
- Two Workshops were conducted to develop the marketing and communication skill of identified Officers for development of Corporate business.

ACTIONS INITIATED:

1. A total no. of 254 Business Centres have been opened by the Company to procure business from largely unrepresented areas. These Centres will be developing mostly retail and personal line of insurance business, besides ensuring better services to large segment of new clients at their doorstep.
2. To give a thrust to increase our Motor business portfolio, Prize schemes for Agents for selling two wheelers, private cars and commercial vehicles have been announced in July 2009, September 2009 and February 2010 which has resulted in growth in this segment. Incentives have been released to the agents who have qualified for the same.
3. Meet for Regional In-charges was held in May 2009 for target fixation and a comprehensive review meeting with the Region In-charges was held in December 2009 in which discussion on strategies were held and specific action plan was worked out to achieve growth at par with Industry's growth. This has resulted in more than 20% growth in the balance period of the year.
4. Role of overseeing executives were made more effective and they have monitored the performance of Regions more closely in the balance four months of the year through Zonal/ Regional meetings and Video Conferences etc.
5. Six existing offices were relocated to potential business areas.
6. In order to encourage the growth in retail business, Zone wise Star development officers, Star AO(D)s/AM(D)s' Meets and Star Agents' Meets were also held during this year and the Star performers were felicitated. It has also been decided to redefine the parameters of adjudging the star performers with the thrust on generating reasonable profit.
7. To recruit quality Agents, to impart continuous training to existing as well as newly recruited Agents and also to provide adequate support to Agency Force, each Region posted Agency Manager Coordinator at Regional Office and also identified five operating offices under each Region and posted Agency Managers in such offices to cater exclusively to the needs of Agency Force.
8. Regional In-charges have been delegated with more functional authorities to face the challenges of cut-throat competition in the market.
9. Since IRDA launched a new portal for agency licensing from January 2010, comprehensive training programmes on licensing through the new portal were organized for the Regional designated persons and other officials on zonal basis. This was followed by workshops on issue of licences through the new IRDA Portal.
10. An exclusive vertical for Rural insurance business development was created at Head Office for monitoring RNTB business.
11. 39 villages under various Regions were adopted for popularization of Rural business and business emanating from Social Sector.
12. To focus on balanced and profitable growth of business from Maruti tie-up, it was decided to consolidate the business operation of Maruti tie-up in major Cities, where more than one offices were involved in business procurement and servicing. Accordingly, two dedicated business hubs in Delhi were set-up. This measure has facilitated us to augment the business from tie-

की स्थापना की गई। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें प्रभावी दावा प्रशासन एवं प्रबंधन के अलावा टाई-अप के व्यवसाय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

13. ग्रामीण भारत के एनजीओ संगठनों के लगभग 6000 सदस्यों को माइक्रो इन्श्योरेंस एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती किया गया। इसके अतिरिक्त माइक्रो इन्श्योरेंस एजेंट के रूप में 1320 अन्य एनजीओ/एसएचजी/एमएफआई को नियुक्त किया गया। ग्रामीण एवं माइक्रो बीमा व्यवसाय की वृद्धि को मानिटर करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक समन्वयकर्ता की नियुक्ति की गई।
14. हमारी कम्पनी ने स्नेज-सहज ए विलेज लि. के साथ एक करार किया है जिसके तहत माइक्रो इन्श्योरेंस उत्पाद को छह राज्यों के उनके 24755 बाजारों से बेचा जायेगा तथा पश्चिम बंगाल में कुछ चयनित बाजारों में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किये जा चुके हैं।
15. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय ने एक एनजीओ से किये गये करार के तहत माइक्रो इन्श्योरेंस से रू.4.61 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया है।
16. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकतम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत मंत्रालय से स्टेटमेंट आफ इंटेन्ट के अन्तर्गत 805351 व्यक्तियों को आवरित किया जबकि इसमें 500000 को आवरित किया जाना था।
17. वर्तमान वित्तीय वर्ष में एसएमई फोकस को मजबूत करने के लिए इस सेक्टर के व्यवसाय के विकास के लिए 125 से अधिक कार्यालयों को चिह्नित किया गया।
18. कार्पोरेट व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ अधिकारियों में मार्केटिंग एवं संप्रेषण कौशल की वृद्धि करने के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
19. पाँच मेट्रो/प्रमुख शहरों में ब्रोकर्स के साथ बैठकें आयोजित की गईं जिसमें बहुत से भारतीय एवं मल्टीनेशनल ब्रोकर्स ने भाग लिया। ब्रोकर्स के साथ इस तरह की बैठकें हमारे कार्य का एक हिस्सा हैं तथा इसे सभी प्रमुख केन्द्रों जैसे चेन्नई, अहमदाबाद एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर मजबूत किया जायेगा।

रणनीतिक गठबंधन विभाग की गतिविधियां:

बीमा उद्योग में कम्पनी रणनीतिक गठबंधन के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रही। 31 मार्च, 2010 तक मारुति, हीरो होण्डा, मेग्मा एसआरआई, टाटा मोटर्स, होण्डा सिएल एवं बैंकाश्योरेंस के साथ रणनीति गठबंधन से कुल 4.12% की वृद्धि के साथ रू.1104 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त हुआ। वर्ष 2009-10 में रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय कुल जीडीपीआई व्यवसाय का 24% था।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में कम्पनी ने दो प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ टाई-अप किया जिनसे चतुर्थ तिमाही से प्रीमियम कुल जीडीपीआई में क्रमशः रू.5.31 करोड़ तथा रू.11.70 करोड़ था। वर्ष के दौरान वाहन निर्माता दो प्रमुख कम्पनियों मारुति एवं हीरो होण्डा के साथ टाई-अप से रू.641.25 करोड़ तथा रू.166.25 करोड़ प्राप्त हुए जबकि यह व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2008-09 में क्रमशः रू.6.80 करोड़ एवं रू.137.48 करोड़ था। हीरो होण्डा के व्यवसाय में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय में 17% की वृद्धि के साथ रू.231.78 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

पाँच प्रमुख बैंकों, जिन्होंने बैंकाश्योरेंस व्यवसाय में योगदान दिया, के अलावा विभाग ने पाँच नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी से जोड़ा जिससे कुल बैंकों की संख्या अब 34 हो गई है। इस प्रकार कम्पनी के टाई-अप किये गये कुल बैंकों की संख्या 39 हो गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंको से वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त प्रीमियम बढ़कर 34.54% की वृद्धि के साथ रू.16.32 करोड़ हो गया जो पिछले वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू.12.13 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रणनीतिक गठबंधन प्रबंधन विभाग ने कुछ प्रमुख कार्य प्रारंभ किये जो निम्नवत हैं:

- मारुति व्यवसाय के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रासेस कन्ट्रोल उपायों को लागू करके एवं व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार

up besides ensuring effective claims administration and management. Similar consolidation shall be carried out in various other cities in the ensuing year.

13. More than 6000 members of Confederation of NGOs' of Rural India (CNRI) were inducted to work as Micro Insurance Agents, besides recruitment of 1320 other NGOs/SHGs/MFIs as Micro Insurance Agents. Coordinator for each Region was identified to monitor orderly growth of Rural and Micro Insurance business.
14. Our Company entered into an agreement with Srei Sahaj e-village Limited to use their 24755 outlets across 6 States to sell Micro Insurance products and Pilot Project in selective outlets in West Bengal has already started.
15. Bangalore Region entered into an arrangement with an NGO to market and service the Micro Insurance products and have procured the premium of Rs.4.61 crore.
16. Initiated a drive to extend the benefits of UHIS to maximum number of BPL families and the Company has been able to provide the cover to 805351 persons against 500000 persons required to be covered in terms of Statement of Intent (SOI) finalized with the Ministry.
17. During the current fiscal SME focus was strengthened by identifying more than 125 offices to develop the business from this sector.
18. Two Workshops were conducted to develop the marketing and communication skill of identified Officers for development of Corporate business.
19. The Broker meets at five major Metros/Major Cities were attended by several Indian and Multinational Brokers. Such meets to develop the relationship with the brokers are part of an ongoing process and shall be strengthened further at all major centers viz. Chennai, Ahmedabad and other Regional centres.

ACTIVITIES OF THE STRATEGIC ALLIANCES DEPARTMENT

The Company has continued to be a pioneer in

Strategic Alliances in the industry. As on 31st March 2010, the total premium from the strategic alliances with Maruti, Hero Honda, MAGMA, SREI, Tata Motors, Honda Siel and Bancassurance business was Rs.1104 crore registering a growth of 4.12% on a revised base. The contribution of strategic alliance business to the total GDPI of the Company in the Financial Year 2009-10 is around 24%.

The Company has tied up with two major automobile manufacturers during the Financial Year 2009-10 namely Honda Siel and Tata Motors which started yielding premium from the fourth quarter of the financial year and contributed Rs.5.31 crore and Rs.11.70 crore respectively to the GDPI of the Company. The two major tie-ups with automobile manufactures namely Maruti & Hero Honda have procured a premium of Rs.641.25 crore and Rs.166.25 crore respectively during the Financial Year 2009-10 as against Rs.680 crore and Rs.137.48 crore respectively during the Financial Year 2008-09. The Hero Honda Business has grown by almost 21% over the previous Financial Year.

The existing Bancassurance business growing at a rate of 17% has generated a premium of Rs.231.78 crore during Financial Year 2009-10.

Apart from the 5 major banks which contributed to the most of the Bancassurance business, the department has augmented its portfolio of Regional Rural Banks/ Cooperative Banks by adding five new banks during the Financial Year 2009-10 taking the total to 34. Thus, the total number of banks tied-up with the Company up to 31st March 2010 is 39.

The business from the Regional Rural Banks/ Cooperative banks has grown to Rs.16.32 crore in the Financial Year 2009-10 as against Rs.12.13 crore during 2008-09 achieving a growth of 34.54%.

During the Financial Year 2009-10, the Strategic Alliances Management department has undertaken some new initiatives which inter-alia includes:

- Implementation of Process Control measures for better management of the Maruti Business and formation of six Maruti Business Hubs at Kochi, Jaipur, Bangalore, Chennai and two in



लाने के लिए कोच्ची, जयपुर, बंगलूर, चेन्नई एवं दिल्ली में दो मारुति व्यवसाय हब्स का निर्माण करके ग्राहकों को दिये जा रहे सहयोग में वृद्धि होने के कारण टाई-अप व्यवसाय में सुधार हुआ।

- नवम्बर एवं दिसम्बर, 2009 में बैकाशयोरेन्स माह का आयोजन किया गया।
- टाटा मोटर्स के व्यवसाय के टाई अप के लिए मुम्बई में सैम-सी (SAM-C) का बनाया जाना।

प्रचार गतिविधियां :

वर्ष 2009-10 नेशनल इन्श्योरेंस के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। कम्पनी ने अपने संदेश एवं उत्पादों के प्रचार के लिए प्रचार प्रसार के आधुनिक संसाधनों का प्रयोग किया। पारंपरिक एवं बीटीएल मीडिया को नेशनल की छवि को जनता तक पहुँचाने के काम में लगाया गया। पहली बार एनआईसी ने आन लाइन पोर्टल एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया। रिटेल उत्पाद एवं कार्पोरेट ब्रांड इसके प्रचार के प्रमुख केन्द्र रहे।

वर्ष का प्रारंभ लोगो की डिजाइन परिवर्तन से हुआ। पूर्व के लोगो के चार दशक के पश्चात ग्राहकों की रुचि एवं आन्तरिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नये लागो को बनाया गया। मोर के चिह्न को बरकरार रखा गया जो नेशनल के मूल्यों, सिद्धान्तों, एवं स्वस्थ परंपरा को दर्शाता है।

1 अप्रैल 2010 को एक समेकित आल इंडिया मल्टीमीडिया केम्पेन का आरंभ किया गया। एनआईसी वेबसाइट, आनलाइन पोर्टल, पत्रिका, समाचार पत्र सभी पर नई डिजाइन को प्रदर्शित किया गया। नये लोगो का प्रदर्शन पूरे भारत में 300 से अधिक बिल बोर्डों पर किया गया।

एनआईसी की स्थिर एवं स्वच्छ विजुअल ब्रांड पहचान बनाये रखने के लिए मानकीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। एक ब्रांड मैनुअल जिसमें कलर, टाइपोग्राफी एवं समस्त साधनों द्वारा संप्रेषण के उपलब्ध संसाधन को डिजाइन कर अनुपालन हेतु समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया गया।

अपने आन्तरिक ग्राहकों अर्थात् कर्मचारियों के लिए पूरे भारत के सभी 24 केन्द्रों पर एक आन्तरिक संप्रेषण योजना चलाई गई। प्रसिद्ध व्यावसायिक विद्यालयों के प्रोफेशनल्स द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया।

इस दौरान बीटीएल क्रिया कलाप जारी रहे जिसके अन्तर्गत विशेष कार्यक्रमों के बैनर लगाये गये तथ गेट बनाये गये। खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे मेला, प्रदर्शनी, वलकाथन्स, इंडोभूटान मित्रता मोटर कार रैली, क्रिकेट मैच, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं को स्पांसर किया गया जिसमें हमारे कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

क्षेत्रीय कार्यालयों ने ग्लोसाइन, बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशन, शापिंग माल, शिक्षण संस्थानों में नेशनल के संदेश को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया।

सामाजिक दायित्वों को पूरा करने सम्बन्धी किये गये विशेष प्रयास नेशनल के प्रचार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ संस्थानों जैसे हेलेन केलर अन्ध विद्यालय, अक्षम बच्चों के लिए प्रतिबन्धी कल्याण केन्द्र स्कूल, बांचबो आर्फनेज, सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए प्रसायन एनजीओ, शंकर इंस्टीट्यूट फार फिलासफी एवं कल्चर, नेहरू चिल्ड्रन म्युजियम, ओएनजीसी लीग फुटबाल को विशेष अवसरों पर स्पांसर किया गया।

पूजा पर्व के दौरान 200 से अधिक पंडालों पर एनआईसी के बैनर लगाये गये तथा इन सभी को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई।

हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने सरकार समर्थित पालिसियों यूएचआईएस (UHS), आरएसबीवाई (RSBY) के प्रचार प्रसार हेतु विशेष कार्य किया।

नेशनल इन्श्योरेंस ब्रांड के रूप में पूरे वर्ष छापी रही।

ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन:

वित्तीय वर्ष 2009-10 में लोगो के परिवर्तन के पश्चात हमने ग्राहक सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों यथा निर्बाध सेवा, त्वरित सेवा, दावा का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण, दस्तावेजों को जारी करना, तथा ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करना इत्यादि

New Delhi to streamline the business process and enhance customer support which has resulted in significant improvement in the tie-up business.

- Observance of Bancassurance Months during November and December 2009.
- Creation of SAM-C at Mumbai for catering to the tie-up business with Tata Motors.

PUBLICITY ACTIVITIES:

2009-10 was a significant year for National Insurance as the Company launched innovative and contemporary methods of Publicity and Advertising to disseminate its Message and advertise its products. A judicious blend of Traditional and BTL (below the Line) media were harnessed to register the name of National Insurance in the minds of the Target Audience. For the first time, NIC advertised on the popular Online Portals and Digital Media. Retail Products as well as the Corporate Brand formed the subject of advertisement.

The Year started with the Change in the Logo design. Four decades after the earlier logo was adopted, the New Logo with its bright and vibrant colours was introduced keeping in mind the changing Profile of the Customer as well as the internal changes being ushered in. However the symbol of the Peacock was retained indicating NIC's connection to its core values and principles and the continuity of its rich Tradition.

Befittingly a well integrated All India Multi media Campaign was launched on the 1st April 2010. National news dailies, magazines, signages in NIC Offices country wide, Online portals as well as the NIC Website carried the new design. The New Logo was also displayed in more than 300 Bill boards pan India.

To reinforce this concept of uniformity, a strict Standardisation exercise was introduced aimed at creating and maintaining a clear and consistent Visual Brand identity for NIC. A Brand Manual prescribing the colours, typography and other attributes of all communication through all medium, was designed and sent to all the Regional Offices for its strict adherence.

To orient the Internal Customer namely our employees to the new changes and interventions, an internal communication programme covering a cross section of employees in 24 centres throughout India, was executed. Professionals from eminent Business schools conducted these interfaces.

Meanwhile the BTL activity continued - Banners, Gates etc were displayed in eminent functions. Sports and Cultural Events such as Melas, Exhibitions, Walkathons, Indo Bhutan Friendship Motor Car Rally, Cricket Matches, Health Workshops, Quiz Competitions were sponsored. Employees also participated in these contests.

Regional Offices actively promoted NIC's message through Displays in Glowsigns, Bus Shelters Hoardings and LED Displays in Prime areas such as Railway Stations, Shopping malls, Educational Institutions.

A highlight of NIC's Publicity ventures in this year was the conscious effort to direct Promotional activities towards the objective of fulfilling Social Responsibilities. Sponsorship of events put up by organizations such as the Helen Keller Blind School, Pratibandhi Kalyan Kendra School for Challenged Children, Banchbo Orphanage, Prayasam NGO for underprivileged children, Sankara Institute for Philosophy & Culture, Nehru Childrens Museum, ONGC League Football, were some of these events.

Puja celebrations saw NIC banners displayed in more than 200 Puja Pandals as the Official Insurer, each of these Pandals having been insured with us.

Special emphasis was also given to Government supported policies such as the UHIS and the RSBY with our Regional Offices taking active steps in their propagation.

The National Insurance Brand made its presence felt throughout the year.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Unveiling of new Company logo with the commencement of fiscal year 2009-10 has re-

पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया। वर्ष के अन्त में हमारा दस्तावेज निस्तारण अनुपात 99.61% तथा दावा निस्तारण अनुपात 85.74% रहा।

विभिन्न माध्यमों जैसे आईआरडीए, मंत्रालय/डीजीपी से प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई। व्यक्तिगत एवं वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों

के साथ प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह में शिकायतों को निपटाने के लिए फेस-टू-फेस का एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। परिणामस्वरूप वर्ष में 88% शिकायतों का निपटारा किया गया।

31 मार्च 2010 तक शिकायत निवारण, दस्तावेज जारी करना, दावा (नानसूट) निस्तारण एवं अवधिवार लंबित नानसूट दावा विश्लेषण निम्नवत है :-

i) शिकायत निष्पादन

01 अप्रैल 2009 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2009-10 में सूचित शिकायतों की संख्या	2009-10 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च 2010 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2009-10 में शिकायतों के अनुपात %	2008-09 में शिकायतों के अनुपात %
291	2137	2131	297	88	85.94

ii) दस्तावेज प्रलेखन

01 अप्रैल 2009 को लम्बित कागजात की संख्या	2009-10 में प्रारम्भ किए गए कागजातों की संख्या	2009-10 में जारी कागजातों की संख्या	31 मार्च 2010 को लम्बित कागजात की संख्या	2009-10 में कागजात प्रलेखन का अनुपात %	2008-09 में कागजात प्रलेखन का अनुपात %
41,951	1,62,28,859	1,62,08,487	62,323	99.61	99.95

iii) दावा निस्तारण (नान सूट)

01 अप्रैल 2009 को लम्बित दावों की संख्या	2009-10 में सूचित दावों की संख्या	2009-10 में निपटान किए गए दावों की संख्या	31 मार्च 2010 को लम्बित दावों की संख्या	2009-10 में दावा निपटान का अनुपात %	2008-09 में कागजात प्रलेखन का अनुपात %
1,46,192	6,46,600	6,79,706	1,13,086	85.74	79.97

iv) 31 मार्च 2010 को लम्बित दावों का समयवार विश्लेषण-

30 दिन से कम	1 से 3 माह तक	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से यादा	योग
26,796	37,523	12,002	11,302	9,915	4,967	10,581	1,13,086

oriented our focus on customer service in the areas relating to hassle free processes, prompt services, fair and expeditious settlement of claim, issuance of documents and timely attending to the customers' grievances. Our documents clearance ratio as at the end of the year stood at 99.61% and claim settlement ratio at 85.74%.

Customers' grievances received through various sources including IRDA, Ministry/DPG were promptly attended. Grievances were reviewed

periodically with the different Regional Offices through video conferencing and personal interaction. *FACE 2 face* - a special grievance clearance campaign was also launched during the last two months of the financial year. Ultimate clearance for the year was around 88%.

The redressal of grievances, issuance of documents, claim settlement (non-suit) and age-wise analysis of number of ourstanding non-suit claims as on 31st March 2010 are given below:

i) Redressal of Grievances

Number of grievances outstanding as on 01/04/2009	Number of grievances reported during 2009-10	Number of grievances redressed during 2009-10	Number of grievances outstanding as on 31/03/2010	Grievance redressal ratio during 2009-10 (%)	Grievance redressal ratio during 2008-09 (%)
291	2137	2131	297	88	85.94

ii) Issuance of Documents

Number of documents reported pending as on 01/04/2009	Number of documents incepted during 2009-10	Number of documents issued during 2009-10	Number of documents pending as on 31/03/2010	Documentation ratio during 2009-10 (%)	Documentation ratio during 2008-09 (%)
41,951	1,62,28,859	1,62,08,487	62,323	99.61	99.95

iii) Claim Settlement (Non-suit)

Number of claims outstanding as on 01/04/2009	Number of claims reported during 2009-10	Number of claims settled during 2009-10	Number of claims outstanding as on 31/03/2010	Claim settlement ratio 2009-10 (%)	Claim settlement ratio 2008-09 (%)
1,46,192	6,46,600	6,79,706	1,13,086	85.74	79.97

iv) Age-wise analysis of number of outstanding non-suit claims as at 31st March 2010

30 days or less	1 month to 3 months	3 months to 6 months	6 months to 1 year	1 year to 3 years	3 years to 5 years	More than 5 years	Total
26,796	37,523	12,002	11,302	9,915	4,967	10,581	1,13,086

सूचना का अधिकार :

लगातार बढ़ते हुए आवेदनों की संख्या इस बात का संकेत दे रही है कि हमारे पालिसी धारकों एवं कर्मचारियों में अधिनियम के प्रावधान के बारे में जागरूकता आई है। प्राप्त आवेदनों का

प्रभावी तरीके से निस्तारण करते हुए प्रथम दृष्टया 90% मामलों में सूचनाएं प्रदान की गईं जब कि 79% अपील केसों का निस्तारण किया गया। प्राप्त आवेदन/अपील एवं उनके निस्तारण का तुलनात्मक आंकड़ा निम्नवत है :

क्र. सं.	आवेदन	2009-10	2008-09
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	1018	758
2.	सूचना दिये गये मामलों की संख्या	918 (90%)	671 (88.5%)
3.	जिन मामलों में सूचना देने से मना किया गया	100	87
अपील			
1.	प्राप्त अपीलों की संख्या	171	94
2.	सूचना माँगने वालों के पक्ष में निस्तारित की गयी अपीलों की संख्या	135 (78.9%)	66 (70.21%)
3.	जिन अपीलों में सूचना देने से मना किया गया	32	28
31.03.2010 तक 4 अपीलों लंबित सीआईसी मामलों			
	अपील/शिकायतों की संख्या	20	20
	खारिज केस	5	9
	सूचना माँगने वाले के पक्ष में निर्णीत केस	15	11

संगठन द्वारा पारदर्शिता के स्तर को सूचना माँगने वालों को सूचनाएं प्रदान करने के परिपेक्ष में स्पष्टतया दिखाया गया है। केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष केवल 20 अपील केस फाइल किये गये जो सूचना ऐसे नागरिकों की संतुष्टि के स्तर को दर्शाता

है। इन अपीलों में से 5 खारिज हुईं तथा शेष में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया।

लगातार शिक्षण योजना के अंग के रूप में वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आरटीआई पर एनसीआईएल, नरेन्द्रपुर में 10 सत्रों का आयोजन किया गया।

मानव संसाधन :

1. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान कम्पनी के कर्मिकों की संख्या में हुई वृद्धि

2. कम्पनी के कर्मिकों की संख्या में शुद्ध वृद्धि

श्रेणी	कर्मिकों की संख्या
I	4881
II	विपणन प्रशासनिक 636
III	7204
IV*	2040
कुल	15895

श्रेणी	कुल	अजा	अजजा	अपिजा	शा वि	भूसै
I	135	18	10	28	5	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
कुल	135	18	10	28	5	-

*श्रेणी IV के कर्मचारियों में 32 अंशकालिक सफाई कर्मचारी हैं।

RIGHT TO INFORMATION:

Progressive increase in no. of applications over the years indicates the increased level of awareness as regards the provisions of the Act mainly almost our Policyholders and Employees. Request so submitted were effectively dealt with by providing

information in amongst 90% of cases in first instance only, whereas 79% appeals were disposed favourably. Comparative figures in respect of receipt of applications/appeals and their disposal are provided below:

Sl. No.	Applications	2009-10	2008-09
1.	No. of requests received	1018	758
2.	No. of cases where information provided	918 (90%)	671 (88.5%)
3.	No. of requests where information was denied	100	87
Appeals			
1.	No. of Appeals received	171	94
2.	No. of Appeals disposed in favour of information seekers	135 (78.9%)	66 (70.21%)
3.	No. of Appeals where information was refused	32	28
4 Appeals pending as on 31.03.2010			
CIC Cases			
	No. of appeals/complaints	20	20
	Cases dismissed	5	9
	Cases decided in favour of Information seeker	15	11

The level of transparency being maintained in the organisation is clearly depicted through large no. of cases decided in favour of information seekers. Lower no. of appeals precisely 20 in no. filed before Central Information Commission also show significant level of satisfaction amongst the citizens adopting the recourse for seeking information

through this Act. Out of these appeals, 5 were dismissed, whereas in rest of the cases directions given were complied with.

As part of continuous education programme, ten sessions were held at National Centre for Insurance Learning, Naendrapur on RTI during the year for different batches of trainee officers.

HUMAN RESOURCES :

1. Class wise employees strength as on 31st March 2010

Class	No. of Employees
I	4881
II Marketing	1134
Administration	636
III	7204
IV *	2040
TOTAL	15895

* Class-IV staff strength includes 32 Part-time sweepers.

2. Net addition to the work force of the Company

Class	Total	SC	ST	OBC	PWD	Ex-serv
I	135	18	10	28	5	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
TOTAL	135	18	10	28	5	-



अनु.जाति/जनजाति, पिछड़ावर्ग, पीडब्ल्यूडी, एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी कार्य :

पदों के आरक्षण में बढ़ोत्तरी,नियुक्ति में आयुसीमा में छूट तथा अनु. जाति/जनजाति की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

ओबीसी की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार अपंग व्यक्तियों के लिए लागू प्रावधानों को कम्पनी में लागू किया जा रहा है।

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों को एनआईए,पुणे प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण दिलाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिकाधिक संख्या में अनु. जाति/जनजाति /ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित कर प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. बूटा सिंह, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों सहित कम्पनी में लागू नीतियों की समीक्षा हेतु प्रधान कार्यालय कोलकाता का दौरा किया गया।

मानव संसाधन विकास :

मानव संसाधन विकास की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2009-10 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। यह वह वर्ष था जिसने हमें अपनी आन्तरिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सोचने पर बाध्य किया जिसके अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गये। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मिकों में कम्पनी के लक्ष्य के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया गया।

जिसका प्रमुख उद्देश्य बेहतर प्रचालन एवं ग्राहक आधारित संगठन का निर्माण करना था।

कम्पनी की मानव संसाधन सम्बन्धी आवश्यकताएं लगातार परिवर्तित हो रही हैं तथा एचआरडी कर्मिकों के कौशल में विकास, प्रेरणा एवं उनके दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से

कम्पनी को अपना अधिकतम योगदान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस वर्ष का प्रारंभ वर्ष 2006-07 के स्पेशल एचीवर्स के लिए एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम से प्रारंभ हुआ। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 9 सुपर एचीवर्स (मण्डल/शाखा प्रमुख) का पहला बैच शैक्षणिक भ्रमण पर सिंगापुर गया। उन्होंने विश्वस्तर की पुनर्बीमा कम्पनियों जैसे एशिया कैपिटल री,एलायंज री,एससीओआर एवं अन्य की कार्यप्रणाली का अनुभव किया। इस दौरे की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई थी कि जिससे प्रतिभागियों को विश्व बीमा मार्केट की गतिविधियों की जानकारी तथा बीमालेखन,जोखिम आंकलन,दर एवं जोखिम नियंत्रण का विश्लेषणात्मक अनुभव हो सके। जोखिम प्रबंधन एवं टेक्नो प्रोजेक्ट का विस्तृत अध्ययन इस दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

इस कार्यक्रम से रणनीतिक सोच को विकसित करने में मदद मिली जिससे व्यवसाय प्रचालन के कठिन क्षणों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ। सुपर एचीवर्स को प्रेरित एवं चिह्नित करने का यह उद्देश्य दूसरों के लिए प्रेरणाश्रोत का कार्य करेगा।

इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश से अपने अधिकारियों को विशिष्ट बीमा प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं आईटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनआईए पुणे, में नामित किया। वर्ष के दौरान **एनआईए पुणे** में प्रशिक्षण के लिए लगभग **400 अधिकारियों** को नामित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा को इस प्रकार तैयार किया गया ताकि हमारे अधिकारियों में वर्तमान मार्केट के अनुसार कार्य पद्धति को अपनाने हेतु कौशल का विकास किया जा सके।

एनसीआइएल (NCIL) प्रशिक्षण केन्द्र, नरेन्द्रपुर में पिछले वर्ष की भाँति प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहे। वर्ष 2009-10 के दौरान हमारे अधिकारियों को विभिन्न डोमेन से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाये गये। कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

पदोन्नति प्रक्रिया 2009-10 के पूर्व इस वर्ष भी अनु.जाति/जनजाति के लिए देश के विभिन्न केन्द्रों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। कुल **472** अधिकारियों द्वारा यह प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

WELFARE OF SC/ST/OBC/PWD/ EX-SERVICEMEN

The guidelines of Government on extending reservation of posts, relaxations of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST categories are being followed. The guidelines issued by the Government in reservation for OBCs in recruitment are followed. The provisions governing Persons with Disabilities are being implemented as required.

The Company conducted a workshop on implementation of Reservation Policies for Liaison Officers for SC/ST at Jabalpur in August 2009.

Pre promotion training programme are being conducted for SC/ST employees. The officers were trained at Learning Centre and at NIA, Pune, the number of SC/ST/OBCs officers were adequate. Adequate participation of SC/ST/OBCs employees was also ensured at the training programmes organized at various Regional Training Centres.

Hon'ble Chairman of the National Commission for Scheduled Castes, Dr. Buta Singh alongwith Vice Chairman and Member paid a visit and reviewed implementation of reservation policies in the Company.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The financial year 2009-10 has been a landmark year from the HRD perspective. It was a year which required us to meet the challenges of introducing change internally and inspire and motivate the human assets and sensitize them to the Company's projected goals and the several new age initiatives that have been taken in the process of change management. All training during the financial year 2009-10 was directed to inspiring awareness and motivation internally towards fulfilling the corporate goals of the Company.

The objective was to achieve operational excellence and promote a customer centric organizational outlook.

The HR needs of the Company are changing by the day and HRD is playing a key role in

developing the skill sets and motivation levels of the human assets of the Company to help them contribute more meaningfully in their regular activities.

The year started with the implementation of the Advanced Management Programme for Special Achievers 2006-07. The first batch comprised of **9** Super Achievers (DO / BO heads) visited Singapore at the beginning of the new financial year on an educative tour. They experienced the workings of globally renowned reinsurance companies like Asia Capital Re, Allianz Re, SCOR and others. The tour was drawn up in such a fashion so as to give exposure to the participants to global insurance market practices with an in-depth look at analytical aspects of underwriting, risk evaluation, pricing and risk minimization. A detailed study of risk management and techno projects (incl nuclear projects) insurance was also part of the same.

It helped to develop and cultivate strategic thinking and to sensitize them on the criticality of decision making in insurance operations as followed globally. The objective to motivate and recognize super performances with just rewards which would act as a benchmark for other to strive and achieve.

In addition to this we continued to nominate our officers from all over the country to undergo specialized insurance domain, management and IT based training programmes at **NIA, Pune**. About **400 officers** were nominated for training at NIA during the year. The training programmes were identified in a manner best suited to benefit our officers dealing with work processes and development of skills as per today's market needs.

At NCIL Training Centre, Narendrapur, the training activities continued as per previous years, our officers were trained in various domain related and functional areas during the year 2009-10. Separate Training programmes were held at RO level at RTCs/ATCs for employees and Agents.

This year pre-promotional training was held for SC/ST officers at venues around the country before the promotional exercise 2009-10. A total of **472** officers received this training.

वर्ष के दौरान प्रसिद्ध वित्तीय एवं प्रबंधन संस्थानों जैसे आइएफएमआर (IFMR) चेन्नई, इंडियन बिजनेस स्कूल, कोलकाता, बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, नोयडा, हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कोलकाता से 8 व्यक्तियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिलाया गया। इसके अतिरिक्त हमारे हैदराबाद कार्यालय में आईआरडीए (IRDA) के कुछ अधिकारियों ने फेमिलियराइजेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रसिद्ध बाहरी संस्थानों एवं संगठनों जैसे कलकत्ता मैनेजमेंट एसोसिएशन (CMA), एनआईए पुणे, सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद, स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, आईआईएम शिलांग, सीआईआई नौरोजी गोदरेज आफ

एक्सीलेंस, मुम्बई, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बंगलूर, द्वारा आयोजित प्रशिक्षण,सेमिनार एवं कार्यशालाओं में कार्मिकों को नामित किया गया।

हमारी गृह पत्रिका,नेशनल इन्श्योरेंस न्यूज (NIN), कम्पनी के प्रबंधन एवं कार्मिकों के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण मंच है। आन्तरिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किये गये। पत्रिका का पहला अंक (अप्रैल2009) कम्पनी की परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों पर आधारित था तथा दूसरा अंक (अक्टूबर 2009) कम्पनी के सर्वोच्च व्यवसाय निष्पादकों की गतिविधियों पर आधारित था।

प्रशिक्षण आंकड़े – 2009 - 10	
एडवान्सड मैनेजमेन्ट प्रोग्राम, सिंगापुर	
	<i>प्रतिभागियों की संख्या</i>
सुपर एचीवर्स 2007-08 के लिए पुरस्कार योजना (सर्वश्रेष्ठ निष्पादक मंडल/शाखा प्रबंधक)	9
नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी (एनआईए), पुणे	
	<i>प्रतिभागियों की संख्या</i>
श्रेणी - I के अधिकारी	412
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला आदि	
	<i>प्रतिभागियों की संख्या</i>
श्रेणी - I के अधिकारी	33
अ.जा/अ.ज.जा अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण	
	<i>प्रतिभागियों की संख्या</i>
श्रेणी - I के अधिकारी (श्रेणी I से श्रेणी IV)	472
एन.सी.आई.एल/आरटीसी/एटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	<i>प्रतिभागियों की संख्या</i>
श्रेणी - I	1373
श्रेणी - II	148
श्रेणी - III	1423
श्रेणी - IV	625
अभिकर्ता	6797

During the year, **8** summer trainees were inducted on internship from reputed financial and management institutions namely IFMR, Chennai, Indian Business School, Kolkata, Birla Institute of Management Technology, Noida, Heritage Institute of Technology, Kolkata. In addition, a few officers from IRDA also received familiarization training in our Hyderabad office.

Several officials were also nominated for training, seminars and workshops by reputed external institutes and organizations namely Calcutta Management Association (CMA), NIA, Pune, CBI Academy, Ghaziabad, State Bank of India Staff

Training College, IIM Shillong, CII Naoroji Godrej Centre of Excellence, Mumbai, Institute of Public Administration, Bangalore among others.

The house magazine, National Insurance News (NIN) is considered a very important communication platform for exchange of views between the management and our internal audience. As part of our internal communication initiative 2 issues of the magazine were brought out during the financial year. While the first issue of the magazine (April 2009) focused on the change initiative of the Company the second issue (October 2009) focused on recognizing Super Achievers in the Company.

Training Statistics – 2009-10	
Advanced Management Programme, Singapore	
	<i>Nos. of participants</i>
<i>Reward Programme for Super Achievers 2007-08 (best performing DMs/BMs)</i>	9
National Insurance Academy (NIA) , Pune	
	<i>Nos. of participants</i>
<i>Class – I Officers</i>	412
External Training programmes / Seminars / Workshops etc.	
	<i>Nos. of participants</i>
<i>Class – I Officers</i>	33
Pre-promotional Training for Sc / ST Officers	
	<i>Nos. of participants</i>
<i>Class – I Officers (Scale I to Scale IV)</i>	472
Training Programme at NCIL / RTC / ATC	
	<i>Nos. of participants</i>
<i>Class – I</i>	1373
<i>Class – II</i>	148
<i>Class – III</i>	1423
<i>Class – IV</i>	625
<i>Agents</i>	6797



राजभाषा कार्यान्वयन:

पूर्व की भाँति इस वर्ष भी हमें भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, प्राप्त हुआ। कम्पनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के हर संभव उपाय किये गये। इस कार्यक्रम को सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के सभी विभागों को अनुपालन हेतु भेजा गया। कार्यशालाओं के आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया।

हिंदी दिवस/ सप्ताह का आयोजन प्रधान कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अत्यन्त धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा प्रतिभागियों को अपना काम काज हिन्दी में करने के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत हिंदी लेखों को राजभाषा गृह पत्रिका बीमा वार्ता में प्रकाशित किया गया।

राजभाषा नीति का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण किया गया एवं समीक्षा रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुपालन हेतु भेजी गई।

इस वर्ष “बीमा वार्ता” का द्वितीय अंक प्रकाशित कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया। हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया जिसमें से कुछ पत्रिकाओं को संबंधित नराकास द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

इस वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 30.12.2009 को हमारे बड़ोदरा क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2010 को दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 का निरीक्षण किया गया। श्री सुरेद्र मोहन नय्यर, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2010 को प्रधान कार्यालय, कोलकाता का निरीक्षण किया गया। श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), कोलकाता द्वारा प्रधान कार्यालय का दिनांक 13 जनवरी, 2010

को राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणकर्ताओं द्वारा अपनी रिपोर्ट में कम्पनी में राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की गई है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमें राजभाषा संबंधी निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा हमारे प्रधान कार्यालय को राजभाषा क्रियान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) तथा हमारी राजभाषा गृह पत्रिका बीमा वार्ता को उत्तम पत्रिका का पुरस्कार प्रदान किया गया।
2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं में प्रधान कार्यालय, कोलकाता के श्री मनीष कुमार मल्लिक, प्रशा. अधिकारी (हिंदी भाषी वर्ग) एवं श्री सुमन कुमार पाल, प्रशा. अधिकारी (अहिंदी भाषी वर्ग) को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
3. चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय-2 अंतर्गत बड़ी ब्रह्मणा शाखा कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र) द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी :

अ. इंटरप्राइज आर्किटेक्चर सोल्यूशन फार इंश्योरेन्स :

कम्पनी ने माड्यूलर एवं वेब आधारित केन्द्रीयकृत सोल्यूशन के विस्तार के लिए ईएएसआई (EASI) नामक एक नये आईटी कार्यक्रम का विकास किया है।

ईएएसआई 7 वर्षों का प्रोजेक्ट है जिसमें ईजी सिस्टम इंटीग्रेटर में.एचसीएल टेक्नालाजीज को 19 एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, बिल्डअप डाटा सेन्टर, डिजास्टर रिकवरी सेन्टर, एवं नियर साइट को मेन्टेन एवं लागू करने हेतु अधिकृत किया गया। कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स, कोर इंश्योरेन्स सोल्यूशन के रूप में इबीएओ, सीआरएम सोल्यूशन के रूप में सिबल, इंटरप्राइज एकाउण्टिंग के लिए ओरेकिल फाइनेंशियल, डीएमएस के रूप में डाक्यूमेंट्स, समन्वित

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

Recurrent to previous years, this year too, we have received an Annual Programme on Official Language Implementation from the Ministry of Home affairs, Official Language Department, New Delhi, laying out targets on different issues of Official Language Implementations. Towards attainment of these targets we have undertaken all possible measures by way of re-constructing Annual Programme contemporaneous to Company's requirements. This was then forwarded to all our Regional Offices and all 19 departments of Head Office. Frequent endeavors like organizing Hindi Workshops and training programmes were undertaken to ensure achievement of targets laid down in the said Annual Programme.

Further, Hindi Day/Week was celebrated with great zest in Head Office and all our offices throughout India. On this occasion various competitions were organized and a number of enthusiastic participants were awarded to promote use of Hindi in day-to-day desk work. Awarded Hindi essays were published in the subsequent issue of House Magazine.

To ensure proper implementation of Company's Official Language Policy, inspections of 20 out of 24 Regional Offices were carried out by Head Office and a detail review on such inspection reports were sent to concern ROs for compliance.

During this year half yearly issues of Hindi House Magazine, "**Beema Varta**" were published by Head Office and distributed amongst all Regional Offices. Hindi Magazine were also published at our Regional Office level and some of them were appropriately awarded by the concerned TOLIC.

During this financial year, the Drafting and Evidence sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language visited our Barodara Regional Office on 30th December 2009. The Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language conducted an inspection of our Delhi Regional Office-I on 12th February 2010. Sri Surendra Mohan Nayyar, Joint Director (Official Language), Financial Services Department, Ministry of Finance carried out an intensive inspection on

25th March 2010, to ascertain the level of Official Language Implementation at our Head Office. Sri Rakesh Kumar, Deputy Director (Implementation), Kolkata also inspected our Head Office on Official Language Implementation on 13th January 2010. In their Reports, the respective Inspection Committees have appreciated our endeavour towards effective implementation of Official Language in the Company.

During the financial year we have received following Prizes/Awards pertaining to Official Language:-

1. The Town Official Language Implementation Committee (PSU) Kolkata awarded its Rajbhasha Shield (2nd prize) to our Head Office for the Official Language Implementation and have bestowed us with its Uttam Patrika Puroshkar for our House Magazine – Beema Varta.
2. Head Office has also bagged two more prizes for Hindi Essay Writing Competition organized by TOLIC Kolkata – Sri Manish Kumar Mallick, A.O. got 2nd prize (Hindi Speaking Group) and Sri Suman Kumar Paul, A.O. got 3rd prize (Non-Hindi Speaking Group).
3. Our Bari Brahmna Branch Office under CHRO-II has been awarded 2nd prize for efficient implementation of Official Language by Regional Implementation (North), Official Language Department, Government of India.

INFORMATION TECHNOLOGY

A. Enterprise Architecture Solution for Insurance (EASI)

The Company has embarked on a new IT initiative for deploying a modular and web based centralized solution known as Enterprise Architecture Solution for Insurance (EASI).

EASI is a project for 7 (seven) years wherein M/S HCL Technologies, the EASI System Integrator has been mandated to implement and maintain a stack of 19 integrated application portfolios, build up Data Center, Disaster

एचआरएमएस सह पे रोल के रूप में पिपुल साफ्ट, आरेकिल पोर्टल, बीपीएम वर्कफ्लो के रूप में ओरेकिल बीपीएम स्यूट, डाटा वेयरहाउसिंग के लिए ओरेकिल टूल्स, ओरेकिल से रिपोर्टिंग एवं इंश्योरेन्स ,रेटिंग इंजन एवं कार्पोरेट पर्फार्मेंस मैनेजमेंट के लिए एसएएस इत्यादि को लागू किया जायेगा। ये सभी अप्लीकेशन एवं अन्य एक दूसरे के साथ वर्कफ्लो आधारित प्रक्रिया के द्वारा समन्वित होंगे जिससे सम्पूर्ण सोल्यूशन स्टेक में अत्यधिक लोचकता एवं परिवर्तन आयेगा।

क. डाटा माइग्रेशन एण्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट(UAT)- वर्तमान डाटा को नये सिस्टम में ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह कार्य प्रक्रियाधीन है तथा इसी के अनुसार नये सिस्टम हेतु यूएटी तैयार किये गये हैं। यूएटी को ले जाने हेतु टूल प्राप्त किया जा रहा है तथा इसके लिए टेस्ट केसों को तैयार किया जा रहा है।

ख. पे-रोल हब-केन्द्रीयकृत पे रोल को तैयार करने के लिए कम्पनी ने दो पेरोल हब बनाने की योजना बनाई है जिसमें एक कोलकाता में तथा दूसरा चेन्नई में। कोलकाता हब के द्वारा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र के कार्यालयों की आवश्यकताओं को तथा चेन्नई हब के द्वारा पश्चिमी एवं दक्षिण क्षेत्र के कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। ये हब क.क्षे.का.1 एवं चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में जून, 2010 से कार्य प्रारंभ कर देंगे। इससे सम्बन्धित डाटा को पूर्व में ही भेजा जा चुका है तथा पिपुल साफ्ट एचआरएम साफ्टवेयर के उपयोग से इन कार्यालयों के पैरलल रन को पूरा कर लिया गया है। ओरेकिल फाइनेंशियल के रोल आउट के पश्चात ये हब केन्द्रीयकृत लेखा हब के रूप में कार्य करेंगे।

ग. प्रिंट-टू-पोस्ट-नवीकरण नोटिस के प्रेषण हेतु एनआईसी डाक विभाग के साथ एक टाई-अप करने का प्रयास कर रहा है। इसके अन्तर्गत रिन्थूअल डाटा प्राप्त करना, प्रिंटिंग, एड्रेसिंग, फ्रेंकिंग,

डिस्पैचिंग एवं पालिसी धारकों को उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया शामिल है। नवीकरण डाटा वर्तमान व्यवसाय एप्लीकेशन एवं तत्पश्चात नये सिस्टम से लिया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए क.क्षे.का.-1 के कुछ कार्यालयों का चयन किया गया है।

घ. डाटा सेन्टर/डिजास्टर रिकवरी सेन्टर/नियर साइट : कोलकाता में डाटा सेन्टर तथा बेंगलूर में डिजास्टर रिकवरी सेन्टर सभी हार्डवेयर तथा अधिकतर साफ्टवेयर के साथ इन स्थानों पर लगा दिये गये हैं। हमारे सभी सिक्यूरिटी व नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल अप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सोल्यूशन एवं हमारे मेलिंग/मैसेजिंग सोल्यूशन, लोटस डोमिनो डाटा सेन्टर से सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रधान कार्यालय परिसर में नियर साइट सेन्टर बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।

ब. आईटी सम्बन्धी अन्य कार्य :

क. व्यवसाय केन्द्रों को जोड़ना-एनआईसी द्वारा सुदूर (रिमोट) स्थानों पर हाल ही में 254 व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की गई। इंटरनेट द्वारा व्यवसाय ट्रांजेक्शन के लिए आईटी विभाग ने इन केन्द्रों को उनके नियंत्रक कार्यालयों से सम्बद्ध करने में मदद की।

ख. मेलिंग/मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नये स्वरूप-लोटस डोमिनो, हमारा मेलिंग/मैसेजिंग सिस्टम 8.5.1 के वर्जन में अपग्रेड हुआ तथा इसे डब्ल्यूएपी (WAP) आधारित बनाया गया अर्थात इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के मोबाइल फोन के द्वारा किया जा सकता है तथा कुछ विशेष आपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है।

ग. मारुति, हीरो होण्डा, टाटा मोटर्स इत्यादि के लिए एप्लीकेशन-आन्तरिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वेब आधारित एप्लीकेशन का निर्माण किया गया तथा उनका उपयोग मारुति, हीरोहोण्डा, टाटा मोटर्स इत्यादि के दावा निस्तारण में किया गया।

Recovery Center and Near Site. Some of these applications includes eBao as Core Insurance solution, Seibel as CRM solution, Oracle Financials for Enterprise Accounting, Documentum for content management and automated workflow, PeopleSoft for integrated HRMS-cum-Payroll system, Oracle Portal, Oracle BPM Suite as BPM Workflow, Oracle Tool for Data-ware Housing, Reporting and Insurance Intelligence from Oracle, SAS for Rating Engine and Corporate Performance Management etc. All these applications and others will be integrated with each other through workflow based processes which will lend a lot of flexibility and modularity to the entire solution stack.

a. Data Migration and User Acceptance Test (UAT) -

Migrating the existing data into the new system is a big challenge and the process is currently underway and so are the preparations for UAT of the new System. A tool for carrying out the UAT is being procured and test cases are being prepared for the same.

b. Payroll Hubs – For the centralized Payroll preparation, the Company has planned 2 (two) numbers of Payroll Hubs, one at Kolkata and the other at Chennai. The Kolkata Hub will cater to the requirements of Offices in the Eastern and Northern Zones and the Chennai Hub will cater to the requirements of Offices in the Western and Southern Zones. These Hubs will start rolling out for CRO-I and CNRO Offices from the month of June 2010. The required data for this purpose has already been migrated and parallel run for these offices has been successfully completed using “Peoplesoft” HRMS software. With the rollout of Oracle Financials, these Hubs will function as Centralised Accounts Hub.

c. Print-to-Post - NIC is in the process of tying up with the Postal Department for a complete dispatch solution of the Renewal Notices to start with. The solution includes

obtaining renewal data, printing, addressing, franking, dispatching and finally delivering the same to the Policyholder. Renewal Data will be currently extracted from the existing business application and subsequently from the new system. Few offices under CRO-I has been selected as the pilot office for this project.

d. Data Center/Disaster Recovery Center/ Near Site - Data Center in Kolkata and Disaster Recovery Site in Bangalore have already been commissioned with all the Hardware and most of the software having been installed at these locations. All our Security and Network Admission Control Applications, Infrastructure Management Solution and our mailing/messaging solution, Lotus Domino, are running successfully from the Data Center. The building up of the Near Center Site at HO Premises is in the final stages of commissioning.

B. Other IT Initiatives:

a. Connecting Business Centers – 254 Business Centers have been recently opened by NIC at remote/unrepresented locations. IT department have extended their support by enabling connectivity of these centers to their controlling offices through internet for carrying out business transactions.

b. New features added to the mailing/messaging infrastructure - Lotus Domino, our mailing messaging system has now been upgraded to version 8.5.1 and has been made WAP enabled, i.e. the same can be accessed using certain types of mobile phones and running on certain specific Operating Systems.

c. Application for Maruti, Hero Honda, Tata Motor etc. - Web based application hosted internally have been built and used for settling claims related to Maruti, Hero Honda, Tata Motors etc.

- घ. **एमपीएलएस-वीएएन नेटवर्क** -सभी प्रचालन कार्यालयों एक सुरक्षित, स्केलेबल मल्टी -प्रोटोकाल लेबल स्विच-वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रिपाजिटरी पर ले जाने में किया जायेगा। रिपाजिटरी का प्रयोग प्रबंधन सम्बन्धी विभिन्न रिपोर्ट को प्राप्त करने तथा जीआईसी मोटर पूल को डाटा प्रेषित करने में किया जाता है।
- च. **एसओसी (SOC) एवं एनएसी (NAC)**-कम्पनी ने सभी पेरिमीटर लेबल सिक्योरिटी जैसे, यूआरएल फिल्टरिंग, इंटरयूशन, प्रेवेंशन एवं डिटेक्शन, गेट वे पर फायर एवं एंटी वायरस को सुरक्षित रखने के लिए कम्पनी ने सिस्को सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी आपरेशन सेन्टर की स्थापना की। इसके अलावा कम्पनी ने नेटवर्क संसाधनों के सुरक्षित प्रचालन के लिए सिस्को नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल को लागू किया।
- छ. **सर्वर कंसालिडेशन प्रोजेक्ट**-कम्पनी को स्पेस एवं पावर सेविंग सोल्यूशन से लाभ पहुँचाने के लिए ब्लेड सर्वर टेक्नालाजी के द्वारा सर्वर कंसालिडेशन एवं वर्चुवलाइजेशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया।

बिजनेस प्रासेस रि-इंजीनियरिंग :

आई टी समर्थित रि-इंजीनियर्ड बिजनेस प्रासेस को वर्ष 2010-11 में ईएएसआई (EASI) लागू करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2009-10 इसके लिए तैयारियों का वर्ष रहा। ईजी सोल्यूशन की कन्फिगरिंग हेतु सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी पूरी कर ली गई है। ईजी सिस्टम के लिए एसआरएस को तीन चरणों में विभक्त किया गया है:

1. प्रासेस ट्रेक: इसके अन्तर्गत पालिसी बीमालेखन, दावा,सेल्स चैनल मैनेजमेंट,लेखा, कैश मैनेजमेंट, जनरल लेजर मेंटेनेंस,सीआरएम से सम्बन्धित कार्य, एचआरएमएस प्रक्रिया एवं हारिजेंटल प्रासेस, जो सभी स्वतंत्र माड्यूल को समन्वित करता है, आते हैं।
2. प्रोडक्ट ट्रेक: इसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 200 से अधिक उत्पाद संबंधी आवश्यकताएँ।

3. पोर्टल ट्रेक: बीपीआर कार्यक्रम के द्वारा आन्तरिक एवं बाह्य स्टेकहोल्डर्स के लिए वेबसाइट/ पोर्टल तैयार करने का प्रस्ताव।

एसआरएस फेज के दौरान संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये गये।वर्कफ्लो संचालित सिस्टम के लिए एक नई रोल डाइरेक्टरी बनाई गयी। इंटरप्राइज सोल्यूशन के समर्थन के लिए विभिन्न मास्टर डाटा निर्मित किये गये।

विभिन्न एप्लीकेशन के लिए एसआरएस का निर्माण किया गया जिसमें कोर इश्योरेन्स,पोर्टल, डाटा मैनेजमेंट, डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अप्लीकेशन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन,मानव संसाधन प्रबंधन एवं डाटा वेयरहाउस एप्लीकेशन सम्मिलित हैं। सिस्टम इंटीग्रेटर एचसीएल (टेक्नालाजीज) प्रा. लि.द्वारा एसआरएस पर आधारित एक समन्वित सोल्यूशन का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है।

कोर इश्योरेन्स के लिए 200 से अधिक उत्पादों को व्यवसाय एवं सिस्टम रिक्वायरमेंट प्रदान किया गया। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए समन्वित कोर इश्योरेन्स सोल्यूशन जुलाई 2010 से उपलब्ध होगा। टेस्ट केसों एवं टेस्ट सेनेरियो के सभी सेट तैयार कर लिए गये हैं। हम अपने बीपीआर परामर्शदाता पीडब्ल्यूसी का सहयोग यूएटी के संचालन के लिए ले रहे हैं। यूएटी के लिए विशेष टूल्स प्राप्त किये जा रहे हैं जिसके लिए आरएफपी जारी किया जा चुका है।

पुराने सिस्टम से इएएसआई अप्लीकेशन पर पिछले डाटा को स्थानान्तरित किया गया है। पुराने डाटा स्ट्रक्चर को नये डाटा स्ट्रक्चर में परिवर्तित करना तथा पुराने डाटा की सफाई का कार्य सीएमसी, एचसीएल (टी) एवं एनआईसी द्वारा किया गया। पीडब्ल्यूसी स्थानांतरित डाटा का आडिट करेगा।

एचआरएमएस को लागू करने के लिए कर्मचारियों से विभिन्न स्तर की सूचनाएँ जैसे व्यक्तिगत सूचना, जाब प्रोफाइल, आश्रितों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण विवरण,बैंक विवरण इत्यादि प्राप्त कर लिये गये है। एचआरएमएस के प्रथम माड्यूल के रूप में केन्द्रीयकृत पेरोल लागू किया जायेगा। केन्द्रीयकृत पेरोल के लिए पैरलल रन प्रारंभ हो चुका है। कलकत्ता और चैन्नई में पेरोल हब स्थापित किये जा

- d. **MPLS – VPN Network** – All the Operating Offices are networked on a secure, scalable Multi-protocol Label Switches – Virtual Private Network (MPLS – VPN). The network is geared for incremented data flow from frontline application “Genisys” from all the Operating Offices to a Centralised repository. The repository is used for various management information reports as well as submitting data to GIC Motor Pool.
- e. **SOC and NAC** – The Company has already deployed Security Operation Center (SOC) with a well defined Cisco Security Control built to protect all perimeter level security such as URL filtering, Intrusion Prevention and Detection, firewall and Anti-Virus at the Gateway. Beside this, the Company has also implemented Cisco Network Admission Control for secure access to network resources by devices when they initially attempt to access the network.
- f. **Server Consolidation Project** - The Company has successfully implemented Server Consolidation and Virtualisation through Blade Server Technologies to benefit the Company from both space and power saving solution.

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

The year 2009-10 has been a year of preparation for launching the IT enabled Reengineered Business Processes through EASI during 2010-11. For configuring EASI solution the system requirement Study has been completed. For EASI System the SRS phase has been divided primarily in three distinct tracks.

1. **Process Track** – Captured process specific requirements such as Policy UW, Claims, Sales Channel Management, Accounts, Cash Management, General Ledger Maintenance, CRM specific processes, HRMS processes and Horizontal Processes which integrates all independent modules.
2. **Product Track** – Captured product specific

requirements for 200+ products of various lines of business.

3. **Portal Track** – BPR exercise proposes to build websites/portals for internal and external stakeholders.

During the SRS phase, the process changes required for the changed Organisation Structure have been crystallised. A new role directory has been formed to enable a workflow driven system. Various master data has been created to enable the enterprise solution.

The SRS has been conducted for several applications simultaneously, which include Core Insurance, Portal, Master Data management, Document Management System, Identity Management, Financial application, Customer Relationship Management, Human Resource Management and Data Warehouse application. Based on the SRS, an integrated solution is being designed and developed by the system integrator, viz. HCL (Technologies) Private Limited.

For core insurance, the business and system requirement for more than 200 products have been provided. The integrated core insurance solution shall be available for user acceptance testing from July 2010. The entire set of test cases and test scenarios have been prepared. We are taking the help of our BPR consultant viz. PwC for conducting the UAT. Specialised tools are being procured for UAT for which the RFP has been floated.

The process of migrating the past data from the legacy systems to the EASI application has commenced. Mapping of the legacy data structures to the new structures and cleaning the old data has been taken up with the involvement of CMC, HCL (T) and NIC. PwC shall conduct the audit of the migrated data.

As precursor to HRMS implementation, HR data on various parameters such as personal information, job profile, dependant particulars, educational qualification, training particulars, bank details etc. have been collected for all employees. Centralised payroll would be implemented as the first module of HRMS implementation. Parallel run

रहे हैं। एचआरएमएस का अन्य माड्यूल, जिसमें कर्मचारियों की स्वयं सेवा सम्मिलित है, अन्य इएएसआई अप्लीकेशन, परिवर्तित संगठनात्मक संस्थान एवं प्रक्रिया के पश्चात, के पायलट रोल आउट के पश्चात लागू होगी। वित्तीय अप्लीकेशन केन्द्रीयकृत भाग होने के कारण, फंड का मानिटर एवं नियंत्रण और प्रभावशाली ढंग से करना, एक सीएमएस पार्टनर को चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

इसी प्रकार ईजी रोल आउट को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निमाण किया जा रहा है वीएसएनएल साइट, उल्टाडांगा, कोलकाता में प्राथमिक डाटा सेंटर तैयार किया गया है। इंटरनेट, एमपीएलएस कनेक्टिविटी का ढाँचा तैयार किया गया है। टेस्ट एवं विकास के लिए सर्वर को तैयार किया गया है। सिक्युरिटी, मेल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट सर्वर पीडीसी से चल रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी सेंटर बेंगलूर में हार्डवेयर की आपूर्ति एवं स्थापना पूरी की जा चुकी है। इंटरनेट, एमपीएलएस कनेक्टिविटी दी जा चुकी है तथा सर्वर को टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है।

ईजी के रोल आउट के पूर्व अंतरिम अवधि में कुछ रणनीतिक कार्यक्रम प्रारंभ किये गये, जिसमें से मोटर ओडी दावा के लिए क्लेम हब की स्थापना एक प्रमुख है। वर्तमान में कक्षका- I, चंक्षका- II, बंक्षका, अक्षका, दिक्षका- II लक्षका एवं हैक्षका में 7 हब की स्थापना की गई है ये हब शहर के अन्य कार्यालयों के साथ जेनसिस सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। ईजी के रोल आउट होने के पश्चात इन हबों को ईजी क्लेम हब में परिवर्तित किया जायेगा। दूसरा कार्य भारतीय डाक घर कलकत्ता के साथ प्रिन्ट टू पोस्ट टाई अप करना है जिसके अंतर्गत प्रिंटिंग, इनवेलपिंग एवं नवीकरण सूचनायें सम्मिलित हैं। जेनसिस द्वारा प्राप्त डाटा के आधार पर, दस्तावेज तैयार करना इनवेलपिंग करना तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रेषित करना एक समन्वित सेवा है।

सतर्कता:

निवारक पक्ष के संदर्भ में सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने 109 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निगरानी पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं की सहमति सूची को सीबीआई के प्राधिकारी के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा चुका है।

दण्डात्मक पक्षके परिपेक्ष्य में वर्ष के दौरान 151 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 129 मामलों में से 72 पर मेजर पेनाल्टी लगाई गई। वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई के 149 मामले प्रारंभ किये गये।

दीर्घ अवधि से लंबित अनुशासनात्मक प्रक्रिया के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अखिल भारतीय सतर्कता अधिकारी सम्मेलन का आयोजन स्टेट बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद के प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में किया गया। वर्ष के दौरान विजिलेंस से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा एवं समीक्षा करने के लिए सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन प्रधान कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में किया गया जिसके अन्तर्गत सतर्कता निवारण पर बैनर लगाये गये, विचार गोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियां:

कम्पनी के लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में सभी 24 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। कम्पनी की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा प्री इंसेंटिव आडिट के अलावा प्रबंधन द्वारा निर्मित दिशानिर्देश में कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। आडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित आडिट प्लान का आधार बीमालेखन एवं दावा प्रचालन में उच्च जोखिम आधारित कार्यालय हैं। अनुपालनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में लम्बी अवधि से कर्मचारियों पर बकाया राशि की वसूली को इसमें विशेष महत्व दिया गया है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग ने 2077 प्रचालन कार्यालयों का आडिट (नियमित एवं तकनीकी आडिट) किया जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य की संख्या 1943 थी। इसके पश्चात निवेश प्रचालन का समवर्ती अंकेक्षण आडिट फर्म द्वारा किया जाता है एवं रिपोर्ट आडिट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तथा आईआरडीए को भेजी जाती है।

वित्तीय वर्ष 200-10 के दौरान लेखा परीक्षा अनुपालन समिति ने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुपालनात्मक कार्रवाई की समीक्षा

for centralized payroll application has commenced. Payroll hubs are being set up at Kolkata and Chennai. The other modules of HRMS including the employee self service will be implemented after pilot rollout of the other EASI applications after stabilization of the changed organisation structure and processes. As part of the centralization of Financial application, with a view to control and monitor funds more effectively, the process of identifying a CMS partner has commenced.

Simultaneously, the infrastructure is being set up for implementing the EASI rollout. The primary data centre at the VSNL site at Ultadanga, Kolkata has been readied. The Internet, MPLS connectivity has been set up. Servers are being readied for test and development. Security, Mail and Infrastructure Management servers are already running from PDC. At the Disaster Recovery centre in Bangalore, hardware delivery and installation has been completed. Internet, MPLS connectivity has been provided and servers being readied for testing. The Near Centre at the Head Office premises is ready for commissioning.

Some strategic initiatives have also been taken in the interim period prior to rollout of EASI. One such initiative is setting up of Claims Hubs for Motor OD claims. Presently, 7 hubs have been set up, at CRO-I, CHRO-II, BRO, ARO, DRO-II, LRO and HRO covering city based offices and using legacy GENISYS system. These Hubs will be converted as EASI claim Hubs when EASI is rolled out. Another initiative is a print to post solution tie up for printing, enveloping and posting of renewal notices, with GPO, Kolkata. Based on the data supplied from GENISYS, documents are generated, enveloped and dispatched by the Post Office as an integrated service.

VIGILANCE

On preventive side the Vigilance Department Officers have conducted Surprise Inspection at 109 Offices. On surveillance aspect Agreed List has been finalized with CBI Authorities of different branches.

On punitive side, during the year, 151 Disciplinary Proceedings have been concluded. In 129 cases

penalties have been imposed out of which 72 were Major Penalties. 149 Disciplinary Proceedings have been commenced during the year.

Special attention has been given for expeditious disposal of long pending disciplinary proceedings. All India Vigilance Officers' training held at State Bank of India, Hyderabad Training Complex. During the year, review meetings with the Vigilance Officers took place to discuss various vigilance related matter.

Vigilance Awareness Week has been observed at Head Office and other offices by taking oath, displaying banner, conducting symposium and publishing booklet on preventive vigilance.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES

The Internal Audit activities of the company, as a part of corporate governance, covers all 24 Regional Offices in 2009-10. The internal audit department undertakes various types of audit and also reviews various activities of the Company, points out control weakness and other deficiencies in the guidelines framed by the management apart from pre-incentive audit. The Annual Audit Plan is approved by the Audit Committee selecting office on the basis of Company average combined ratio for the last three years. As regards compliance action, special emphasis was made during the year 2009-10 on realizing the outstanding recoveries from employees which were long pending.

The Internal Audit Department has completed 2077 nos of audit of operating offices (Regular and Technical Audit) against the target of 1943 nos. (Regular and Technical Audits) of audit. Furthermore, concurrent audit of investment operation is conducted by external audit firm and quarterly report is placed before the Audit Committee and subsequently sent to IRDA.

During the financial year 2009-10, Audit Compliance Committee reviewed compliance action report in 8(eight) Regional Offices and sizeable amount was recovered from employees, hence, old outstanding recoveries were considerably reduced. Steps were also taken for compliance to the Inspection Reports

की एवं पुरानी बकाया वसूलियों को कम किया। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय आडिट कार्यालयों द्वारा उठाये गये लंबित मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाये गये। तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समन्वयन से शंकाओं के समाधान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नोट को मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

आडिट कमेटी के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के 9 प्रचालन कार्यालयों का मारुति निष्पादन (बीमालेखन एवं दावा) सम्बन्धी एक विशेष आडिट किया गया तथा इसे आडिट कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मारुति निष्पादन के सम्बन्ध में समिति के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया तथा सम्बन्धित क्षेत्र में मारुति निष्पादन में सुधार देखा गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अन्तर्गत कर्मचारियों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2क) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को प्रयोज्य सीमा अर्थात् रु. 2 लाख प्रतिमाह या वर्ष में रु. 24 लाख से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

निदेशकों का दायित्व विवरण :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में निदेशकगण एतद्वारा संपुष्टि करते हैं कि :-

- i) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है;
- ii) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्होंने समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरन्तर लागू किया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किया।

iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताएं रोकने तथा खोजने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

निगमित शासन : (कार्पोरेट गवर्नेन्स)

आईआरडीए ने अपने परिपत्र सं.आईआरडीए/एफ एण्ड ए/सीआईआर/025/2009-10 दिनांक 5 अगस्त, 2009 के द्वारा बीमा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 से कार्पोरेट गवर्नेंस पर लागू दिशानिर्देश जारी किये हैं।

कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न समितियां आवश्यक हैं:

- लेखा परीक्षा समिति
- निवेश समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बीमाधारक सुरक्षा समिति

हमारी कम्पनी में आडिट एवं निवेश समिति है। पुनः बोर्ड ने 20 मार्च, 2010 को जोखिम प्रबंधन समिति एवं पालिसीधारक सुरक्षा समिति का गठन किया।

उक्त के अतिरिक्त, जबकि **अनिवार्य नहीं** है, हमारी कम्पनी में निम्न समितियां हैं,

- आईटी समिति
- रिम्यूनरेशन समिति
- मानव संसाधन समिति

श्रीमती रीना माडिया, कम्पनी उप सचिव को कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बोर्ड का संगठन:

कम्पनी के बोर्ड में कार्यपालक व अकार्यपालक निदेशकों को शामिल किया गया है। वर्तमान में बोर्ड का संगठन निम्नवत है:

raised by C&AG in various zones and having satisfied with the compliances, many Inspection Report Paras were disposed during the year 2009-10. Similarly, Action Taken Notes in respect of C&AG Paras were submitted to the C&AG through the Ministry of Finance to facilitate disposal of paras.

As per the directives of the Audit Committee, Special Audit on Maruti performance (both underwriting and claims) was conducted during the year 2009-10 in nine operating offices under northern zone and its findings were placed before the Audit Committee for their consideration. The directives of the Committee on Maruti performance have been followed and considerable improvement is noticed in the area.

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956

During the Financial Year 2009-10, none of the employees was in receipt of remuneration in excess of the applicable limits i.e. Rs.2 lac per month or Rs.24 lac per annum as prescribed in Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, Directors hereby confirm that -

- i) in preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2010, the applicable accounting standards had been followed along with explanation relating to material departures, if any,
- ii) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement(s) and estimate(s) that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year ended on that date,

- iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities and
- iv) annual accounts have been prepared on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

Insurance Regulatory and Development Authority has introduced the guidelines on Corporate Governance for Insurance Sector vide circular no. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August 2009 for its implementation from the fiscal 2010-11 onwards.

As per Corporate Governance guidelines, the following Committees are **mandatory**:

- Audit Committee
- Investment Committee
- Risk Management Committee
- Policyholders Protection Committee

Audit and Investment Committees are already in existence in our Company. Further, the Board has constituted Risk Management Committee and Policyholders Protection Committee on 20th March 2010.

Apart from the above, the Company also has the following Committees, though **non-mandatory**:

- IT Committee
- Remuneration Committee
- HR Committee

Smt. Rina Madia, Deputy Company Secretary has been appointed as Compliance Officer for implementation of the Corporate Governance guidelines.

Composition of the Board

The Board of the Company comprises of Executive and Non-Executive Directors. Presently, the composition of the Board is as follows:

श्रेणी	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक निदेशक	3
गैर कार्यपालक निदेशक	
1. स्वतन्त्र	2
2. बैंक नामिनी	1
3. सरकार द्वारा नामित	1

सिटिंग फीस

अंशकालिक व अकार्यकारी निदेशकों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड की बैठक एवं बोर्ड की सब कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड द्वारा गठित आडिट कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं::

1. श्री डी.के.कपीला (अध्यक्ष)
2. श्री ललित कुमार
3. श्री एस. के. गोयल
4. डॉ. के. जयकुमार
5. श्री कुलदीप सिंह
6. श्री ए. वी. गिरिजाकुमार

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

समिति कम्पनी के वार्षिक लेखा योजना को अनुमोदित करती है तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करती है। समिति ने कम्पनी की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न दिशानिर्देश जैसे हानि नियंत्रण उपाय, प्राविजनिंग, आन्तरिक लेखा परीक्षा की गतिविधियों में सुधार एवं कम्पनी में वर्तमान आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम, दिये।

निदेशक मण्डल में परिवर्तन :

श्री बी रमणी ने कम्पनी के निदेशक मण्डल से 1 अक्टूबर, 2009 से त्यागपत्र दे दिया। श्री ए बंधोपाध्याय एवं श्री सुजीत दास कम्पनी की सेवाओं से क्रमशः 30 नवम्बर 2009 एवं 31 दिसम्बर, 2009 को अवकाश प्राप्त किये।

श्री कुलदीप सिंह एवं श्री ए. वी. गिरिजाकुमार, महाप्रबंधक को कम्पनी के निदेशक मण्डल में 10 मई, 2010 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री बी रमणी, श्री ए बंधोपाध्याय एवं श्री सुजीत दास द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान निदेशक के रूप में कम्पनी को दी गई सेवाओं के लिए निदेशक मण्डल उनका आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत महालेखा परीक्षक, भारत सरकार (सीएण्डएजी) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल कार्यालय एवं विदेशी कार्यालयों के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के साथ साथ मे. दत्त सरकार एण्ड कम्पनी को पुनः नियुक्त किया गया है तथा मे. गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को मे.एस घोष एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार के स्थान पर वर्ष 2009-10 के लिए कम्पनी का विधिक लेखाकार नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों द्वारा दिये गये मार्गदर्शन हेतु निदेशक मण्डल अपना आभार व्यक्त करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड, प्रिन्सिपल निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता को उनके बहुमूल्य मार्गनिर्देश और सहयोग के लिए निदेशक मण्डल धन्यवाद ज्ञापित करता है।

संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ख) के साथ पठित धारा 619(क) के अधीन संसद के दोनो सदनों में कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आभार:

निदेशक मण्डल सभी स्तर के अधिकारियों, विकास अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पालिसीधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा कम्पनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा दिये गये योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं। अपने वर्तमान तथा नये ग्राहकों की बड़ी संख्या द्वारा कम्पनी में पुनः अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशकगण उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं।

Category	No. of Directors
Executive Directors	3
Non-Executive Director	
1. Independent	2
2. Bank Nominee	1
3. Government Nominee	1

Sitting Fees

The sitting fees are paid only to the Part-time Non-official Directors for attending the meetings of the Board and sub-committees of the Board as prescribed by the Government of India from time to time.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee as constituted by the Board presently comprises of the following Members -

1. Shri D. K. Kapila (Chairman)
2. Shri Lalit Kumar
3. Shri S. K. Goel
4. Dr. K. Jayakumar
5. Shri Kuldip Singh
6. Shri A. V. Girija Kumar

The Committee met four times during the year.

The Committee approves the Annual Audit Plan of the Company and appoints Concurrent Auditor and reviews various activities of the Company. The Committee gave various directions for improvement of the functioning of the Company for loss control measures, provisioning issues, improvement of Internal Audit activities including Internal Control System prevailing in the Company.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Shri B. Ramani, resigned from the directorship of the Company w.e.f 1st October 2009. Shri A. Bandyopadhyay and Shri Sujit Das, retired from the services of the Company on 30th November 2009 and 31st December 2009 respectively.

Further, Shri Kuldip Singh and Shri A. V. Girija Kumar, General Managers were appointed as Directors on the Board of the Company w.e.f. 10th May 2010.

The Board wishes to convey their sincere appreciation for the contributions made by Shri B.

Ramani, Shri A. Bandyopadhyay and Shri Sujit Das during their tenure as Directors of the Company.

STATUTORY AUDITORS

M/s. Dutta Sarkar & Co., Chartered Accountants, Kolkata was re-appointed and M/s. Guha Nandi & Co., Chartered Accountants were newly appointed as Statutory Auditors of the Company in place of M/s S. Ghose & Co., Chartered Accountants for the financial year 2009-10 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) in terms of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 in addition to appointment/re-appointment of Branch Auditors for the various Regional and Divisional Offices and also for the Foreign Branches. The Board of Directors wish to convey their sincere appreciation to the Auditors for their guidance.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Board of Directors wish to convey their thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Annual Report of the Company along with the Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 619(A) read with 619(B) of the Companies Act, 1956.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wish to place on record their appreciation of the commendable work done by the officers and other classes of employees comprising of development officers and staff at all levels in rendering efficient services to the Policyholders and for their contribution in the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General



कम्पनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने में समुद्रपारीय पुनर्बीमाकर्ताओं एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशकगण अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कार्य प्रबंधन में दिये गये समर्थन और मार्ग निर्देश

के लिए बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जनरल इन्श्योरर्स (पब्लिक सेक्टर), एसोसिएशन आफ इंडिया (जिप्सा), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रति निदेशक मण्डल प्रशंसा दर्ज करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कृते निदेशक मण्डल

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता, 9 जून 2010



Insurance Corporation of India as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the senior officials of

the Insurance Division, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India & General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

**(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director**

Kolkata, 9th June 2010

2009-10 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या
और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

बैठकों की संख्या - 10

निदेशक का नाम	मंडल बैठकों की तारीख									
	06/04/2009	30/05/2009	04/07/2009	08/09/2009	01/10/2009	29/11/2009	30/12/2009	10/02/2010	19/03/2010	20/03/2010
श्री एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद, (सीएमडी) (01.06.2009 से प्रभावी)			उपस्थित							
श्री ललित कुमार, (सरकारी निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल गैर कार्यपालक निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
श्री डी. के कपीला अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ० के. जयकुमार अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री वी. रामसामी, (पूर्व अप्रनि सेवानृत 31.05.2009)	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री बी. रमणी अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक (01.10.2009 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-	-	-	-
श्री ए. बंधोपाध्याय (कार्यकारी निदेशक 30.11.09 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-	-
श्री सुजीत दास (कार्यकारी निदेशक 31.12.09 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-

ANNEXURE – 'I'

**STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD MEETINGS
HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2009-10 AND
ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THOSE MEETINGS**

Number of Meetings held : 10

Name of Directors	Dates of Board Meeting									
	06/04/2009	30/05/2009	04/07/2009	08/09/2009	01/10/2009	29/11/2009	30/12/2009	10/02/2010	19/03/2010	20/03/2010
Shri N. S. R. Chandraprasad, CMD (Appt. w.e.f. 01.06.2009)			Present							
Shri Lalit Kumar (Govt. Nominee)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri S. K. Goel (Bank Nominee)	Absent	Present	Present	Present	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
Shri D. K. Kapila (Part-time Non Official Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Absent	Present	Present	Present
Dr. K. Jayakumar (Part-time Non Official Director)	Absent	Present	Present	Absent	Present	Absent	Present	Absent	Absent	Present
Shri V. Ramasaamy (ex-CMD retired on 31.05.2009)	Present	Present	-	-	-	-	-	-	-	-
Shri B. Ramani (Part-time Non Official Director resigned w.e.f 01.10.2009)	Present	Present	Present	Present	-	-	-	-	-	-
Shri A. Bandyopadhyay (Functional Director retired on 30.11.2009)	Present	Present	Present	Present	Present	Present	-	-	-	-
Shri Sujit Das (Functional Director retired on 31.12.2009)	Present	Present	Present	Present	Absent	Present	Present	-	-	-

2009-10 में आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और
उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

बैठकों की संख्या - 4

निदेशक का नाम	बैठकों की तारीख			
	04/07/2009	08/09/2009	29/11/2009	20/02/2010
श्री डी. के. कपीला (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
डॉ. के. जयकुमार	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री ए. बंद्योपाध्याय	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	—

2009-10 में आयोजित मानव संसाधन समिति की बैठकों की संख्या और
उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

बैठकों की संख्या - 3

निदेशक का नाम	बैठकों की तारीख		
	06/04/2009	01/10/2009	20/03/2010
श्री एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	—	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
डॉ. के. जयकुमार	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री वी. रामसामी, (पूर्व-अध्यक्ष)	उपस्थित	—	—
श्री ए. बंद्योपाध्याय	—	उपस्थित	—
श्री सुजीत दास	—	अनुपस्थित	—

ANNEXURE - 'II'

**STATEMENT SHOWING NUMBER OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS
HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2009-10 &
ATTENDANCE OF THE MEMBERS AT THOSE MEETINGS**

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meetings			
	04/07/2009	08/09/2009	29/11/2009	20/02/2010
Shri D. K. Kapila (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Lalit Kumar	Present	Present	Present	Present
Shri S. K. Goel	Present	Present	Absent	Absent
Dr. K. Jayakumar	Present	Absent	Absent	Present
Shri A. Bandyopadhyay	Present	Present	Present	—

ANNEXURE - 'III'

**STATEMENT SHOWING NUMBER OF HR COMMITTEE MEETINGS
HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2009-10 &
ATTENDANCE OF THE MEMBERS AT THOSE MEETINGS**

No. of Meetings held: 3

Name of the Members	Date of Meetings		
	06/04/2009	01/10/2009	20/03/2010
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	—	Present	Present
Shri Lalit Kumar	Present	Present	Present
Shri S. K. Goel	Absent	Absent	Absent
Dr. K. Jayakumar	Absent	Present	Present
Shri V. Ramasaamy, (ex-Chairman)	Present	—	—
Shri A. Bandyopadhyay	—	Present	—
Shri Sujit Das	—	Absent	—

अनुलग्नक - 'IV'

2009-10 में आयोजित निवेश समिति की बैठकों की संख्या और
उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

बैठकों की संख्या - 2

निदेशक का नाम	बैठकों की तारीख	
	30/05/2009	30/12/2009
श्री एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	—	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	उपस्थित	उपस्थित
डॉ. के. जयकुमार	उपस्थित	उपस्थित
श्री वी. रामसामी (पूर्व-अध्यक्ष)	उपस्थित	—
श्री बी. रमणी	उपस्थित	—
श्री ए. बंधोपाध्याय	उपस्थित	—
श्री सुजीत दास	उपस्थित	उपस्थित

अनुलग्नक - 'V'

2009-10 में आयोजित रिम्यूनरेशन समिति की बैठकों की संख्या और
उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण

बैठकों की संख्या - 1

Name of the Members	Date of Meeting
	30/05/2009
श्री डी. के कपीला	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित

ANNEXURE - 'IV'

**STATEMENT SHOWING NUMBER OF INVESTMENT COMMITTEE MEETINGS
HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2009-10 &
ATTENDANCE OF THE MEMBERS AT THOSE MEETINGS**

No. of meetings held: 2

Name of the Members	Date of Meetings	
	30/05/2009	30/12/2009
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	–	Present
Shri Lalit Kumar	Present	Present
Shri S. K. Goel	Present	Present
Dr. K. Jayakumar	Present	Present
Shri V. Ramasaamy (ex-Chairman)	Present	–
Shri B Ramani	Present	–
Shri A. Bandyopadhyay	Present	–
Shri Sujit Das	Present	Present

ANNEXURE - 'V'

**STATEMENT SHOWING NUMBER OF REMUNERATION COMMITTEE MEETING
HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2009-10 &
ATTENDANCE OF THE MEMBERS AT THAT MEETING**

No. of meeting held: 1

Name of the Members	Date of Meeting
	30/05/2009
Shri D. K. Kapila	Present
Shri S. K. Goel	Present
Shri Lalit Kumar	Present

व्यक्तिगत बीमा सम्बन्धी निष्पादन विवरण

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रु.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रु.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	158261	957072	90109	5127	3077	251043	489.64
2006-07	170351	2725388	81696	5553	6947	159914	365.95
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रु.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रु.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	8887	104063	52204	467	373	23431	104.55
2006-07	6980	897628	87446	853	1203	69872	108.71
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	1157	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रु.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रु.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	40821	308460	11840	114	84	3043	20.99
2006-07	16277	515399	9521	104	59	2823	48.18
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69

ANNEXURE - 'VI'

DETAILS OF PERFORMANCES OF SOME OF THE PERSONAL LINE INSURANCES

JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	158261	957072	90109	5127	3077	251043	489.64
2006-07	170351	2725388	81696	5553	6947	159914	365.95
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21

GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	8887	104063	52204	467	373	23431	104.55
2006-07	6980	897628	87446	853	1203	69872	108.71
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	1157	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	40821	308460	11840	114	84	3043	20.99
2006-07	16277	515399	9521	104	59	2823	48.18
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69

ग्रामीण बीमा व्यवसाय :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	220016	350248	572862	12916	9391	218438	55.55
2006-07	203288	1040813	595668	25929	20029	199622	40.86
2007-08	111028	999256	509621	28029	7118	151427	138.00
2008-09	118549	1066945	544144	38917	33405	501079	90.00
2009-10	418632	2571645	489881	22304	22304	500018	90.48

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	607	31399	565	120	67	1236	107.56
2006-07	2059	4790	274	93	62	1323	149.45
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	1656	108595	1529	1	1	25	1.76
2006-07	1028	30449	5576	9	9	256	9.01
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43

RURAL INSURANCE BUSINESS :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	220016	350248	572862	12916	9391	218438	55.55
2006-07	203288	1040813	595668	25929	20029	199622	40.86
2007-08	111028	999256	509621	28029	7118	151427	138.00
2008-09	118549	1066945	544144	38917	33405	501079	90.00
2009-10	418632	2571645	489881	22304	22304	500018	90.48

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	607	31399	565	120	67	1236	107.56
2006-07	2059	4790	274	93	62	1323	149.45
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	1656	108595	1529	1	1	25	1.76
2006-07	1028	30449	5576	9	9	256	9.01
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43

जन आरोग्य पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	5418	35582	10715	3241	3116	11225	102.11
2006-07	5738	72343	5671	5119	5210	9364	172.05
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	2054	26699	3504	311	295	2586	55.20
2006-07	8387	28323	3825	361	318	1084	28.77
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00

मेडीक्लेम बीमा :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	688842	2957739	3988566	236481	202597	4917365	128.71
2006-07	769043	5475273	4667464	237058	247439	5281488	117.96
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00

विद्यार्थी मेडीक्लेम पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00

JAN AROGYA POLICY :
(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	5418	35582	10715	3241	3116	11225	102.11
2006-07	5738	72343	5671	5119	5210	9364	172.05
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE :
(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	2054	26699	3504	311	295	2586	55.20
2006-07	8387	28323	3825	361	318	1084	28.77
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00

MEDICLAIM INSURANCE :
(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	688842	2957739	3988566	236481	202597	4917365	128.71
2006-07	769043	5475273	4667464	237058	247439	5281488	117.96
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00

VIDYARTHI MEDICLAIM POLICY :
(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00

परिवार मेडीक्लेम पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00

वरिष्ठ मेडीक्लेम पॉलिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पालिसी :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये प्रदत्त दावों की संख्या	उपगत राशि रू.	दावा अनुपात (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00

स्वास्थ्य पालिसियों (अन्य) :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये प्रदत्त दावों की संख्या	उपगत राशि रू.	दावा अनुपात (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00

पशु बीमा :

(रु. हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रू.	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि रू.	उपगत दावा अनुपात (%)
2005-06	196535	654203	308614	24060	46657	183115	61.35
2006-07	160546	565816	374242	16642	17391	183324	49.17
2007-08	125970	428298	299808	25149	23045	216564	79.56
2008-09	149814	405364	371259	18409	18889	220847	61.14
2009-10	138288	379784	372011	19248	15213	256793	64.89

PARIVAR MEDICLAIM POLICY :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00

VARISTHA MEDICLAIM POLICY :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00

RASHTRIYA SWASTHYA BIMA POLICY :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00

HEALTH POLICIES (OTHERS) :

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00

CATTLE INSURANCE:

(Rs. in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of Lives covered	Premium received Rs.	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid Rs.	Incurred claim ratio (%)
2005-06	196535	654203	308614	24060	46657	183115	61.35
2006-07	160546	565816	374242	16642	17391	183324	49.17
2007-08	125970	428298	299808	25149	23045	216564	79.56
2008-09	149814	405364	371259	18409	18889	220847	61.14
2009-10	138288	379784	372011	19248	15213	256793	64.89

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची ख के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते हैं कि :-

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है; (पंजीकरण संख्या 58 दिनांक 11.03.2010)
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया;
3. वर्ष के दौरान शेयर धारण परिपाटी तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपक्षाओं के अनुसार किया गया है;
4. भारत में जारी पालिसियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई हैं;
5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पत्ति, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2000 के अनुसार 31 मार्च 2010 को वांछित शोधन क्षमता कायम रखी गई है।
6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा कि हमारे विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में व्यक्त कई शीर्षों - ऋण, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदार, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है;
7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात् महाविनाशकारी/दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा है जिससे पोर्टफोलियो प्रभावित हो रहा है। तथापि इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है। प्रथमतः हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है। प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबद्ध किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्रि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है

तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है। दूसरा, हमारा मुख्य रूझान गैर-मोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।

8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में है तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये समझौते के आधार पर समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य के अनुसार शाखा प्रचालन को न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को स्थानांतरित करना है। यह स्थानांतरण बीमा कंपनी के अध्यादेश (अध्याय 41) के खंड 25डी के अंतर्गत हांगकांग बीमा प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है। अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
9. दावों की अवधि विवरण (सकल व्यवसाय पर) अनुलग्नक में संलग्न है। विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते हैं।
10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अनुसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्यांकित किया गया है (अनुसूची-16) अर्थात्
 - i) इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किश्त निर्धारित की गई है।
 - ii) इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, में निवेश तथा म्यूचुअल फंडों में यूनिटों को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है।
 - iii) ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है।
 - iv) विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण के वर्ष के अंत में चालू विनियम दरों पर किया गया है।
 - v) ऋण तथा ऋण-पत्रों के संबंध में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति के प्रावधान के संबंध में, कम्पनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority (Registration No.58 dated 11.03.2010),
2. All dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;
3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;
4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;
5. The required solvency margins as at 31st March, 2010 as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 have been maintained.
6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";
7. The Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.
8. Out of the offices in two foreign countries situated in Nepal and in Hong Kong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In respect of Hong Kong Branch, an agreement has been entered into with New India Assurance Co. Ltd. to transfer the branch's operation, Assets and Liabilities at their carrying values. This transfer is subject to approval by the Insurance Authority of Hong Kong in accordance with Section 25D of the Insurance Companies Ordinance (chapter 41). The approval has been obtained. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
9. The ageing of claims (on gross business) is given in the annexure attached. Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.
10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies (Schedule 16), i.e.
 - i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities is amortised over the remaining period.
 - ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.
 - iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.
 - iv) Foreign Government securities are valued at the acquisition cost.
 - v) In respect of loans and debentures, prudential norms as prescribed by IRDA regarding provisioning have been followed by the Company.

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
शेयर	18560000	99110000	9080000
शेयरों के अलावा	45140000	45140000	3430000
कुल	63700000	144250000	12510000

सभी निवेशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पत्तियां बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत है।

12. हम पुष्टि करते हैं कि -

- वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का पालन किया गया है।
- प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी

की हानि की तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए हैं।

- प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 के 1)/के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है।
- प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
- प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

13. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित हो।

कृते नेशनल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड



(एन एस आर चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कोलकाता, 09 जून, 2010

अनुलग्नक

दावों का कालप्रभाव (सकल आधार पर) 2009-10

(रु. हजार में)

	30 दिन	30 दिन से 6 महीना	6 महीना से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष व उपर	योग
अग्नि (दावों की संख्या)	355211 (176)	1369536 (808)	1452782 (485)	2200830 (651)	350533 (166)	5728892 (2286)
समुद्री (दावों की संख्या)	61183 (191)	592648 (1169)	154044 (394)	1714576 (644)	182762 (108)	2705212 (2506)
विविध (दावों की संख्या)	2412704 (28870)	6077309 (61613)	3517807 (24575)	15699619 (99719)	7879048 (62491)	35586489 (277268)
कुल (दावों की संख्या)	2829099 (29237)	8039493 (63590)	5124633 (25454)	19615025 (101014)	8412343 (62756)	44020593 (282060)

11. Review of Assets quality and performance of Investment Portfolio :

(Rs. In thousand)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Shares	18560000	99110000	9080000
Other than Shares	45140000	45140000	3430000
Total :	63700000	144250000	12510000

All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Prudential norms.

12. We confirm that:

- i) in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- ii) the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are

reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the operating profit of the Company for the year;

- iii) the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- iv) the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- v) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested.

For and on behalf of National Insurance Company Limited



(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata, the 9th day of June, 2010

Ageing of Claims (on gross basis) 2009-10

Annexure

(Rs. In thousand)

	30 Days	30 days to 6 months	6 months to 1 Year	1 Year to 5 Years	5 Years and above	TOTAL
FIRE (No. of Cases)	355211 (176)	1369536 (808)	1452782 (485)	2200830 (651)	350533 (166)	5728892 (2286)
MARINE (No. of Cases)	61183 (191)	592648 (1169)	154044 (394)	1714576 (644)	182762 (108)	2705212 (2506)
MISCELLANEOUS (No. of Cases)	2412704 (28870)	6077309 (61613)	3517807 (24575)	15699619 (99719)	7879048 (62491)	35586489 (277268)
TOTAL (No. of Cases)	2829099 (29237)	8039493 (63590)	5124633 (25454)	19615025 (101014)	8412343 (62756)	44020593 (282060)

नेशनल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1. हमने नेशनल इन्शुरेंस कम्पनी का 31 मार्च, 2010 का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और 314 मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षित विवरणियाँ एवं दो विदेशी शाखाओं के समुद्रपारीय लेखा परीक्षकों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार की गई लेखा परीक्षित विवरणियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व यह है कि अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।
2. तुलन-पत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी अधिनियम 1956, बीमा अधिनियम 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के लागू प्रावधानों के आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।
3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन, इसका समुचित आश्वासन पाने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्त्विक मिथ्याकथन नहीं है। लेखा परीक्षा में परीक्षा आधार पर राशि का समर्थन करते हुए साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा ने हमारे विचार व्यक्त करने का समुचित आधार दिया है।

उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा प्रतिवेदन निम्नवत है :

- 4.1 हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया।
- 4.2 हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारी जांच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं।
- 4.3 हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त उचित विवरणीय क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुई है तथा उन पर विचार किया गया।
- 4.4 लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा शाखा/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हुआ और उन पर विचार किया गया।
- 4.5 इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलनपत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि-लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों तथा विवरणियों से मेल खाते हैं।
- 4.6 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं है
- 4.7 निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है।
- 4.8 कम्पनी द्वारा नियुक्त एक्चुअरी द्वारा दावा उपगत किन्तु सूचित नहीं के सम्बन्ध में देयताओं का बीमांककीय मूल्यांकन प्रमाणित किया गया है तथा उस पर हमारा विश्वास जताया गया है। नियुक्त एक्चुअरी ने प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा किया गया यह मूल्यांकन आईआरडीए, एक्चुरियल सोसायटी आफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के सापेक्ष है।
- 4.9 तुलन पत्र, आय लेखा, लाभ-हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन नीतियां कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की

Auditors' Report To The Members of National Insurance Company Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Insurance Company Limited as at 31st March, 2010, the related Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the audited returns of 24 Regional Offices, 314 Divisional Offices audited by other auditors and also the statement of accounts of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws. These financial statements are the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999 and the Companies Act, 1956, to the extent applicable and in the manner so required.
3. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of audit indicated in paragraph 3 above, we report that:

- 4.1 We have obtained all the information and explanations, which to the best of our

knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

- 4.2 In our opinion, proper books of account as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.
- 4.3 Proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regional offices and Foreign branches.
- 4.4 Reports of the auditors on the accounts of Branch/Divisional/Regional offices have been received and taken into consideration.
- 4.5 The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns.
- 4.6 The provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of Company Law Board General Circular No.8/2002 dated 22.03.2002.
- 4.7 Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1983 and the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.
- 4.8 The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not Reported" is duly certified by the Company's appointed actuary and relied upon by us. The appointed actuary has certified that the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDA and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDA.
- 4.9 The Accounting Policies selected for preparation of the Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in section 211(3C) of the Companies Act, 1956, to the extent applicable and are also in conformity with the provisions of the IRDA

तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार और लागू सीमा तक हैं।

4.10. अनुसूची 17 में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित है- अनिश्चित रहे लेखा पर अप्राप्त पुनर्मिलान/संपुष्टि पर, यदि हो, समायोजन के प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी सं.15(क) में उल्लिखित।

5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा पर हुई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा बीमा अधिनियम 1938 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 और कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित और इसके लिए अपेक्षित प्रकार से प्रयोज्य सीमा तक सूचना देता है तथा अनिश्चित रहे परिणामी प्रभाव पर उक्त अनुच्छेद 4.10 के हमारे विचारों के अधीन सही और सटीक चित्र देता है।

- i) तुलन-पत्र में 31 मार्च 2010 को कम्पनी के कार्य की स्थिति का;
- ii) आय लेखा में 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि व्यवसाय में आधिक्य और समुद्री तथा विविध व्यवसाय में घाटे का;
- iii) लाभ और हानि लेखा में 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की हानि का;

iv) नकदी प्रवाह विवरण में समाप्त वर्ष की तिथि तक के लिए नकदी प्रवाह का।

6. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि;

- i) हमने प्रबन्धन रिपोर्ट की समीक्षा की और इसमें वित्तीय विवरण से कोई प्रकट भूल या तात्त्विक असंगति नहीं है;
- ii) कम्पनी ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का पालन किया है;
- iii) हमने नकदी और बैंक अतिशेष, ऋणों से संबंधित निवेश और प्रतिभूतियों का वास्तविक निरीक्षण या प्रमाण-पत्र और या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सत्यापित किया है बशते अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 9 में वर्णित सीमा के अलावा;
- iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसी धारकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (अद्यतन यथा संशोधित) प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित नहीं है।

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(दिलीप बसु)
भागीदार

सदस्यता संख्या 004205

गुहा नन्दी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(डॉ. बी एस कुण्डू)
भागीदार

सदस्यता संख्या 051221

कोलकाता, 09 जून, 2010

(Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

4.10 *Attention is invited to Note No. 15(a) of Schedule 17 regarding impact of adjustment, if any, remaining unascertained on reconciliation or obtaining confirmation in respect of the various items stated therein.*

5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Accounts read with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts give the information as required by the Insurance Act, 1938 the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable in the manner so required and *subject to our observation in paragraph 4.10 above on the consequential effect remaining unascertained, give a true and fair view:*

- i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2010;
- ii) in the case of the Revenue Accounts, of the surplus in Fire and Marine Insurance business and deficit in Miscellaneous Insurance business for the year ended 31st March 2010;
- iii) in the case of the Profit and Loss Account,

of the Profit for the year ended 31st March 2010;

iv) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for year ended on that date;

6. We further certify that;

- i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the financial statements;
- ii) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority;
- iii) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Note no. 9 in schedule 17;
- iv) To the best of our information and according to the explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

DUTTA SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(Dilip Basu)
Partner
Membership No. 004205

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

Kolkata, the 9th day of June 2010



**31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के अंतर्गत निर्धारित बीमा अधिनियम 1938 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कम्पनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। इस वित्तीय विवरणों पर वृत्तिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चाार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्योरेंस मानकों के अनुरूप की गई निष्पक्ष लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है। ऐसा उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 4 जून 2010 में पूर्ण करने का कथन किया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के एवज में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप में सांविधिक लेखा परीक्षक के सक्रिय कागजों की जाँच के बिना की गई है एवं मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कम्पनी के अधिकारियों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच तक ही सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है जो कि हमारे द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी पूरक कथन या टिप्पणी करने की आवश्यकता रही हो।

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
भारत

N. Hemshi

(नन्दन मुंशी)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
कोलकाता

कोलकाता 25 जून, 2010



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE
ACCOUNTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

The preparation of financial statements of National Insurance Company Limited for the financial year ended 31st March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 4th June 2010.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Insurance Company Limited for the financial year ended 31st March 2010. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)

Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata

Kolkata, the 25th day of June 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा आय लेखा
Fire Revenue Account for the year ended 31st March, 2010

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2009-2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008-2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	3,533,516	2,944,153
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध) Profit on sale/redemption of Investments (Net)		593,683	335,880
3 विनिमय लाभ Exchange Gain		—	506
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल Interest, Dividend & Rent (Gross)		419,888	366,507
योग (क) / TOTAL (A)		4,547,087	3,647,046
1 उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	2,028,783	2,376,079
2 कमीशन Commission	3	121,976	108,498
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	1,218,333	965,965
4 विनिमय हानि Exchange Loss		13,396	8,090
योग (ख) / TOTAL (B)		3,382,488	3,458,632
अग्नि व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क - ख) Operating Profit from Fire Business = (A - B)		1,164,599	188,414
विनियोजन APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		1,164,599	188,414
योग (ग) / TOTAL (C)		1,164,599	188,414

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यह अग्नि बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी

This is the Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2010 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in

प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार अग्नि बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद N. S. R Chandraprasad	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
(दिलीप बसु) भागीदार (Dilip Basu) Partner सदस्यता सं. 004205 Membership No. 004205	(डॉ. बी. एस. कुन्डू) भागीदार (Dr. B. S. Kundu) Partner सदस्यता सं. 051221 Membership No. 051221	ललित कुमार Lalit Kumar	निदेशक Director
		डी. के. कपीला D. K. Kapila	निदेशक Director
		कुलदीप सिंह Kuldip Singh	निदेशक Director
		ए. वी गिरिजा कुमार A. V. Girija Kumar	निदेशक Director
		रीना माडिया Rina Madia	उप-कम्पनी सचिव Dy. Company Secretary

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010
Kolkata, the 9th day of June 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा आय लेखा
Marine Revenue Account for the year ended 31st March, 2010

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2009-2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008-2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	1,302,244	1,240,321
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध) Profit on sale/redemption of Investments(Net)		264,343	142,908
3 विनिमय लाभ Exchange Gain		—	1,329
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल Interest, Dividend & Rent (Gross)		186,959	155,939
योग (क) / TOTAL (A)		1,753,546	1,540,497
1 उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	475,161	1,346,031
2 कमीशन Commission	3	109,605	111,245
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	450,416	353,783
4 विनिमय हानि Exchange Loss		8,218	7,640
योग (ख) / TOTAL (B)		1,043,400	1,818,699
समुद्री व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क - ख) Operating Profit from Marine Business = (A - B)		710,146	-278,202
विनियोजन APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		710,146	-278,202
योग (ग) / TOTAL (C)		710,146	-278,202

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यह समुद्री बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी

This is the Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2010 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in



प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार समुद्री बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद N. S. R Chandraprasad	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
(दिलीप बसु) भागीदार (Dilip Basu) Partner सदस्यता सं. 004205 Membership No. 004205	(डॉ. बी. एस. कुन्डू) भागीदार (Dr. B. S. Kundu) Partner सदस्यता सं. 051221 Membership No. 051221	ललित कुमार Lalit Kumar	निदेशक Director
		डी. के. कपीला D. K. Kapila	निदेशक Director
		कुलदीप सिंह Kuldip Singh	निदेशक Director
		ए. वी गिरिजा कुमार A. V. Girija Kumar	निदेशक Director
		रीना माडिया Rina Madia	उप-कम्पनी सचिव Dy. Company Secretary

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010

Kolkata, the 9th day of June 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा आय लेखा
Miscellaneous Revenue Account for the year ended 31st March, 2010

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2009-2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008-2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	33,322,115	30,039,141
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध) Profit on sale/redemption of Investments(Net)		5,524,106	3,351,013
3 विनिमय लाभ Exchange Gain		—	99,495
4 ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल Interest, Dividend & Rent (Gross)		3,906,973	3,656,576
योग (क) / TOTAL (A)		42,753,194	37,146,225
1 उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	29,949,671	30,214,616
2 कमीशन Commission	3	2,082,509	1,962,033
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	10,519,021	8,143,871
3A मोटर व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यय Administrative Expenses Related to Motor Business		808,145	775,697
4 विनिमय हानि Exchange Loss		59,618	—
योग (ख) / TOTAL (B)		43,418,964	41,096,217
विविध व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क - ख) Operating Profit from Miscellaneous Business = (A - B)		-665,770	-3,949,992
विनियोजन APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		-665,770	-3,949,992
योग (ग) / TOTAL (C)		-665,770	-3,949,992

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यह विविध बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्ररिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में

This is the Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2010 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in



कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं. 7.1 के अनुसार विविध बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद N. S. R Chandraprasad	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
(दिलीप बसु) भागीदार (Dilip Basu) Partner सदस्यता सं. 004205 Membership No. 004205	(डॉ. बी. एस. कुन्डू) भागीदार (Dr. B. S. Kundu) Partner सदस्यता सं. 051221 Membership No. 051221	ललित कुमार Lalit Kumar	निदेशक Director
		डी. के. कपीला D. K. Kapila	निदेशक Director
		कुलदीप सिंह Kuldip Singh	निदेशक Director
		ए. वी गिरिजा कुमार A. V. Girija Kumar	निदेशक Director
		रीना माडिया Rina Madia	उप-कम्पनी सचिव Dy. Company Secretary

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010
Kolkata, the 9th day of June 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2008 – 2009 (रु. '000) (Rs.'000)	2007 – 2008 (रु. '000) (Rs.'000)
1 प्रचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)		1,208,975	-4,039,780
अ) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance		1,164,599	188,414
ब) समुद्री बीमा (b) Marine Insurance		710,146	-278,202
स) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance		-665,770	-3,949,992
2 निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS		2,588,527	2,387,416
अ) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividend & Rent – Gross		1,072,338	1,245,759
ब) निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		1,516,189	1,171,734
घटाएं : निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से हानि Less: Loss on sale/redemption of investments		—	30,077
3 अन्य आय OTHER INCOME		177,202	136,345
अ) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ (a) Profit on sale of other Asset		8,331	5,462
ब) विविध आय (b) Miscellaneous Income		161,589	114,857
स) विनिमय लाभ (c) Exchange Gain		7,282	16,026
योग (क) / TOTAL (A)		3,974,704	-1,516,019
4 प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (Other than taxation)		1,130,000	-300,000
अ) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments		-19,775	-390,732
ब) संदिग्ध ऋणों के लिए (b) For doubtful debts		1,149,775	90,732
5 अन्य व्यय OTHER EXPENSES		158,785	119,346
अ) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business		27,507	20,828
ब) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन (b) Amortisation of Premium on Investments		46,208	29,550

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2009 – 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 – 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
स) निवेश के मूल्यहास के संबंध में बट्टे खाते गयी राशि			
(c) Amount written off in respect of depreciated Investments		16,774	68,966
द) विनिमय हानि			
(d) Exchange Loss		—	—
य) बट्टे खाते परिसम्पत्ति			
(e) Assets written off		2	2
र) प्रदत्त विदेशी आयकर			
(f) Foreign Income tax paid		194	—
ल) निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन			
(g) Performance Linked Incentive		68,100	—
योग (ख) / TOTAL (B)		1,288,785	-180,654
कर पूर्व लाभ (क-ख) PROFIT BEFORE TAX (A - B)		2,685,919	-1,335,365
कराधान के लिए प्रावधान Provision for Taxation :			
चालू कर / Current Tax		487,000	51,500
आस्थगित कर / Deferred Tax		—	—
विगत वर्षों के कराधान का समायोजन Adjustment of Taxation for earlier years		49,709	-105,222
कर पश्चात लाभ PROFIT AFTER TAX		2,248,628	-1,492,087
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(अ / a) प्रस्तावित लाभांश / Proposed dividend		439,784	—
(ब / b) लाभांश संवितरण कर / Dividend distribution tax		74,741	—
(स / c) सामान्य आरक्षित में अन्तरित / Transfer to General Reserve		1,734,103	-1,492,087
		2,248,628	-1,492,087

यह लाभ तथा हानि लेखा इसी दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date.

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद N. S. R. Chandraprasad ललित कुमार Lalit Kumar डी. के. कपीला D. K. Kapila कुलदीप सिंह Kuldip Singh ए. वी गिरिजा कुमार A. V. Girija Kumar रीना माडिया Rina Madia	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक Chairman-cum-Managing Director निदेशक Director निदेशक Director निदेशक Director निदेशक Director उप-कम्पनी सचिव Dy. Company Secretary
(दिलीप बसु) भागीदार (Dilip Basu) Partner सदस्यता सं. 004205 Membership No. 004205 कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010 Kolkata, the 9th day of June 2010	(डॉ. बी. एस. कुन्डू) भागीदार (Dr. B. S. Kundu) Partner सदस्यता सं. 051221 Membership No. 051221		

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2010

विवरण Particulars निधियों के स्रोत	अनुसूची Schedule	2009 – 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 – 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
<u>SOURCES OF FUNDS</u>			
शेयर पूंजी SHARE CAPITAL	5	1,000,000	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य RESERVES AND SURPLUS	6	14,828,990	13,094,887
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		80,551,563	36,064,864
उधार BORROWINGS	7	—	—
योग TOTAL		96,380,553	50,159,751
<u>APPLICATION OF FUNDS</u>			
निवेश INVESTMENTS	8	141,785,372	91,509,255
ऋण LOANS	9	3,597,706	3,784,006
स्थायी परिसम्पत्तियां FIXED ASSETS	10	1,098,996	561,138
आस्थगित कर सम्पत्ति DEFERRED TAX ASSET		—	—
वर्तमान परिसम्पत्तियां CURRENT ASSETS :			
नगद तथा बैंक अतिशेष Cash and Bank Balances	11	4,416,416	3,936,912
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां Advances and Other Assets	12	29,106,218	25,640,908
उप-योग (क) Sub-Total (A)		33,522,634	29,577,820
वर्तमान देयताएं CURRENT LIABILITIES	13	61,147,911	55,567,147
प्रावधान PROVISIONS	14	23,034,038	19,770,847
उप-योग (ख) Sub-Total (B)		84,181,949	75,337,994

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	2009 – 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 – 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियां (ग)=(क-ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A- B)		-50,659,315	-45,760,174
विविध (बट्टे खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	557,794	65,526
योग TOTAL		96,380,553	50,159,751
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	17		

यह-तुलन-पत्र इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद N. S. R Chandraprasad	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
(दिलीप बसु) भागीदार (Dilip Basu) Partner	(डॉ. बी. एस. कुन्दू) भागीदार (Dr. B. S. Kundu) Partner	ललित कुमार Lalit Kumar	निदेशक Director
सदस्यता सं. 004205 Membership No. 004205	सदस्यता सं. 051221 Membership No. 051221	डी. के. कपीला D. K. Kapila	निदेशक Director
		कुलदीप सिंह Kuldip Singh	निदेशक Director
		ए. वी. गिरिजा कुमार A. V. Girija Kumar	निदेशक Director
		रीना माडिया Rina Madia	उप-कम्पनी सचिव Dy. Company Secretary

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010

Kolkata, the 9th day of June 2010



31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement as at 31st March, 2010

प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

	2009-10 (रूपये '000 में) (Rs. '000)	2008-09 (रूपये '000 में) (Rs. '000)
नकदी आवक		
INFLOW :		
प्रीमियम सेवा कर सहित Premium including Service Tax	30619996	27335946
बैंक गारंटी/जमा प्रीमियम रसीद Bank Guarantee/Deposit Premium Receipts	9248817	7768229
विविध देनदारों से वसूली Sundry Debtors Recovery	570673	170258
विविध प्राप्तियां (हस्तांतरण, डुप्लीकेट, पुराने मदों की बिक्री, पृष्ठांकन फीस आदि) Misc Receipts (Transfer, Duplicate, Sale of old items, Endorsement fees etc.)	35027	34606
ऋण एवं अग्रिम पर नकद वसूली ब्याज सहित (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त) Cash recovery on loans & advances including interest (excepting HB Loan)	448502	449292
अन्य नकदी संग्रहण, यदि कोई हों Other Cash collection, if any	24394251	20414574
प्रचालन गतिविधियों/Total Inflow	65317266	56172905
नकदी जावक :		
OUTFLOW:		
दावों का भुगतान Claims paid	16120563	14520517
कमीशन एवं ब्रोकरेज का सेवा कर सहित भुगतान Commission & Brokerage paid including S.Tax	2624064	2418988
प्रबंधन व्यय एवं व्ययों के लिए अग्रिम Mgt. Expenses & Advances for expenses	4253786	4336450
वापसी/प्रीमियम आधिक्य का भुगतान Refund/ Excess premium payments	591120	646478
वेतन एवं कटौतियों का भुगतान (वृत्तिक कर, आय कर आदि) Payment of Salary and deductions (Professional Tax, Income Tax etc.)	2028380	1626383
ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त) Loans and advances paid (except HBL)	441025	624837
सेवा समाप्ति पर देय भुगतान Payment of Terminal dues	107024	47246
अन्य भुगतान, यदि कोई हों Other paymennts, if any	31597197	29209315
कुल नकदी जावक/Total Outflow	57763159	53430214

	2009-10 (रूपये '000 में) (Rs. '000)	2008-09 (रूपये '000 में) (Rs. '000)
फंड विवरण		
Funds Transactions		
प्र.का./क्षे.का/शा.का/संग्रहण खाते से प्राप्त फंड Funds received from HO/RO/BO/Collection A/c	182368674	177403226
प्र.का./क्षे.का को भेजे गए फंड Funds sent to HO/RO	195487517	190604427
शुद्ध फंड		
Net of Funds	-13118843	-13201201
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	-5564736	-10458510
निवेश गतिविधियाँ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
नकदी आवक		
INFLOW :		
परिसंपत्तियों की बिक्री Sale of Assets	450152612	192282582
भवन निर्माण ऋण की वसूली Recovery of House Building Loan	54088	29611
भवन निर्माण ऋण पर ब्याज Interest on House Building Loan	9684	8810
बैंक ब्याज Bank Interest	4695685	4815562
कुल नकदी आवक/Total Inflow	454912069	197136565
नकदी जावक		
OUTFLOW :		
परिसंपत्तियों की खरीद Purchase of Assets	448816397	188507091
भवन निर्माण ऋण का संवितरण Disbursement of House Building Loan	51432	44554
कुल नकदी जावक/Total Outflow	448867829	188551645



	2009-10 (रूपये '000 में) (Rs. '000)	2008-09 (रूपये '000 में) (Rs. '000)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	6044240	8584920
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
प्रदत्त लाभांश Dividend Paid	—	-326600
लाभांश पर आय कर Income Tax on Dividend	—	-55506
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	—	-382106
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि Net Increase in Cash & Cash equivalent	479504	-2255696
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	3936912	6192608
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष Cash & Cash equivalents at the end of the year	4416416	3936912

कृते निदेशक मंडल

For and on behalf of the Board of Directors

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
DUTTA SARKAR & CO.
Chartered Accountants

गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

(दिलीप बसु)
भागीदार

(Dilip Basu)
Partner

सदस्यता सं. 004205
Membership No. 004205

(डॉ. बी. एस. कुन्डू)
भागीदार

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

सदस्यता सं. 051221
Membership No. 051221

एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद
N. S. R Chandraprasad

ललित कुमार
Lalit Kumar

डी. के. कपीला
D. K. Kapila

कुलदीप सिंह
Kuldip Singh

ए. वी. गिरिजा कुमार
A. V. Girija Kumar

रीना माडिया
Rina Madia

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
Chairman-cum-Managing Director

निदेशक
Director

निदेशक
Director

निदेशक
Director

निदेशक
Director

उप-कम्पनी सचिव
Dy. Company Secretary

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010

Kolkata, the 9th day of June 2010

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट
Segmental Report for the year ended 31st March, 2010

(रु. हजार में)
(Rs. in Thousand)

विवरण PARTICULARS	समुद्री माल MARINE CARGO		समुद्री माल के अलावा OTHER THAN MARINE CARGO		कुल समुद्री TOTAL MARINE	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) PREMIUM EARNED (NET)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	1456296	1400703	971255	640251	2427551	2040954
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	19289	14588	91115	108391	110404	122979
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	307587	309536	899885	583276	1207472	892812
शुद्ध प्रीमियम NET PREMIUM	1167998	1105755	162485	165366	1330483	1271121
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-31121	-61944	2881	31144	-28240	-30800
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	1136877	1043811	165366	196510	1302243	1240321
उपगत दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)						
प्रदत्त दावे - सीधे CLAIMS PAID - DIRECT	853779	864024	585004	565071	1438783	1429095
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	11936	6355	91945	95119	103881	101474
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	149748	163524	647145	495790	796893	659314
शुद्ध प्रदत्त दावे NET CLAIMS PAID	715967	706855	29804	164400	745771	871255
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	1007132	1344245	458927	392424	1466059	1736669
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	1344245	751011	392424	510882	1736669	1261893
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	378854	1300089	96307	45942	475161	1346031
कमीशन COMMISSION						
प्रदत्त कमीशन - सीधे COMMISSION PAID - DIRECT	165906	170978	7643	9182	173549	180160
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	4100	3690	17081	18064	21181	21754
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	50942	54177	34183	36492	85125	90669
शुद्ध कमीशन NET COMMISSION	119064	120491	-9459	-9246	109605	111245



31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट
Segmental Report for the year ended 31st March, 2010

(रु. हजार में)
(Rs. in Thousand)

विवरण PARTICULARS	मोटर निजी क्षति MOTOR OWN DAMAGE		मोटर तृतीय पक्ष MOTOR THIRD PARTY		कुल मोटर TOTAL MOTOR	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) PREMIUM EARNED (NET)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	13474920	13331947	8381541	8169371	21856461	21501318
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	-7716	7707	3846372	3505672	3838656	3513379
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	1396324	1400202	4379084	4183683	5775408	5583885
शुद्ध प्रीमियम NET PREMIUM	12070880	11939452	7848829	7491360	19919709	19430812
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-65714	-228087	-178735	-684402	-244449	-912489
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	12005166	11711365	7670094	6806958	19675260	18518323
उपगत दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)						
प्रदत्त दावे - सीधे CLAIMS PAID - DIRECT	9622170	10370461	9767349	10014157	19389519	20384618
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	11788	4675	1103724	221202	1115512	225877
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	1031610	1456718	2639748	2061589	3671358	3518307
शुद्ध प्रदत्त दावे NET CLAIMS PAID	8602348	8918418	8231325	8173770	16833673	17092188
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	2684544	3435200	25838660	24907715	28523204	28342915
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	3435200	2205803	24907715	23372994	28342915	25578797
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	7851692	10147815	9162270	9708491	17013962	19856306
कमीशन COMMISSION						
प्रदत्त कमीशन - सीधे COMMISSION PAID - DIRECT	1308134	1361338	38	-70677	1308172	1290661
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	1871	2146	—	—	1871	2146
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	270183	267170	88791	89694	358974	356864
शुद्ध कमीशन NET COMMISSION	1039822	1096314	-88753	-160371	951069	935943

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट
Segmental Report for the year ended 31st March, 2010

(रु. हजार में)
(Rs. in Thousand)

विवरण PARTICULARS	नियोक्ता की देयता EMPLOYERS' LIABILITY		जन देयता PUBLIC LIABILITY		इंजीनियरिंग ENGINEERING	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) PREMIUM EARNED (NET)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	375613	327271	223215	191195	1884085	1673373
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	—	-1503	—	—	312105	182978
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	37492	32711	22321	19114	1377653	1134480
शुद्ध प्रीमियम NET PREMIUM	338121	293057	200894	172081	818537	721871
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-22532	-28938	-14406	-19239	-48333	173330
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	315589	264119	186488	152842	770204	895201
उपगत दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)						
प्रदत्त दावे - सीधे CLAIMS PAID - DIRECT	94943	75607	10507	13791	554844	479551
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	—	4737	22	—	-8495	51891
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	24495	12744	1051	2548	270800	133470
शुद्ध प्रदत्त दावे NET CLAIMS PAID	70448	67600	9478	11243	275549	397972
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	253274	173886	169289	129565	921768	932514
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	173886	157705	129565	136736	932514	840387
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	149836	83781	49202	4072	264803	490099
कमीशन COMMISSION						
प्रदत्त कमीशन - सीधे COMMISSION PAID - DIRECT	36549	31686	22081	18184	106934	83448
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	—	—	—	—	48887	52541
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	7497	1	5134	—	505580	408064
शुद्ध कमीशन NET COMMISSION	29052	31685	16947	18184	-349759	-272075

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट
Segmental Report for the year ended 31st March, 2010

(रु. हजार में)
(Rs. in Thousand)

विवरण PARTICULARS	उड्डयन AVIATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य बीमा HEALTH INSURANCE	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) PREMIUM EARNED (NET)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	389467	579259	1034685	825088	10788249	8973079
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	6262	10703	—	—	—	—
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	399841	558117	103603	82514	1078742	897223
शुद्ध प्रीमियम NET PREMIUM	-4112	31845	931082	742574	9709507	8075856
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	17978	28895	-94254	-98489	-816826	-1275994
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	13866	60740	836828	644085	8892681	6799862
उपगत दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)						
प्रदत्त दावे - सीधे CLAIMS PAID - DIRECT	296890	232835	980234	844008	10123111	8496582
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	2186	5814	—	—	—	—
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	278996	202070	98020	155880	1012247	1569935
शुद्ध प्रदत्त दावे NET CLAIMS PAID	20080	36579	882214	688128	9110864	6926647
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	144139	65053	1697340	1073552	2491084	1950830
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	65053	46316	1073552	933174	1950830	1311084
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	99166	55316	1506002	828506	9651118	7566393
कमीशन COMMISSION						
प्रदत्त कमीशन - सीधे COMMISSION PAID - DIRECT	222	1672	118654	99305	1133819	1004137
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	614	882	—	—	—	—
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	10520	17586	15532	2	161811	—
शुद्ध कमीशन NET COMMISSION	-9684	-15032	103122	99303	972008	1004137

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट
Segmental Report for the year ended 31st March, 2010

(रु. हजार में)
(Rs. in Thousand)

विवरण PARTICULARS	विविध अन्य MISCELLANEOUS OTHERS		विविध योग MISCELLANEOUS TOTAL	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) PREMIUM EARNED (NET)			
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	3150434	2855026	39702209	36925609
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	275367	148305	4432390	3853862
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम LESS: PREMIUM ON R/I CEDED	661632	505101	9456692	8813146
शुद्ध प्रीमियम NET PREMIUM	2764169	2498230	34677907	31966325
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-132970	205362	-1355792	-1927563
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	2631199	2703592	33322115	30038762
उपगत दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)				
प्रदत्त दावे - सीधे CLAIMS PAID - DIRECT	1661422	1380948	33111470	31907940
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	191939	121668	1301164	409987
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	466898	173482	5823865	5768436
शुद्ध प्रदत्त दावे NET CLAIMS PAID	1386463	1329134	28588769	26549491
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	2478664	2649545	36678762	35317860
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	2649545	2648536	35317860	31652735
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	1215582	1330143	29949671	30214616
कमीशन COMMISSION				
प्रदत्त कमीशन - सीधे COMMISSION PAID - DIRECT	414361	416699	3140792	2945792
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा ADD: R/I ACCEPTANCE	60372	43246	111744	98815
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा LESS: R/I CEDED	104979	300057	1170027	1082574
शुद्ध कमीशन NET COMMISSION	369754	159888	2082509	1962033



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 अग्नि

SCHEDULE - 1 FIRE

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

PREMIUM EARNED [NET]

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	4,330,129	3,991,985
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	811,589	437,583
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less : Premium on reinsurance ceded	1,373,568	1,130,686
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	3,768,150	3,298,882
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(234,634)	(354,729)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	3,533,516	2,944,153

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 2 अग्नि
SCHEDULE - 2 FIRE

उपगत दावे (शुद्ध)
CLAIMS INCURRED [NET]

	विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त दावे Claims paid			
प्रत्यक्ष Direct		2,658,299	3,658,370
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add :Re-insurance accepted		367,906	177,833
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा Less :Re-insurance ceded		868,018	2,037,416
शुद्ध प्रदत्त दावे Net Claims paid		2,158,187	1,798,787
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे Add Claims Outstanding at the end of the year		3,734,702	3,864,106
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे Less Claims Outstanding at the beginning of the year		3,864,106	3,286,814
कुल उपगत दावे Total Claims Incurred		2,028,783	2,376,079



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 3 अग्नि
SCHEDULE-3 FIRE

कमीशन
COMMISSION

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त कमीशन Commission paid		
प्रत्यक्ष Direct	281,578	261,358
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Re-insurance accepted	139,008	114,976
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance ceded	298,610	267,836
शुद्ध कमीशन Net Commission	121,976	108,498

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 समुद्री
SCHEDULE - 1 MARINE

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

PREMIUM EARNED [NET]

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	2,427,551	2,040,954
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	110,404	122,979
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less : Premium on reinsurance ceded	1,207,472	892,812
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	1,330,483	1,271,121
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(28,239)	(30,800)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	1,302,244	1,240,321



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 2 समुद्री
SCHEDULE - 2 MARINE

उपगत दावे (शुद्ध)

CLAIMS INCURRED [NET]

विवरण Particulars	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)	2007 - 2008 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त दावे Claims paid		
प्रत्यक्ष Direct	1,438,783	1,429,095
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add :Re-insurance accepted	103,881	101,474
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा Less :Re-insurance ceded	769,893	659,314
शुद्ध प्रदत्त दावे Net Claims paid	745,771	871,255
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे Add Claims Outstanding at the end of the year	1,466,059	1,736,669
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे Less Claims Outstanding at the beginning	1,736,669	1,261,893
कुल उपगत दावे Total Claims Incurred	475,161	1,346,031

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 3 समुद्री
SCHEDULE-3 MARINE

कमीशन

COMMISSION

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त कमीशन Commission paid		
प्रत्यक्ष Direct	173,549	180,160
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Re-insurance accepted	21,181	21,754
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance ceded	85,125	90,669
शुद्ध कमीशन Net Commission	109,605	111,245



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 विविध
SCHEDULE - 1 MISCELLANEOUS

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)
PREMIUM EARNED [NET]

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	39,702,209	36,925,609
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	4,432,390	3,853,862
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less : Premium on reinsurance ceded	9,456,692	8,813,146
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	34,677,907	31,966,325
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(1,355,792)	(1,927,184)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	33,322,115	30,039,141

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 2 विविध
SCHEDULE - 2 MISCELLANEOUS

उपगत दावे (शुद्ध)
CLAIMS INCURRED [NET]

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त दावे Claims paid		
प्रत्यक्ष Direct	33,111,470	31,907,940
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add :Re-insurance accepted	1,301,164	409,987
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा Less :Re-insurance ceded	5,823,865	5,768,436
शुद्ध प्रदत्त दावे Net Claims paid	28,588,769	26,549,491
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे Add Claims Outstanding at the end of the year	36,678,762	35,317,860
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे Less Claims Outstanding at the beginning	35,317,860	31,652,735
कुल उपगत दावे Total Claims Incurred	29,949,671	30,214,616



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 3 विविध
SCHEDULE-3 MISCELLANEOUS

कमीशन
COMMISSION

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
प्रदत्त कमीशन Commission paid		
प्रत्यक्ष Direct	3,140,792	2,945,792
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add: Commission on Re-insurance accepted	111,744	98,815
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance ceded	1,170,027	1,082,574
शुद्ध कमीशन Net Commission	2,082,509	1,962,033

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 4

SCHEDULE - 4

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

विवरण Particulars	2009 - 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 - 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण Employees' remuneration & welfare benefits	9,186,036	7,180,728
2. यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	334,415	332,013
3. प्रशिक्षण व्यय Training expenses	19,771	36,121
4. किराया, दर एवं कर Rents, rates & taxes	374,266	340,506
5. मरम्मत Repairs	7,140	7,263
6. मुद्रण एवं लेखन सामग्री Printing & stationery	169,189	154,425
7. सम्प्रेषण Communication	118,537	111,052
8. विधिक एवं पेशागत शुल्क Legal & professional charges	51,786	45,285
9. लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees, expenses etc		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	19,455	17,126
(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में (b) as adviser or in any other capacity, in respect of		
(i) कराधान के मामलों में (i) Taxation matters	—	—
(ii) बीमा के मामलों में (ii) Insurance matters	—	—
(iii) प्रबंधन सेवा के मामलों में, एवं (iii) Management services; and	—	—
(ग) किसी अन्य रूप में (c) in any other capacity	—	—
10. विज्ञापन तथा प्रचार Advertisement and publicity	100,095	134,366



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

विवरण Particulars	2009 – 2010 (रु. '000) (Rs.'000)	2008 – 2009 (रु. '000) (Rs.'000)
11. ब्याज एवं बैंक प्रभार Interest & Bank Charges	46,483	54,782
12. अन्य Others	1,183,616	897,124
13. मूल्यहास Depreciation	576,981	152,827
कुल TOTAL	12,187,770	9,463,618
निम्न को आबंटित :- Allocated to :-		
अग्नि Fire	1,218,333	965,965
समुद्री Marine	450,416	353,783
विविध Miscellaneous	10,519,021	8,143,870
कुल TOTAL	12,187,770	9,463,618

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 5
SCHEDULE - 5
शेयर पूंजी
SHARE CAPITAL

विवरण Particulars	को / As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	को / As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital रु. 10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	2,000,000	2,000,000
2 निर्गत, अभिदत्त तथा चुकता 10 रु. प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें शामिल है 10 रु. प्रति के 9,70,96,955 सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में इक्विटी शेयर) Issued, Subscribed and Paid-up 10,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each (include 9,70,96,955 Equity Shares of Rs. 10 each as fully paid-up Bonus Shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)	1,000,000	1,000,000
योग TOTAL	1,000,000	1,000,000

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 5क
SCHEDULE - 5A

शेयर पूंजी
SHARE CAPITAL

शेयर धारण की परिपाटी
PATTERN OF SHAREHOLDING

शेयरधारक
Shareholder

	As at 31.03.2010 को		As at 31.03.2009 को	
	शेयरो की संख्या Number of Shares	%धारण % of Holding	शेयरो की संख्या Number of Shares	%धारण % of Holding
प्रोत्साहक / Promoters				
● भारत / India	100,000,000	100%	100,000,000	100%
● विदेशी / Foreign	—	—	—	—
अन्य / Others	—	—	—	—
योग / TOTAL	<u>100,000,000</u>		<u>100,000,000</u>	

अनुसूची - 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित तथा अधिशेष
RESERVES AND SURPLUS

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 को (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 को (रु. '000) (Rs.'000)
	1 सामान्य आरक्षित पिछले लेखा का अतिशेष General Reserves Balance as per last account	13,080,460
घटाएं : आस्थगित कर सम्पत्ति का समायोजन Less: Adjustment for Deferred Tax Asset लाभ व हानि लेखा से अंतरित अतिशेष Transfer from Profit and Loss Account	1,734,103	(1,492,087)
	<u>14,814,563</u>	<u>13,080,460</u>
2 निवेश आरक्षित Investment Reserve	9,610	9,610
3 विनिमय आरक्षित Exchange Reserve	4,817	4,817
योग / TOTAL	<u>14,828,990</u>	<u>13,094,887</u>



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 7
SCHEDULE - 7

उधार
BORROWINGS

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 ऋणपत्र / बंधपत्र Debentures/ Bonds	NIL	NIL
2 बैंक Banks	NIL	NIL
3 वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions	NIL	NIL
4 अन्य (निर्दिष्ट करें) Others (to be specified)	NIL	NIL
योग / TOTAL	NIL	NIL

अनुसूची - 8
Schedule -8

निवेश
INVESTMENTS

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
दीर्घकालीन निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (नीचे नोट देखें) Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills (See note below)	20,313,302	17,133,291
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	278,727	278,727
3 अन्य निवेश Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) इक्विटी / (aa) Equity	99,105,936	55,487,870
(खख) अधिमान / (bb) Preference	92,986	731,779
(ख) म्युचुअल फंड (b) Mutual Funds		

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
	(ग) ऋणपत्र/बंधपत्र (c) Debentures/ Bonds	4,599,724
(घ) स्व सहायक और अन्य वेंच्योर पूंजी (d) Auto Ancillary and Venture Capital	33,722	36,418
(च) निवेश सम्पत्तियाँ - भूसंपत्ति (e) Investment Properties-Real Estate	6,154	6,765
4 दांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	8,817,740	8,008,545
5 अनुमोदित निवेश के अलावा Other than Approved Investments	623,241	865,671
अल्पकालिक निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2,548,614	2,019,191
2 अन्य निवेश Other Investments		
(क) मुचुअल फंड (a) Mutual Funds	4,133,706	1,899,895
(ख) ऋणपत्र/बंधपत्र (b) Debentures/ Bonds	549,962	50,091
(ग) अन्य प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक कागज) (c) Other securities (Commercial Paper)	—	—
3 दांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	297,194	559,090
4 अनुमोदित निवेश के अलावा Other than Approved Investments	384,364	546,549
योग / TOTAL	141,785,372	91,509,255

नोट : (i) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में भा. रि. बै. में जमा रु.100633 हजार शामिल है। (विगत वर्ष रु.100706 हजार)।
(ii) निष्क्रिय ऋण-पत्र के लिए रु.276257 हजार (वि.व. रु.291527 हजार) के प्रावधान को डूबत और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है।

Notes: (i) Includes Rs.100633 thousand (Previous year Rs.100706 thousand) deposited with RBI In pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938.
(ii) Provision of Rs.276257 thousand (Previous year 291527 thousand) against non-performing debentures is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण
LOANS

विवरण Particulars		As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	सुरक्षित Secured	2,819,384	2,841,141
	(क) सम्पत्ति के बन्धक पर (a) On mortgage of property		
	(कक) भारत में (aa) In India	930,029	958,094
	(खख) भारत से बाहर (bb) Outside India	—	—
	(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	—	—
	(ग) अन्य - गृहऋण (c) Others - HBL	1,889,355	1,883,047
	असुरक्षित Unsecured	778,322	942,865
	योग / TOTAL	3,597,706	3,784,006
2	ऋणी-वार वर्गीकरण BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	434,210	490,420
	(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	15,182	15,182
	(ग) अनुषंगियाँ (c) Subsidiaries	—	—
	(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	1,021,320	1,049,385
	अन्य (e) Others	2,126,994	2,229,019
	योग / TOTAL	3,597,706	3,784,006

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण
LOANS

	विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
3	निष्पादन-वार वर्गीकरण PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard		
	(कक) भारत में		
	(aa) In India	2,986,047	2,920,911
	(खख) भारत में बाहर		
	(bb) Outside India	—	—
	(ख) प्रॉविजन घटाकर निष्क्रिय ऋण		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	*(कक) भारत में		
	(aa) In India *	611,659	863,095
	(खख) भारत से बाहर		
	(bb) Outside India		
	योग / TOTAL	3,597,706	3,784,006
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पकालिक		
	(a) Short Term	1,703,416	347,141
	(ख) दीर्घकालिक		
	(b) Long Term	1,894,290	3,436,865
	योग / TOTAL	3,597,706	3,784,006

*नोट : निष्क्रिय ऋण के लिए रु.423461 हजार (वि.व.रु.429278 हजार) के प्रावधान का डूबत और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के अनुसूची 14 में शामिल किया गया है।

*Note : Provision of Rs.423461 thousand (Previous year Rs.429278 thousand) against non-performing loans is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 10
SCHEDULE - 10

31 मार्च 2010 को स्थायी सम्पत्ति
FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2010

(रु.'000)
(Rs.'000)

विवरण Particulars	लागत/सकल ब्लाक Cost/ Gross Block				मूल्य ह्रास Depreciation			शुद्ध ब्लाक Net Block		
	01.04.2009 को आरम्भ Opening as at 01.04.2009	वर्ष के दौरान अतिरिक्त Additions during the year	वर्ष में कमी Reductions during the year	31.03.2010 को समापन Closing as on 31.03.2010	31.03.2009 तक Upto 31.03.2009	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री/ समायोजन Adjust- ments	31.03.2010 को As at 31.03.2010	31.03.2010 को As on 31.03.2010	31.03.2009 को As on 31.03.2009
साख Goodwill	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अदृश्य Intangibles (specify)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जमीन-मुक्त Land-Freehold	6,532	—	—	6,532	—	—	—	—	6,532	6,532
पट्टा धारित सम्पत्ति Leasehold Property	4,415	—	—	4,415	363	74	—	437	3,978	4,052
भवन Buildings	328,565	875	—	329,440	112,838	11,985	—	124,823	204,617	215,727
फर्नीचर व फिटिंग Furniture & Fittings	247,027	9,642	1,997	254,672	217,382	7,565	(1,538)	223,409	31,263	29,645
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	1,705,633	1,052,624	99,994	2,658,263	1,642,266	502,693	(80,436)	2,064,523	593,740	63,367
वाहन Vehicles	370,087	145,354	113,344	402,097	212,506	51,752	-34,701	229,557	172,540	157,581
कार्यालय उपकरण Office Equipment	168,352	5,102	3,249	170,205	142,985	4,332	(2,044)	145,273	24,932	25,367
अन्य* Others *	275,450	13,819	2,023	287,246	216,583	10,640	-1,371	225,852	61,394	58,867
योग TOTAL	3,106,062	1,227,416	220,607	4,112,871	2,544,923	589,041	(120,090)	3,013,874	1,098,996	561,138
पूँजी कार्य प्रगति में Capital Work in वातानुकूल यन्त्र progress - A.C. अन्य Others	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग Grand Total	3,106,062	1,227,416	220,607	4,112,871	2,544,923	589,041	(120,090)	3,013,874	1,098,996	561,138
विगत वर्ष PREVIOUS YEAR	3,052,949	232,500	179,387	3,106,062	2,417,631	165,773	-38,481	2,544,923	561,138	—

*अन्य में शामिल है बिजली के उपकरण, एयरकंडीशनर, जनरेटर तथा साइकिल

*Others includes Electrical Equipments, Airconditioner, Generator and Cycle.

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 11

SCHEDULE- 11

नकद तथा बैंक अतिशेष

CASH AND BANK BALANCE[S]

विवरण Particulars		As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	329,686	288,985
2	बैंक अतिशेष Bank Balances		
	(क) जमा लेखा (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय) (aa) Short-term (due within 12 months)	1,908,758	1,450,435
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	1,595,175	1,569,375
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
	(क) बैंक में (a) With Banks	—	—
	(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	—	—
4	पारवहन में जमा Remittances in Transit	582,797	628,117
	योग TOTAL	4,416,416	3,936,912
	उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं गैर अनुसूचित बैंकों (नेपाल शाखा में) में अतिशेष Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above (at Nepal Branch)	—	—



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 12

SCHEDULE - 12

अग्रिम तथा अन्य सम्पत्तियाँ

ADVANCES AND OTHER ASSETS

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
अग्रिम ADVANCES		
1 अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies	115,964	113,508
2 निवेश के लिए आवेदन राशि Application money for investments	—	—
3 अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	1,286,376	2,187,625
4 अग्रिम, जमा तथा पूर्वप्रदत्त खर्च Advance, Deposits & Pre-paid Expenses	753,688	683,340
योग (क) TOTAL (A)	<u>2,156,028</u>	<u>2,984,473</u>
अन्य सम्पत्तियाँ OTHER ASSETS		
1 निवेशों पर प्रोद्भूत आय Income accrued on investments	1,203,202	35,980
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	73,180	29,140
3 एजेंटों का अतिशेष Agents' Balances	58,037	16,057
4 बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	19,290,801	16,327,152
5 भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]	—	—
6 अन्य (ब्याज, लाभांश तथा बकाया किराया, देनदार तथा वाहन ऋण) Others (Interest, Dividend, Rent Outstanding, Debtors and Vehicle Loan)	6,324,785	6,248,106
7 अंतरकार्यालय Inter Office	—	—
योग (ख) / TOTAL (B)	<u>26,950,190</u>	<u>22,656,435</u>
योग (क+ख) / TOTAL (A+B)	<u>29,106,218</u>	<u>25,640,908</u>

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 13

SCHEDULE - 13

वर्तमान देयताएं

CURRENT LIABILITIES

	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
विवरण Particulars		
1 एजेंटों के अतिशेष Agents' Balances	528,185	410,963
2 अन्य बीमा कम्पनियों को देय अतिशेष Balances due to other insurance companies	4,641,415	4,648,306
3 अर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा Deposits held on re-insurance ceded	8,203	3,919
4 अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	492,498	398,446
5 विविध लेनदार Sundry creditors	13,597,796	9,186,426
6 पुराने शेयरधारकों को देय Due to former share holders	292	292
7 बकाया दावे Claims Outstanding	41,879,522	40,918,635
8 अन्य (अदावी लाभांश) Others - (Unclaimed Dividend)	—	—
9 अंतरकार्यालय Inter office	—	160
योग / TOTAL	61,147,911	55,567,147



वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 14
SCHEDULE - 14

प्रावधान
PROVISIONS

	विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित Reserve for Unexpired Risk	19,969,513	18,350,847
2	प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed dividends	439,784	—
3	लाभांश संवितरण कर के लिए For dividend distribution tax	74,741	—
4	संदिग्ध ऋणों के लिए For doubtful debts	2,550,000	1,420,000
	योग / TOTAL	23,034,038	19,770,847

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 15
SCHEDULE - 15

विविध खर्च

MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

(To the extent not written off or adjusted)

विवरण Particulars	As at 31.03.2010 (रु. '000) (Rs.'000)	As at 31.03.2009 (रु. '000) (Rs.'000)
1 जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छुट Discount Allowed in issue of shares/ debentures	—	—
2 आस्थगित राजस्व खर्च-वीआरएस खर्च Deferred Revenue Expenditure - VRS Expenses		
पिछले वर्ष का अतिशेष Balance as per last year	65,526	91,268
जोड़ें : वर्ष के लिए एसवीआरएस खर्च (केवल अनुग्रही राशि) Add: Expenses for the year (software only)	817,044	39,292
	882,570	130,560
घटाएं : वर्ष के लिए संविभाजित Less: Amortised during the year		
i) 2007-08 (2004-05) के लिए i) On account of 2007-08 (2004-05)	39,331	12,606
ii) 2008-09 के लिए (2007-08 एवं 2008-09) ii) On account of 2008-09 (2007-08 & 2008-09)	13,097	52,428
iii) वर्ष 2009-10 के लिए iii) On account of 2009-10	272,348	—
वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR	557,794	65,526

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परम्परा

- 1.1 तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और आय लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11 (1ए) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं। उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तैयार करना) विनियम, 2002 की प्रयोजनीयता सीमा तक अनुरूप है और अन्यथा वर्णित को छोड़कर भारत में साधारण बीमा उद्योग में लागू सांविधिक प्रावधानों और व्यवहार के अनुरूप है।
- 1.2 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्टीमेट एवं पूर्वानुमान, जहाँ आवश्यक रहा, तत्काल बनाया गया। लेखा इस्टीमेट में किसी प्रकार के संशोधन को भविष्य के सापेक्ष में लिया गया।
- 1.3 अन्यथा नीचे वर्णित के अलावा आय एवं व्यय को संभूति के आधार पर लिया गया।

2. पुनर्बीमा :

- 2.1 विदेशी बीमा कम्पनियों से प्राप्त 31 मार्च तक की आवक विवरणी तथा तत्पश्चात भारतीय कम्पनियों से प्राप्त विवरणी भी लेखा में शामिल की जाती है।
- 2.2 प्रचालन कार्यालयों से प्राप्त सलाह/विवरणी के आधार पर पुनर्बीमा अर्पण किया जाता है जहाँ कहीं वास्तविक/पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है वहाँ पुनर्बीमा अर्पण पुनर्बीमा विभाग में उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।
- 2.3 प्रत्येक तिमाही में विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा आय लेन देन तिमाही के आरंभ की विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं।
- 2.4 विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा की सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएं वर्ष की अंतिम तारीख की विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं।
- 2.5 विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

3. विदेशी शाखा लेखा :

- 3.1 विदेशी शाखाएं विदेशी प्रचालन का आभिन्न अंग हैं। कम्पनी की विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में धारित स्थायी परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत को अधिग्रहण वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3.2 उपर्युक्त 3.1 में वर्णित के अलावा परिसम्पत्तियों तथा विदेशी शाखाओं की देयताओं को वर्ष के अंत की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3.3 विदेशी शाखाओं से सम्बंधित आय, लेन देन को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में विद्यमान औसत विनिमय दर पर वर्ष के अंत में परिवर्तित किया जाता है।
- 3.4 विदेशी शाखाओं, 3.1 में वर्णित के अलावा के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

Schedule 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION :

- 1.1 The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11 (1A) of the Insurance Act, 1938, read with the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The said statements are prepared on historical cost convention and comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the general insurance industry in India except as otherwise stated.
- 1.2 For preparation of the financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are made on prudent and reasonable basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.
- 1.3 Income and expenditure are accounted on accrual basis except otherwise stated below.

2. RE-INSURANCE :

- 2.1 Inward returns from foreign insurance companies received upto 31st March and returns from Indian companies received subsequently upto the cut-off date are incorporated in the accounts.
- 2.2 Accounting of re-insurance cessions is done on the basis to the extent of advice/returns including amendments/supplements received from operating offices. Wherever full particulars are not available, accounting is on the basis of information available with the re-insurance department.
- 2.3 Revenue transactions of each quarter in foreign currencies are converted as per the rates of exchange advised by General Insurance Corporation of India.
- 2.4 Assets and liabilities in foreign currencies at the end of the year are converted at the rates of exchange prevailing on that date as advised by General Insurance Corporation of India.
- 2.5 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities in foreign currencies is accounted for as revenue.

3. FOREIGN BRANCH ACCOUNTS :

- 3.1 Foreign branches are treated as integral foreign operations. The cost of fixed assets held in foreign currencies at the company's foreign branches are converted at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.
- 3.2 Assets, other than those mentioned in 3.1 above, and liabilities of the foreign branches are converted at the rates of exchange at the year-end.
- 3.3 Revenue transactions relating to foreign branches are converted at the year end at the average of the rates of exchange prevailing at the beginning of each quarter.
- 3.4 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities of the foreign branches other than those mentioned in 3.1 above is accounted for as revenue.

4. बकाया दावे :

4.1 बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता का प्रावधान निम्नवत है:

- (क) भारत में प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त सूचना के आधार पर,
- (ख) बीमा कम्पनियों/एजेंटों द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में, निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर,
- (ग) समर्थन में सूचना सलाह के अभाव में चालू रुझान और विगत बीमा लेखन अनुभव के आधार पर प्राक्कलन करके प्रावधान किया जाता है।

4.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर **उपगत किन्तु सूचित नहीं** दावों का प्रावधान किया जाता है।

4.3 जहां कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पालिसी विवरणों के बगैर कम्पनी को न्यायालय के सम्मन भेजे गए हैं उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के प्राक्कलित मूल्य की 1/3 सीमा तक का प्रावधान विद्यमान परिपाटी के अनुसार किया जाता है। तथापि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को एक वर्ष से अधिक से अनिर्धारित पड़े दावों के लिए पूरा प्रावधान होता है।

5. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित :

समुद्री पोत व्यवसाय के अलावा शुद्ध प्रीमियम के 50% का असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित किया जाता है। समुद्री पोत के मामले में यह शुद्ध प्रीमियम का 100% किया जाता है।

6. ऋण और निवेश :

6.1 निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण स्टाम्प, शुल्क आदि शामिल है। म्युचुअल फंड निवेशों को छोड़कर प्राप्त प्रोत्साहन लागत से घटा दिया जाता है।

6.2 निवेशों का मूल्यांकन आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार हैं जो निम्नवत हैं:-

अ) **ऋण प्रतिभूति** : सरकारी प्रतिभूतियां और पुनिर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण प्रतिभूतियां, निम्नलिखित अनुच्छेद (बी) व (सी) में विनिर्दिष्ट के अलावा को परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा पदत प्रीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किश्त बढ़ किया जाता है।

ब) **इक्विटी प्रतिभूतियां जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार होता है**: सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ/हानि को **उचित मूल्य परिवर्तन लेखा** शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूंजी को ह्रास में तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का निर्धारित मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो जाय। उपर्युक्त प्रक्रिया तब अपनायी जाती है जब पूंजी में ह्रास हो रहा हो और लगातार तीन वर्षों से हानि हो रही है या पिछले तीन वर्षों से वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो तब इक्विटी शेयरों को उनके बाजार मूल्य पर अवलिखित किया जाता है।

स) **गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय इक्विटी को छोड़कर प्रतिभूतियां** : मूल्यह्रास के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापी गयी हैं:-

जहां विघटन मूल्य कम है वहाँ अधिग्रहण लागत और विघटन मूल्य में अन्तर की राशि के बराबर का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु नवीनतम तुलन-पत्र के आधार पर विघटन मूल्य ज्ञात होता है जिसे मूल्यांकन की तिथि से

4. OUTSTANDING CLAIMS :

4.1 Estimated liability for outstanding claims is provided as follows:

- (a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,
- (b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut off date.
- (c) wherever supporting information is not available, provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.

4.2 Provisions for claims 'Incurred But Not Reported' (IBNR) are made on the basis of actuarial valuation.

4.3 Provisions in respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, are made to the extent of 1/3rd of the value of such unidentified claims in accordance with the existing practice. For claims remaining unidentified over one year, full provision is made.

5. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK :

Reserve for unexpired risk are made at 50% of net premium except in the case of marine hull business where it is made at 100% of net premium.

6. LOANS AND INVESTMENTS :

6.1 Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees etc. Incentives received are deducted from cost.

6.2 Investments are valued as per IRDA Regulations as follows:

- (a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities and Redeemable Preference shares other than those specified in Para (b) & (c) below are considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.
- (b) **Equity Shares traded in active market :** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired if the break-up value of a particular security is less than its face value. When capital is impaired and there is a three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are written down to their market value.

- (c) **Unlisted and other than actively traded equity securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

Provision is made equivalent to the amount of difference in acquisition cost and the break-up value of the share wherever break-up value is less. For this purpose the break-up value

1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। जहाँ विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहाँ अधिग्रहण मूल्य और नाममात्र मूल्य रु.1/- प्रति कम्पनी के बीच के अन्तर का प्रावधान होगा।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूंजी को ह्रास में तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का विधदित मूल्य इसके आंकित मूल्य से कम हो जाय।

जहाँ पूंजी में ह्रास हुआ हो और लगातार तीन वर्षों से वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो वहाँ इक्विटी शेयर को धनात्मक विघटन मूल्य तक अवलिखित किया जाता है नहीं तो नाममात्र मूल्य रु.1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

द) **अधिमान शेयर:** ऐसी कम्पनियों के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन प्रीमियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है-। अधिमान शेयर में ह्रास उस समय होता है जब कंपनियां पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हों या जिनकी पूंजी आंशिक/पूर्णतया ह्रास में हों या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। ह्रास के प्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत होता है-

- यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।
- यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात में होता है। जहाँ इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहाँ मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलन-पत्र पर उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य 1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

य) **ऋण:** ऋण (ऋण पत्र सहित) मूल्यह्रास प्रावधान के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गये हैं। मूल्यह्रास प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए प्रावधान आदि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋण-पत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि प्रावधान करने के प्रयोजन से प्रतिभूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

र) अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखत जैसे जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, का लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य पर होता है।

ल) निवेश ह्रास का आंकलन तुलन पत्र की तिथि पर किया जाता है तथा लाभ एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6.3. अ) लाभांश घोषित होनेवाले वर्ष में ही लेखांकित किए जाते हैं चाहे उसी वर्ष में प्राप्त नहीं हों।

ब) जहाँ कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में लाभांश घोषित होता है किन्तु बाद में ऐसे लाभांश का मिलना संदिग्ध हो जाता है वहाँ संदिग्ध ऋणों, निवेशों और उधार के लिए प्रावधान शीर्षक से समुचित राशि का प्रावधान किया जाता है।

स) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका लाभांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।

is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When the break-up value is negative, provision shall be the difference between the acquisition cost and a nominal value of Re.1/- per company.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares also capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value.

When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the annual accounts are not available for the last three years, such equity shares are written down to the break-up value where break-up value is positive otherwise to a nominal value of Re.1/- per company.

(d) **Preference Shares:** Investment in Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, if any. Impairment in Preference Shares is recognized where the companies are making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:

- i) If the equity shares of a Company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.
- ii) If the equity shares of a company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of Re.1/- per company.

(e) **Loans:** Loans (including Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA.

Prudential norms for loans and debentures, as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. However, the value of security for the purpose of provisioning is ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with 'Capitaline'.

(f) Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.

(g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

- 6.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which it is declared though not received within the year.
- (b) Where dividend is declared at the Annual General Meeting of the company, but subsequently the receipt of such dividend becomes doubtful, provision is made for the appropriate amount under the head 'Provision for Doubtful Loans, Investments and Debts'.
- (c) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realisation.

- 6.4 जहाँ शेयरों/ऋणपत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋणपत्र प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि इन शेयरों की खरीद के तत्काल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने के दौरान लाभांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से लाभांश की राशि घट जाती है।
- 6.5 जहाँ बोनस शेयर प्राप्त हुए हों वहाँ बही मूल्य को प्रभावित किए बिना शेयरों की संख्या दर्ज है।
- 6.6 म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।
- 6.7 निवेश सम्पत्ति: भूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत से मूल्यहास घटाकर किया जाता है।
- 6.8 ब्याज, लाभांश तथा भाड़े की शुद्ध आय तथा निवेशों की बिक्री/वसूली से हुई लाभ/हानि को वर्ष के आरम्भ में पालिसीधारकों के कोष और शेयरधारकों के कोष के अनुपात में आय लेखा (पालिसीधारकों का लेखा) और लाभ व हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) के बीच बांट दिया जाता है।

7. प्रबंधन/प्रचालन खर्च :

- 7.1 लाभ और हानि लेखा में प्रभारित व्ययों को छोड़कर अन्य प्रबंधन खर्च, समुद्री कारोबार के लिए 75% तथा अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% महत्व देते हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के योग के आधार पर आय लेखा में संविभाजित किये जाते हैं।

8. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास:

- अ) स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत संचयी मूल्यहास घटाकर की जाती है।
- ब) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास आयकर नियम 1962 में या कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्धारित दरों पर जो भी अधिक हो, अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।
- स) पट्टाधारित सम्पत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।
- द) वर्ष के दौरान वृद्धियों के संबंध में मूल्यहास प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए अवधि की गणना आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। वर्ष के दौरान बेची गई/रद्द की गई/नष्ट की गई स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।
- य) विदेशों की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में उन देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार मूल्यहास प्रभारित किये जाते हैं।

9. कर्मचारी सुविधा:

अनुग्रही राशि, पेंशन, एवं अवकाश नकदीकरण, बीमारी अवकाश एवं एलटीएस का प्रावधान लेखामानकों (एएस 15) व कर्मचारी सहायता (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकक मूल्यों के आधार पर किया गया है।

10. परिसम्पत्तियों का मूल्यहास :

किसी सम्पत्ति का मूल्यहास तब माना जाता है जब उसकी वर्तमान लागत उसके रिकवरी मूल्य से अधिक हो। इस तरह के मूल्यहास हानियों को लाभ एवं हानि लेखा में मूल्यहास होने के वर्ष दिखाया जाता है। मूल्यहास हानि की पहचान विगत लेखा वर्ष में वर्तमान लागत पर अनुमानित वसूली योग्य मूल्य में अर्धगामी परिवर्तन के आधार पर प्रतिवर्तित है।

- 6.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.
- 6.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.
- 6.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.
- 6.7 Investment Properties - Real Estates are valued at historical cost less depreciation and impairment loss.
- 6.8 Interest, dividend and rent income, net of expenses and profit/loss on sale/realisation of investments, are apportioned between Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year.

7. EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES :

- 7.1 Expenses of Management, other than those charged to Profit and Loss Account, are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Gross Direct Premium plus Reinsurance Acceptance Premium giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- (a) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- (b) Depreciation on fixed assets is charged on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 or in the Income Tax Rules, 1962, whichever is higher.
- (c) In case of leasehold properties, lease premium is amortised over the lease period.
- (d) In respect of additions during the year, the period for charging depreciation is reckoned as per the provisions of the Income Tax Rules, 1962. No depreciation is charged on sale/disposal during the year.
- (e) In respect of fixed assets in foreign countries, depreciation is charged as per local laws of those countries.

9. EMPLOYEE BENEFITS

Provision for gratuity, pension, leave encashment, sick leave and leave travel subsidy is made on actuarial valuation in accordance with Accounting Standard 15 (Revised 2005), on Employee Benefits.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when its carrying cost exceeds its recoverable value. Such impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which impairment has occurred. Impairment loss recognized in a prior accounting year is reversed on the upward change in the estimate of recoverable value over the carrying cost.



11. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां :

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का परिशोधन उनके प्रयोग की अवधि के सापेक्ष होता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग:

सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सेगमेंट को आईआरडीए (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) रेग्यूलेशन 2002 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभक्त किया गया है।

13. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां:

क) पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का प्रावधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटिल करने में संसाधनों के आउटफ्लो की संभाव्यता आवश्यक होगी जिसके सम्बन्ध में विश्वस्त आंकलन बनाया जा सके।

ख) अनिश्चित परिसम्पत्तियों को लेखा में नहीं लिया जाता।

14. अन्य:

14.1. कर वापसी पर ब्याज का लेखांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

14.2. साल्वेज वसूलियों का लेखांकन मिल जाने पर होता है तथा दावा लेखा में जमा होता है।

14.3. कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों के विवरणों के आधार पर कम्पनी द्वारा चुकाये गये इनपुट सर्विस टैक्स जमा को लेखा में शामिल किया गया।

कृते निदेशक मंडल

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार	गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार	एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद ललित कुमार डी. के. कपीला कुलदीप सिंह ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक उप-कम्पनी सचिव
(दिलीप बसु) भागीदार सदस्यता सं. 004205	(डॉ. बी. एस. कुन्डू) भागीदार सदस्यता सं. 051221		

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010

11. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets are amortized over the useful life of the assets.

12. SEGMENTAL REPORTING

For the purpose of segmental reporting segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

13. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

- (a) Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made.
- (b) Contingent assets are not recognized in the accounts.

14. OTHERS

- 14.1 Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax Authorities.
- 14.2 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.
- 14.3 Service Tax credit for input service tax paid by the company is considered in the accounts on the basis of the statements received from various offices of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

DUTTA SARKAR & CO. Chartered Accountants	GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Lalit Kumar	Director
		D. K. Kapila	Director
		Kuldip Singh	Director
(Dilip Basu) Partner	(Dr. B. S. Kundu) Partner	A. V. Girija Kumar	Director
Membership No. 004205	Membership No. 051221	Rina Madia	Dy. Company Secretary

Kolkata, the 9th day of June 2010

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची 17

लेखा के अंगीभूत टिप्पणियाँ

1. प्रासंगिक देयताएँ निम्नवत हैं :

क) आंशिक रूप से चुकता शेयरों में रू 4181 हजार (रू.4181 हजार)

ख) कंपनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं या विवादास्पद हैं रू.144160 हजार (रू.81082 हजार)।

ग) विवदित आय कर रू.345978 हजार (रू.284357 हजार), ब्याज कर रू.10122 हजार (रू.10122 हजार)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए-

i) ऋण और निवेश रू.8060 हजार (रू.8060 हजार)

ii) स्थायी सम्पत्तियाँ रू.15329 हजार (रू.15200 हजार)

iii) आईटी समर्थ बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग (ईएएसआई) रू.3890177 हजार (रू.4560000 हजार)।

3. क) पुनर्बीमा घटाकर दावे

(रू. हजार में)				
प्रदत्त	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i) भारत में दावाकर्ताओं को	2149856 (1735765)	698707 (794234)	28444958 (26312215)	31293521 (28842214)
ii) भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को	8332 (63022)	47064 (77022)	143813 (237277)	199209 (377321)
ख) पुनर्बीमा घटाकर प्रीमियम				
	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i) भारत में व्यवसाय से	3741908 (3287206)	1292661 (1237925)	34591603 (31910902)	39626172 (36436033)
ii) भारत से बाहर व्यवसाय से	26242 (11676)	37823 (33196)	86304 (55423)	150369 (100295)

Schedules forming part of Financial Statements

Schedule – 17

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. There are Contingent Liabilities as under:

- (a) Uncalled amount on partly paid shares Rs. 4181 thousand (Rs.4181 thousand)
- (b) Claims against the company not acknowledged as debts or under dispute Rs.144160 thousand (Rs. 81082 thousand)
- (c) Disputed Income Tax of Rs. 345978 thousand (Rs. 284357 thousand), Interest Tax of Rs.10122 thousand (Rs.10122 thousand),.

2. Capital commitments remaining outstanding are:

- (a) Loans and Investments Rs. 8060 thousand (Rs.8060 thousand)
- (b) Fixed assets Rs. 15329 thousand (Rs. 15200 thousand)
- (c) IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) Rs.3890177 thousand (Rs. 4560000 thousand).

3. (a) Claims, less reinsurance :

		(Rs. in thousand)			
Paid to		Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	Claimants in India	2149856	698707	28444958	31293521
		(1735765)	(794234)	(26312215)	(28842214)
ii)	Claimants outside India	8332	47064	143813	199209
		(63022)	(77022)	(237277)	(377321)
(b) Premiums, less reinsurance					
		Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i)	in India	3741908	1292661	34591603	39626172
		(3287206)	(1237925)	(31910902)	(36436033)
ii)	outside India	26242	37823	86304	150369
		(11676)	(33196)	(55423)	(100295)

4. बकाया दावों का अवधि (भारतीय सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है-

	(रु. हजार में)		
	छह माह से कम	छह माह से अधिक	कुल
अग्नि	1724747 (1829099)	4004145 (2946157)	5728892 (4775256)
समुद्री	653831 (1104890)	2051382 (2098726)	2705212 (3203616)
विविध	8490014 (9091295)	27096475 (29819639)	35586489 (38910934)

5. रु.24 हजार (रु.24 हजार) के बही मूल्य के शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेशों का अंतरण डीमैट आपत्ति के अधीन और लंबित है।

6. क) आईआरडीए द्वारा निधारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण हुये रु.80551562 हजार (रु.36064864 हजार) के गैर वसूल लाभ (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत रु.22646325 हजार (रु.21281147 हजार) है। उचित मूल्य लेखा परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्नवत है:

	(रु. हजार में)		
	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्तन लेखा (अपुष्ट लाभ)
पीएसयू का इक्विटी शेयर	12544883 (8072157)	5959294 (6083527)	6585589 (1988630)
पीएसयू के अलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	86519298 (47373958)	12557031 (13298120)	73962267 (34075838)
म्यूचुअल फण्ड	4133706 (1899895)	4130000 (1899500)	3706 (395)
कुल	103197887 (57346010)	22646325 (21281147)	80551562 (36064863)

ख) भारत से बाहर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रु.43615 हजार (रु.43615 हजार) के बही मूल्य की इक्विटियों को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा के प्रयोजन से विचार नहीं किया गया क्योंकि इनका बाजार मूल्य प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है और बही मूल्य पर मूल्यांकन किया गया।

4. Ageing of claims outstanding (on Indian gross business) is as follows:

	(Rs. in thousand)		
	<u>Less than six months</u>	<u>Six months and more</u>	<u>Total</u>
Fire	1724747 (1829099)	4004145 (2946157)	5728892 (4775256)
Marine	653831 (1104890)	2051382 (2098726)	2705212 (3203616)
Miscellaneous	8490014 (9091295)	27096475 (29819639)	35586489 (38910934)

5. The transfer of investments in Shares/Securities having book value of Rs. 24 thousand (Rs. 24 thousand) is under Demat rejection and pending.

6. (a) In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to Rs. 80551562 thousand (Rs.36064864 thousand), arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India), are taken to 'Fair Value Change Account.' The historical cost of such investments amounted to Rs. 22646325 thousand (Rs. 21281147 thousand). Pending realization the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

	(Rs. in thousand)		
	Market Value	Historical Cost	Fair Value Change Account (Unrealised Gain)
Equity Shares of PSU	12544883 (8072157)	5959294 (6083527)	6585589 (1988630)
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	86519298 (47373958)	12557031 (13298120)	73962267 (34075838)
Mutual Fund	4133706 (1899895)	4130000 (1899500)	3706 (395)
Total	103197887 (57346010)	22646325 (21281147)	80551562 (36064863)

(b) Equities, having book value of Rs.43615 thousand (Rs. 43615 thousand) listed in Stock Exchanges outside India for which market value is not authentically available, have not been considered for the purpose of 'Fair Value Change Account' and have been taken at book value.

7. सुरक्षित ऋणों के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की प्रकृति निम्नलिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें)
- क) कर्जदार की सभी स्थायी सम्पत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रभार, तथा
- ख) बही ऋण सहित कर्जदारकी सभी चल सम्पत्ति, सभी चल सामग्री और ऐसे अन्य चल सामान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हों का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुये प्रथम बंधक।
- बशर्ते उपर्युक्त संदर्भित प्रतिभूति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
- बंधक और प्रभार सभी ऋण दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित और या निर्धारित होनेवाले प्रभार बराबर होंगे।
- मूल प्रतिभूति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।
- ग) हुडको द्वारा अपने पक्ष में प्राप्त कर सकने वाले बंधक सहित हुडको की सभी वर्तमान और भविष्य की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों पर प्रथम चल पूंजी प्रभार करने के लिए मुख्तारनामा के साथ निषेधात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा हुडको का ऋण रू.210333 हजार (315333 हजार) सुरक्षित है।
8. क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल सम्पत्तियों में स्वामित्व के रूप में कंपनी द्वारा धारित रू.1888 हजार (रू.1888 हजार) के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश सम्पत्ति-भू सम्पदा के अधीन दिखाया गया है।
- ख) धन-कर विवरणी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा भाड़े पर दिये गये हिस्से की भू सम्पदा का उचित मूल्य रू.124125 हजार (रू.171428 हजार)
9. क) कंपनी के धारण और स्टॉक हॉल्डिंग कारपोरेशन के धारण प्रमाण-पत्र के बीच अंतर है जिसका पुनर्मिलान हो रहा है।

(रू. हजार में)

	2009-10		2008-09	
	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य
इक्विटी	1434	48	1279	33
अधिमान	0.029	36	0.029	36
ऋण-पत्र	13	252	3172	9925
योग	1447.029	336	4451.029	9994

- ख) ऋण पत्र धारण में शामिल है रू.70254 हजार (रू.137920 हजार) जिसके लिए कंपनी के पास आबंटन पत्र है: सम्बन्धित कम्पनी से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। उन ऋण पत्रों के लिए रू.शून्य (रू.51837 हजार) का प्रावधान कर लिया गया है जो 31.03.2010 तक परिपक्व होंगे तथा जिनके लिए प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

7. The nature of securities in respect of secured loans (referred to in Schedule 9) is:
- a first mortgage and charge in company's favour of the borrowers' all immovable properties, both present and future, and
 - a first mortgage by way of hypothecation in favour of the company of the borrowers' all movable properties, including book debts, all movable articles and such other movables as are agreed to by other lending/financial institutions.

However the value of security referred to hereinabove at any time during the pendency of the loan is not less than 1.25 times of the loan amount outstanding.

The mortgages and charges referred to above created and/or to be created rank pari-passu in favour of all lending/financial Institutions.

The original security documents are retained at Lead Institution level and the extent of coverage is ascertainable at that level in case of Term Loans and Debenture Trustee level in case of debentures.

- Loans to HUDCO Rs. 210333 thousand (Rs. 315333 thousand) are secured by negative lien with Power of Attorney in favour of the company for creating first floating charge on all present and future properties and assets of HUDCO including the mortgage that may be obtained by HUDCO in its favour.
8. (a) Investments in Equity Shares of Rs.1888 thousand (Rs.1888 thousand) held by the company against ownership of certain immovable properties have been shown under 'Investment Properties - Real Estate'.
- As per valuation report of independent approved valuer the fair value of such real estate mentioned above is Rs. 124125 thousand (Rs. 171428 thousand).
9. (a) There is a difference as under between the Company's holding and holding certificate from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) which is under reconciliation.

(Rs. in thousand)

	2009-10		2008-09	
	SHORT	EXCESS	SHORT	EXCESS
Equity	1434	48	1279	33
Preference	0.029	36	0.029	36
Debentures	13	252	3172	9925
Total:	1447.029	336	4451.029	9994

- Investment in Debentures includes Rs. 70254 thousand (Rs. 137920 thousand) against which the Company holds Allotment Letters only. The certificates are yet to be received from the concerned companies. However, necessary provision has already been made for Rs. nil thousand (Rs. 51837 thousand) in respect of those Debentures which have matured till 31.03.2010 and for which no certificate has been received.

10. क) ऋण सम्पत्ति की कुल राशि सीडीआर के अधीन पुनर्गठित हो रही है जो निम्नवत होगी :

(रु. हजार में)

		मियादी ऋण	ऋण-पत्र	अधिमान शेयर	योग
अ) मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	—	6000	—	6000
	विगत वर्ष	13590	3295	2453	19338
ब) उप मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	228232	—	—	228232
	विगत वर्ष	—	—	—	—
स) संदिग्ध सम्पत्ति	चालू वर्ष	—	—	—	—
	विगत वर्ष	—	—	—	—
द) हानि सम्पत्ति	चालू वर्ष	—	—	—	—
	विगत वर्ष	7240	—	1058	8298
योग	चालू वर्ष	228232	6000	—	234232
	विगत वर्ष	20830	3295	3511	27636

ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में निवेशों का पृथक्करण निम्नवत है।

(रु. हजार में)

सक्रिय (मानक ऋण और ऋण-पत्र)	रु.16120222 हजार	(रु.14906731 हजार)
निष्क्रिय ऋण और ऋण-पत्र	रु.895352 हजार	(रु.949529 हजार)
कुल बही मूल्य	रु.17015574 हजार	(रु.15856260 हजार)

ग) ऋणों और ऋण-पत्रों पर बकाया ब्याज रु.1996472 हजार (रु.1782983 हजार) की वसूली में अनिश्चितता के कारण लेखांकन नहीं किया गया।

11. निम्नलिखित लम्बी अवधि से बकाया बंधक ऋणों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है:

क्रमिक स.	कंपनी नाम	रु. हजार में
1.	एम्पायर इन्वेस्टमेंट	125
2.	एस के सिन्हाआफ अस्ट ह्वाइल	61
3.	बी के केडिया	75
	कुल	261

12. संयुक्त संस्थानों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न निगमित संस्थाओं में ऋण की पुनर्संरचना हुई जिसके परिणाम स्वरूप ऋण-पत्र की मूल राशि के इस खाते पर अधित्याग/बट्टे खाते का वर्ष के दौरान रु.शून्य (रु.24565 हजार), एवं ब्याज रु.17612 हजार (रु.163841) रहा।

10. (a) The total amount of Loan Assets to the extent restructured under CDR is given below :

(Rs. in thousand)

		TERM LOAN	DEBENTURE	PREFERENCE SHARES	TOTAL
a) Standard Assets	Current Year	—	6000	—	6000
	Previous Year	13590	3295	2453	19338
b) Substandard Assets	Current Year	228232	—	—	228232
	Previous Year	—	—	—	—
c) Doubtful Assets	Current Year	—	—	—	—
	Previous Year	—	—	—	—
d) Loss Assets	Current Year	—	—	—	—
	Previous Year	7240	—	1058	8298
Total:	Current Year	228232	6000	—	234232
	Previous Year	20830	3295	3511	27636

(b) Segregation of loans and investments into performing and non-performing is given below:

i) Performing Investments Rs. 16120222 thousand (Rs.14906731 thousand)

ii) Non-performing Investments Rs. 895352 thousand (Rs. 949529 thousand)

Total book value Rs. 17015574 thousand (Rs. 15856260 thousand)

(c) Overdue interest, on loans and debentures considered NPA amounting to Rs. 1996472 thousand (Rs. 1782983 thousand), has not been accounted for in view of uncertainty of realisation.

11. Steps are being taken to recover the following Mortgage Loans which are outstanding for a long time.

Sl. No.	Company Name	Amount Outstanding (Rs. in thousand)
1.	Empire Investments	125
2.	S K Sinha of Erstwhile Hind. General of Patna	61
3.	B K Kedia	75
	Total	261

12. In terms of Joint institutional decisions, restructuring of dues from various corporate houses has been done. In respect of such restructuring Rs. 'nil' (Rs. 24565 thousand) was waived during the year towards Principal and Rs. 17612 thousand (Rs 163841 thousand) towards interest.

- 13 (a) Depreciation on Fixed Assets has been provided at the following rates:
- | | | |
|--|-----|--------|
| (1) Office Equipments, Air-conditioner, Generators | ... | 15.00% |
| (2) Computer and I.T. Equipments | ... | 60.00% |
| (3) Fans & Electrical Equipments | ... | 13.91% |
| (4) General Furniture | ... | 18.10% |
| (5) Motor Cars | ... | 25.89% |
| (6) Cycle | ... | 20.00% |
| (7) Buildings used as – (i) Office Premises | ... | 10.00% |
| (ii) Residential House | ... | 5.00% |
- (b) Computer Software being intangible asset is amortized equally over a period of 3 years. The carrying amount and amortization amount at the end of the year in respect of such asset (included in Schedule - 15 to the Financial Statements: Miscellaneous Expenditure) are Rs. 882577 thousand (Rs. 117954 thousand) and Rs. 324776 thousand (Rs. 52428 thousand) respectively.
- (c) Land and House property in India under fixed assets includes Rs. 59215 thousand (Rs. 74809 thousand) for which deeds of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of conveyance deed.
- (d) Leasehold assets are all under finance lease against which no lease payments are due as on the Balance Sheet date or in future.
14. Barring disputed cases no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date.
15. (a) Confirmation of balances shown under the following heads could not be obtained and reconciliation thereof is in progress:
- | | |
|---|--|
| - Agents' Balances | - Dr. Rs. 404 thousand (Cr. Rs. 407 thousand) |
| - Loans and Advances | - Dr. Rs. 4477 thousand (Dr. Rs. 16445 thousand) |
| - Inter Office Adjustments | - Dr. Rs. 185 thousand (Cr. Rs. 160 thousand) |
| - Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business | - Dr. Rs. 269532 thousand (Dr. Rs. 700000 thousand) and Cr. Rs. 83872 thousand (Cr. Rs. 955009 thousand) |
| - Unexplained Bank Debit and Credit in Bank Reconciliation Statement | - Dr. Rs. 6843 thousand (Dr. Rs. 3396 thousand and Cr. Rs. 8514 thousand (Cr. Rs. 5572 thousand) |
| - Sundry Debtors | - Rs. 1311 thousand (Rs. 90 thousand) |
| - Sundry Creditors | - Rs. 6649 thousand (Rs. 119 thousand) |

The impact of adjustments on reconciliation in the accounts remains unascertained.

- (b) Unlinked/unidentified old debits and credits in certain Bank Accounts of the company at Head Office reflected differences and are subject to reconciliation/adjustments. The differences amounting to Rs. 18674 thousand (net credit) (Rs. 22905 thousand) were transferred to Bank Suspense account and shown under Current Liabilities - Sundry Creditors in the accounts.

- (ग) बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि में अंतर एवं बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि और/या सम्बन्धित पुनर्बीमा कम्पनियों के कन्फर्मेशन के अधीन है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान बनाये गये हैं।
16. पूल व्यवस्था के प्रकरण में, जो आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार है, पुनर्बीमा का लेखा पूल लेखा पर आधारित, मोटर तृतीय पक्ष पूल के लिए फरवरी 2010 तक तथा आतंकवाद एवं मरीन हल पूल के लिए दिसम्बर 2009 तक एवं सभी 12 महीने के लेखा को कवर करते हुए पूल प्रशासन, भारतीय साधारण बीमा द्वारा किया गया है।
17. (क) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने 27.12.2006 को अपनी शाखा के समस्त प्रचालन, सम्पत्ति तथा देयताओं को उनके तत्कालीन मूल्य के आधार पर स्थानान्तरित करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के साथ समझौता किया। व्यवसाय स्थानांतरण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा एवं बकाया देयता के पूर्ण रूप से भुगतान हो जाने के पश्चात् यह प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी।
- (ख) प्रचालन बन्द होने के पश्चात सम्पत्तियों के विक्रय एवं देयताओं के निस्तारण से हुई हानि/लाभ का आंकलन वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद समयानुसार किया जायेगा।
18. संबंधित पार्टी प्रकटन निम्नवत है :
- (क) सहायक संस्था
1. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेंस प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर

लेन-देन की प्रकृति		
धारित शेयरों की संख्या	- 50,00,000	(50,00,000)
शेयरों का बही मूल्य	- रु.28576 हजार	(रु.28576 हजार)
प्राप्त लाभांश	- रु.12335 हजार	(रु.16149 हजार)
 2. केनिंडिया एश्योरेंस कं. लि. नैराबी

लेन-देन की प्रकृति		
धारित शेयरों की संख्या	- 3,32,790	(3,32,790)
शेयरों का बही मूल्य	- रु.7132 हजार	(रु.7132 हजार)
प्राप्त लाभांश	- रु.972 हजार	(रु.शून्य)
- (ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :
1. श्री एन एस आर चन्द्रप्रसाद अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (4.6.2009 से)
 2. श्री वी रामसामी, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (31.5.2009 तक)
 3. श्री सुजीत दास, निदेशक व महाप्रबन्धक (31.12.2009 तक)
 4. श्री ए. बंघोपाध्याय, निदेशक और महाप्रबन्धक (30.11.2009 तक)
- लेन-देन की प्रकृति :
- i. वेतन, भत्ते और अंशदान - रु.2182 हजार (रु.3413 हजार)
 - ii. बकाया ऋण अतिशेष - रु.शून्य (रु.273 हजार)

- (c) Un-reconciled difference in "Amount Due from Insurance/Reinsurance Companies" and the outstanding balances recoverable from the insurers/reinsurers is subject to reconciliation with "Amount Due to Insurance/Reinsurance Companies" and/or confirmation from the respective reinsurance companies. Necessary provisions in this regard have been made.
16. In the case of pool arrangements which are in accordance with IRDA directives, accounting of reinsurance are done based on pool accounts drawn by Pool Administrator General Insurance Corporation of India, upto February, 2010 for Motor Third Party Pool and upto December, 2009 for Terrorism and Marine Hull Pools, covering in all cases 12 months accounting period.
17. (a) The Company entered into a transfer agreement on 27.12.2006 with New India Assurance Co. Ltd. to transfer all the branch's operation, Assets & Liabilities of Hong Kong Branch at their carrying values subject to approval by the Insurance Authority of Hongkong. The approval has been obtained for transfer of business. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
- (b) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for at the appropriate time.
18. Related party disclosures are given below:
- (a) Associates:
- India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore
Nature of transactions:

No. of shares held	—	50,00,000	(50,00,000)
Book value of shares	—	Rs. 28576 thousand	(Rs.28576 thousand)
Dividend received	—	Rs. 12335 thousand	(Rs.16149 thousand)
 - Kenindia Assurance Co. Ltd., Nairobi
Nature of transactions:

No. of shares held	—	3,32,790	(3,32,790)
Book value of shares	—	Rs. 7132 thousand	(Rs.7132 thousand)
Dividend received	—	Rs. 927 thousand	(Nil)
- (b) Key Management Personnel:
- Shri N S R Chandraprasad Chairman-cum-Managing Director (from 4.6.2009)
 - Shri V. Ramasaamy, Chairman-cum-Managing Director. (upto 31.5.2009)
 - Shri Sujit Das, Director and General Manager (upto 31.12.2009)
 - Shri A Bandyopadhyay, Director and General Manager (upto 30.11.2009)
- Nature of transactions:
- Salaries, allowances & contributions Rs. 2182 thousand (Rs 3413 thousand)
 - Loan balances due 'nil' (Rs. 273 thousand)

19. प्रचालन व्ययों (अनुसूची 4) में विज्ञापन एवं प्रचार मद व्यवसाय विकास की प्रकृति को प्रदर्शित करता है।
20. प्रीमियम में कमी नहीं दिखाई गई है क्योंकि प्रबन्धन की राय में सम्बंधित खर्चों और अग्नि, समुद्री और विविध व्यवसाय की रख रखाव खर्च के साथ अपेक्षित दावा खर्च असमाप्त जोखिमों यथा अग्नि रू.(+)930000 हजार, (536500 हजार), मरीन रू.1096500 हजार(+608800 हजार) एवं विविध रू.(+)434500 हजार (955900 हजार) के लिए संबंधित आरक्षित से अधिक नहीं है। मोटर ओडी सेगमेंट, जो रू.(+)1233900 हजार +रू. (1000300) हजार है, में कमी नहीं है, मोटर तृतीय पक्ष में रू.702800 हजार (रू.1240400 हजार) की कमी है।
21. कर्मचारी हितलाभ के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है। लाभ एवं हानि लेखा में निम्नलिखित राशि दर्शायी गई :

(रु. हजार में)

वर्गीकृत हित-लाभ योजना	31.03.2010	31.03.2009
ग्रेच्युटी	1164129	352094
पेंशन	642677	636114
अवकाश नकदीकरण	660084	77866
यात्रा छुट्टी सहायता	39789	55447
बीमारी अवकाश	3455	2098

कार्ययोजना की वस्तुस्थिति नीचे दिये अनुसार है -

(रु. हजार में)

	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
क) देयता का वर्तमान मूल्य					
वर्ष के प्रारंभ में	3015494 (2436723)	8467514 (7281400)	1403997 (1326131)	332845 (277398)	165255 (135345)
ब्याज लागत	237997 (180317)	636177 (517373)	108045 (97153)	26627 (20805)	10948 (10151)
सेवा मूल्य	174292 (153521)	352835 (333163)	146085 (110909)	52893 (48800)	— (—)
एक्च्यूरियल (लाभ)/हानि	929729 (309932)	334264 (1101779)	512733 (-68672)	-39731 (-14157)	49296 (78394)
हित लाभ भुगतान	81046 (65000)	1030600 (766200)	106860 (61523)	— (—)	56790 (58634)
वर्ष के अंत में	4276466 (3015494)	8760191 (8767514)	2064000 (1403997)	372635 (332845)	168710 (165256)

19. The head "Advertisement and Publicity" in Operating Expenses (Schedule 4) represents expenses in the nature of business development.
20. Premium Deficiency has not been created since in the opinion of the management, the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost would not exceed the related Reserve for Unexpired Risks in respect of Fire (+)Rs.930000 thousand [(+)Rs.536500 thousand], Marine (+)Rs.1096500 thousand [(+)Rs.608800 thousand] and Miscellaneous (+)Rs. 434500 thousand [(+)Rs.955900 thousand]. While there is no deficiency in Motor Own Damage Segment which is (+)Rs.1233900 thousand [(+)Rs.1000300 thousand], the deficiency in Motor Third Party works out to Rs. 702800 thousand [Rs.1240400 thousand].
21. The company has adopted the Accounting Standard 15 (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in respect of employee benefits.

The following amounts have been recognized in the Profit & Loss Account:

	(Rs. in thousand)	
Defined Benefit Plan	31.03.2010	31.03.2009
Gratuity	1164129	352094
Pension	642677	636114
Leave Encashment	660084	77866
Sick Leave	39789	55447
LTS	3455	2098

The status of the plan is given below:

	(Rs. in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
A) Present Value of Obligation					
At beginning of the year	3015494 (2436723)	8467514 (7281400)	1403997 (1326131)	332845 (277398)	165255 (135345)
Interest Cost	237997 (180317)	636177 (517373)	108045 (97153)	26627 (20805)	10948 (10151)
Service Cost	174292 (153521)	352835 (333163)	146085 (110909)	52893 (48800)	— (—)
Actuarial (Gain)/Loss	929729 (309932)	334264 (1101779)	512733 (-68672)	-39731 (-14157)	49296 (78394)
Benefits Paid	81046 (65000)	1030600 (766200)	106860 (61523)	— (—)	56790 (58634)
At the end of the year	4276466 (3015494)	8760191 (8767514)	2064000 (1403997)	372635 (332845)	168710 (165256)

ख) सम्पत्ति योजना में परिवर्तन

	(रु. हजार में)				
	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य	2635590 (2028928)	8100000 (7010000)	— (—)	— (—)	— (—)
प्रत्याशित आय	210847 (162314)	648000 (560800)	— (—)	— (—)	— (—)
एक्च्यूरियल (लाभ)/हानि	-32956 (129362)	32600 (755400)	— (—)	— (—)	— (—)
हित लाभ भुगतान	81046 (65000)	1030600 (766200)	— (—)	— (—)	— (—)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	3084528 (2635591)	7960000 (7560000)	— (—)	— (—)	— (—)

ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान
एवं सम्पत्ति योजना का वर्तमान मूल्य

वर्ष के अंत में उचित मूल्य	3084528 (2635591)	7960000 (7560000)	— (—)	— (—)	— (—)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	4276466 (3015494)	8760191 (8467514)	— (—)	— (—)	— (—)
तुलन-पत्र में दर्शायी Balance Sheet	-1191937 (-379903)	-800191 (-907514)	— (—)	— (—)	— (—)

घ) सम्भावनायें

छूट की दर (%)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)
सम्पत्ति योजना पर आय (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	— (—)	— (—)	— (—)

22. कर नियम के अन्तर्गत बड़ी राशियों को अग्रेसित करने के प्रकाश में लेखा मानक एएस22 के अनुसार भविष्य की आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के बावजूद आस्थगित कर योग्य सम्पत्तियों को निस्तारित किया गया है।
23. प्रबन्धक की राय में कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों में ऐसा कोई ह्रास नहीं हुआ है जिसके लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस 28 के अनुसार किसी समयोजन की जरूरत हो।
24. भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा स्तर (एएस) 29 के अनुसार प्रासंगिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं है। विवादित सांविधिक मामले में शामिल हैं वे मामले जो आय कर एवं ब्याज कर प्राधिकारियों के यहां मुकदमें में हैं। इन मामलों में कंपनी को अपने सशक्त पक्ष पर पूरा विश्वास है। राशि को आकस्मिक देयताओं के अधीन प्रगट किया गया है।

B) Change in Plan Asset

	(Rs. in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
Fair Value at beginning of the year	2635590 (2028928)	8100000 (7010000)	— (—)	— (—)	— (—)
Expected Return	210847 (162314)	648000 (560800)	— (—)	— (—)	— (—)
Actuarial (Gain)/Loss	-32956 (129362)	32600 (755400)	— (—)	— (—)	— (—)
Benefits Paid	81046 (65000)	1030600 (766200)	— (—)	— (—)	— (—)
Fair Value at end of the year	3084528 (2635591)	7960000 (7560000)	— (—)	— (—)	— (—)

	(Rs. in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
C) Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets					
Fair Value at the year end	3084528 (2635591)	7960000 (7560000)	— (—)	— (—)	— (—)
Present Value at the year end	4276466 (3015494)	8760191 (8467514)	— (—)	— (—)	— (—)
Net (Liability) recognized in Balance Sheet	-1191937 (-379903)	-800191 (-907514)	— (—)	— (—)	— (—)

D) Assumptions

Discount Rate (%)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)	8.00 (7.50)
Return on Plan Asset (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	— (—)	— (—)	— (—)

22. In spite of having large amount of carry forward losses under tax laws, the recognition of Deferred Tax Asset in terms of Accounting Standard 22 has been dispensed with owing to uncertainty over future taxable income.
23. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the company that requires any adjustment to be made in terms of Accounting Standard 28 issued by the ICAI.
24. No provision has arisen against contingent liabilities in terms of Accounting Standard (AS) 29 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Disputed statutory matters mainly include issues under litigation with respect to Income Tax and Interest Tax. The Company is confident that it has a strong case. The amounts are disclosed under contingent liabilities.

25. कनवेट नियम के अनुसार सेवा कर जमा को लेखा में वसूली योग्य सेवा कर लेखा को नामे करके और संबंधित खर्च लेखा को जमा करके लेखा में लिया गया है, इसमें इनपुट सेवा कर के लिए रु.1423820 (रु.1631270) का भुगतान है।

26. वर्तमान कर में सम्मिलित हैं:

(रु. हजार में)

	31.03.2010	31.03.2009
फ्रिज बेनिफिट कर	शून्य	45000
सम्पदा कर	7000	6500
आयकर (मैट)	480000	शून्य

27. जिप्सा द्वारा वेतन संशोधन (सरकार के अनुमोदन के अधीन) के प्रस्ताव पर वर्ष के दौरान रु.1090000 हजार (रु.950000 हजार) वेतन बकाया के रूप में दिया गया।

28. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक-1 में दिये गये है।

29. आईआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले 5 वर्षों के कार्य निष्पादन का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

30. पूर्वावधि मदों सहित व्यय :

(रु. हजार में)

लेखा मद	31.03.2010 तक	31.03.2009 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधाएं	74	64
यात्रा, यातायात एवं वाहन चालन व्यय	3	20
किराया, दर एवं कर	1129	377
मरम्मत	105	113
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	32	14
संप्रेषण	49	15
लेखा परीक्षक शुल्क	76	7
विज्ञापन	161	73
अन्य	1072	723
विद्युत शुल्क	152	—
कार्यालय रख रखाव	12	—
योग	2865	1406

25. Service Tax credit as per Cenvat Rules has been considered in the accounts by debiting Service Tax Recoverable Account and crediting respective expenses accounts for Rs. 1423820 thousand (Rs.1631270 thousand) against payment of input Service Tax.

26. Current Tax includes:

	<u>31.03.2010</u>	<u>31.03.2009</u>
Fringe Benefit Tax	Nil	45000 thousand
Wealth Tax	7000 thousand	6500 thousand
Income Tax (MAT)	480000 thousand	Nil

27. Based on the proposal for wage revision made by GIPSA (Subject to approval by Government) an additional amount of Rs. 1090000 thousand (Rs.950000 thousand) has been provided during the year.

28. Accounting Ratios prescribed by IRDA have been furnished in Annexure I.

29. Summary of working results for the last 5 years as prescribed by IRDA is furnished in Annexure II.

30. Expenditure includes Prior Period Items:

(Rs. in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
Employee Remuneration and Welfare benefits	74	64
Travel, conveyance and vehicle running expenses	3	20
Rents, Rates and Taxes	1129	377
Repairs	105	113
Printing & Stationery	32	14
Communication	49	15
Auditors' fees	76	7
Advertisement	161	73
Others	1072	723
Electricity charges	152	—
Office up-keep & Maintenance	12	—
Total:	2865	1406

31. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दण्ड कार्रवाई सम्बन्धी विवरण :

(रु. हजार में)

क्र.सं.	प्राधिकारी	अनुपालन न होना/उल्लंघन	दण्ड आदेश	दण्ड भुगतान	दण्ड समाप्त /कम होना
1.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	वर्ष 2007-08 में सामाजिक क्षेत्र के दायित्व का अनुपालन न करना	- (500)	- (500)	- --
2.	सेवाकर प्राधिकारी		-	-	-
3.	आयकर प्राधिकारी		-	-	-
4.	अन्य कर प्राधिकारी (नगरपालिका निगम)	कर का विलंब से भुगतान	- (125)	- (14)	- (111)
5.	प्रवर्तन निदेशालय/न्याय प्राधिकरण/न्यायाधिकरण एफ ई एम ए के अन्तर्गत कोई अन्य प्राधिकारी		-	-	-
6.	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विभाग या कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कोई अन्य		-	-	-
7.	दावा निस्तारण सहित किसी मामले में, किन्तु प्रतिपूर्ति को छोड़ कर किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा दण्ड का आदेश		-	-	-
8.	सिक्क्यूरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया		-	-	-
9.	कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया		-	-	-
10.	कोई अन्य केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार/ सांविधिक प्राधिकारी		-	-	-

32. विगत वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दिया गया है। वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, एक साथ प्रयोग में लाया गया है।

कृते निदेशक मंडल

दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(दिलीप बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 004205

गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(डॉ. बी. एस. कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221

एन. एस. आर चन्द्रप्रसाद
ललित कुमार
डी. के. कपीला
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप-कम्पनी सचिव

कोलकाता, दिनांक 9 जून 2010

31. Details of various penal actions taken by various Government Authorities :

(Rs. in thousand)

Sl. No	Authority	Non – Compliance/Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	Non- compliance of obligation towards social sector in 2007-08	- (500)	- (500)	- --
2.	Service Tax Authorities		- -	- -	- -
3.	Income Tax Authorities		-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)	Due to late payment of tax	- (125)	- (14)	- (111)
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		- -	- -	- -
6.	Register of Companies/NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956.		- -	- -	- -
7.	Penalty awarded by any Court/Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.		- -	- -	- -
8.	Securities and Exchange Board of India		- -	- -	- -
9.	Competition Commission of India		- -	- -	- -
10.	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority.		- -	- -	- -

32. Figures in brackets are of previous year. To conform to current year's presentation previous year's figures are regrouped or rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

DUTTA SARKAR & CO.
Chartered Accountants

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. S. R. Chandraprasad
Lalit Kumar

Chairman-cum-Managing Director
Director

D. K. Kapila

Director

Kuldip Singh

Director

A. V. Girija Kumar

Director

Rina Madia

Dy. Company Secretary

(Dilip Basu)
Partner

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

Membership No. 004205

Membership No. 051221

Kolkata, the 9th day of June 2010

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए अनुपात

अनुलग्नक - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2008-09	अनुपात/प्रतिशतता 2007-08
1.	सकल प्रीमियम वृद्धि दर	(चालू वर्ष का सकल प्रीमियम - विगत वर्ष का सकल प्रीमियम) *100/ विगत वर्ष का सकल प्रीमियम	8.15	6.81
	क) अग्नि		8.47	3.39
	ख) समुद्री माल		3.97	8.07
	ग) समुद्री पोत		51.69	32.90
	घ) मोटर निजी क्षति		1.07	-1.98
	च) मोटर तृतीय पक्ष		2.60	3.39
	छ) इंजीनियरिंग		12.59	14.75
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		14.76	11.36
	झ) जन देयता		16.74	14.56
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		25.40	20.98
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		20.22	29.96
	ड) उड्डयन		-32.76	9.49
	ढ) विविध अन्य		10.35	-6.16
2.	सकल प्रीमियम से शेयरधारकों के कोष का अनुपात	चालू वर्ष का सकल प्रीमियम/ चुकता पूंजी मुक्त + आरक्षित	48.49	85.76
3.	शेयरधारकों के कोष की वृद्धि दर	चालू तलन-पत्र की तारीख को शेयरधारकों का कोष	91.28	-43.45
4.	शुद्ध धारण अनुपात	शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम	85.61	85.05
	क) अग्नि		87.02	82.64
	ख) समुद्री माल		80.02	78.95
	ग) समुद्री पोत		16.73	25.83
	घ) मोटर निजी क्षति		89.58	89.56
	च) मोटर तृतीय पक्ष		93.64	91.70
	छ) इंजीनियरिंग		43.44	43.14
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		90.02	89.55
	झ) जन देयता		90.01	90.01
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		89.99	90.00
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		90.00	90.00
	ड) उड्डयन		-1.05	5.49
	ढ) विविध अन्य		87.74	87.50
5.	शुद्ध कमीशन अनुपात	एक व्यवसाय श्रेणी के लिए पुनर्बीमा का शुद्ध कमीशन/शुद्ध प्रीमियम	7.74	7.89
	क) अग्नि		6.50	6.55
	ख) समुद्री माल		11.39	12.21
	ग) समुद्री पोत		0.78	1.44

RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2010

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2009-10	RATIO / PERCENTAGE 2008-09
1.	GROSS DIRECT PREMIUM GROWTH RATE	(Gross Premium for the current year - Gross Premium for the previous year)*100/ Gross Premium for the previous year)	8.15	6.81
	a) Fire		8.47	3.39
	b) Marine Cargo		3.97	8.07
	c) Marine Hull		51.69	32.90
	d) Motor Own Damage		1.07	-1.98
	e) Motor Third Party		2.60	3.39
	f) Engineering		12.59	14.75
	g) Workmen's Compensation		14.76	11.36
	h) Public Liability		16.74	14.56
	i) Personal Accident		25.40	20.98
	j) Health Insurance		20.22	29.96
	k) Aviation		-32.76	9.49
	l) Misc. Others		10.35	-6.16
2.	GROSS DIRECT PREMIUM TO SHAREHOLDERS' FUND RATIO	GDPI/Shareholders' Funds* *Shareholders funds viz. (share capital, reserves and surplus, credit/(debit) fair value change account) less (miscellaneous expenditure, debit balance in profit and loss account or shareholders' account)	48.49	85.76
3.	GROWTH RATE OF SHAREHOLDERS' FUND	(Shareholders' Funds (CY)-shareholders funds (PY)/Shareholders' funds (PY)	91.28	-43.45
4.	NET RETENTION RATIO	Net Premium / GDPI	85.61	85.05
	a) Fire		87.02	82.64
	b) Marine Cargo		80.02	78.95
	c) Marine Hull		16.73	25.83
	d) Motor Own Damage		89.58	89.56
	e) Motor Third Party		93.64	91.70
	f) Engineering		43.44	43.14
	g) Workmen's Compensation		90.02	89.55
	h) Public Liability		90.01	90.01
	i) Personal Accident		89.99	90.00
	j) Health Insurance		90.00	90.00
	k) Aviation		-1.05	5.49
	l) Misc. Others		87.74	87.50
5.	NET COMMISSION RATIO	Gross Commission Paid/GDPI	7.74	7.89
	a) Fire		6.50	6.55
	b) Marine Cargo		11.39	12.21
	c) Marine Hull		0.78	1.44

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए अनुपात

अनुलग्नक - I

क्र. स.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2009-10	अनुपात/प्रतिशतता 2008-09
	घ) मोटर निजी क्षति		9.71	10.21
	च) मोटर तृतीय पक्ष		-0.84	—
	छ) इंजीनियरिंग		5.67	4.98
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		9.72	9.69
	झ) जन देयता		9.90	9.52
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		11.47	12.03
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		10.51	11.19
	ड) उड्डयन		0.05	0.29
	ढ) विविध अन्य		13.15	14.60
6.	प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय + प्रदत्त प्रत्यक्ष कमीशन)/जीडीपीआई	35.71	31.72
7.	संयुक्त अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित भुगतान दावा + बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय + भुगतान प्रत्यक्ष कमीशन)/जीडीपीआई	115.80	117.84
8.	तकनीकी आरक्षित से शुद्ध	(असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित + प्रीमियम कमी के लिए आरक्षित + बकाया दावे के लिए आरक्षित) / शुद्ध प्रीमियम	155.49	162.22
9.	बीमालेखन अतिशेष अनुपात श्रणी के लिए शुद्ध प्रीमियम	(बीमा लेखन लाभ/हानि) शुद्ध प्रीमियम	-24.15	-33.21
	क) अग्नि		4.36	-15.35
	ख) समुद्री माल		32.27	-55.00
	ग) समुद्री पोत		-67.63	22.61
	घ) मोटर निजी क्षति		-0.80	-18.40
	च) मोटर तृतीय पक्ष		-65.31	-78.07
	छ) इंजीनियरिंग		40.54	42.46
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		13.96	28.49
	झ) जन देयता		33.45	53.63
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		-109.43	-60.40
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		-44.30	-44.11
	ड) उड्डयन		4143.90	-306.29
	ढ) विविध अन्य		8.30	24.57
10.	प्रचालन लाभ अनुपात	(बीमालेखन लाभ/हानि) + निवेश आय/शुद्ध प्रीमियम	9.75	-4.76
11.	अस्थायी सम्पत्ति से देयताएं	बीमाकर्ता की अस्थायी सम्पत्ति / पालिसी धारकों की देयताएं	22.69	15.79
12.	शुद्ध अर्जन अनुपात	कर पश्चात लाभ/शुद्ध प्रीमियम	5.65	-4.08
13.	शुद्ध सम्पत्ति पर आय	कर पश्चात लाभ /शुद्ध सम्पत्ति	2.35	-2.98
14.	वांछित शोधन क्षमता के परिपेक्ष में वास्तविक शोधन क्षमता		1.60	1.56
15.	एनपीए अनुपात			
	सकल एनपीए अनुपात		5.26	5.99
	शुद्ध एनपीए अनुपात		1.20	1.51

RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2010

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2009-10	RATIO / PERCENTAGE 2008-09
	d) Motor Own Damage		9.71	10.21
	e) Motor Third Party		-0.84	—
	f) Engineering		5.67	4.98
	g) Workmen's Compensation		9.72	9.69
	h) Public Liability		9.90	9.52
	i) Personal Accident		11.47	12.03
	j) Health Insurance		10.51	11.19
	k) Aviation		0.05	0.29
	l) Misc. Others		13.15	14.60
6.	EXPENSES OF MANAGEMENT TO GROSS DIRECT PREMIUM RATIO	(Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	35.71	31.72
7.	COMBINED RATIO	(Claims paid plus Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	115.80	117.84
8.	TECHNICAL RESERVES TO NET PREMIUM RATIO	(Reserves for Unexpired Risk + Reserve for premium deficiency plus Reserve for Outstanding Claims) / Net Premium	155.49	162.22
9.	UNDERWRITING BALANCE RATIO	(Underwriting profit / loss) Net Premium	-24.15	-33.21
	a) Fire		4.36	-15.35
	b) Marine Cargo		32.27	-55.00
	c) Marine Hull		-67.63	22.61
	d) Motor Own Damage		-0.80	-18.40
	e) Motor Third Party		-65.31	-78.07
	f) Engineering		40.54	42.46
	g) Workmen's Compensation		13.96	28.49
	h) Public Liability		33.45	53.63
	i) Personal Accident		-109.43	-60.40
	j) Health Insurance		-44.30	-44.11
	k) Aviation		4143.90	-306.29
	l) Misc. Others		8.30	24.57
10.	OPERATING PROFIT RATIO	(Underwriting profit/loss) + Investment Income/ Net Premium	9.75	-4.76
11.	LIQUID ASSETS TO LIABILITIES RATIO	Liquid Assets / Policyholders' Liabilities	22.69	15.79
12.	NET EARNING RATIO	Profit after tax / Net Premium	5.65	-4.08
13.	RETURN ON NET WORTH	Profit after tax / Net Worth	2.35	-2.98
14.	Actual Solvency to Required Solvency		1.60	1.56
15.	NPA ratio			
	Gross NPA ratio		5.26	5.99
	Net NPA ratio		1.20	1.51

कार्य परिणाम :

पिछले पाँच वर्ष का कम्पनी का कार्य परिणाम निम्नलिखित है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
अ.	बीमा लेखन से आय	3977.65	3653.63	3187.98	2855.36	2683.00
ब.	असमाप्त जोखिम आरक्षित में वृद्धि/कमी	161.86	231.27	169.45	87.80	-80.17
स.	बीमा लेखन पर उपगत दावा	3245.36	3393.67	2838.84	2394.22	2830.33
द.	बीमा लेखन पर शुद्ध कमीशन	231.41	218.17	203.89	114.04	140.55
य.	खर्च व अन्य व्यय	1307.70	1015.37	989.17	867.51	882.16
र.	शुद्ध बीमा लेखन परिणाम	-968.68	-1204.85	-1013.37	-608.21	-1089.87
ल.	शुद्ध अन्य आय (निवेश आदि)	1237.27	1071.32	1185.43	1064.04	1030.23
व.	कर पूर्व लाभ/हानि	268.59	-133.53	172.06	455.83	-59.64
श.	कराधान का प्रावधान	43.73	5.15	8.75	37.76	55.00
स.	कर पश्चात लाभ/हानि	224.86	-138.68	163.31	418.07	-114.64

कमीशन खर्च की अनुसूची :

(रु. हजार में)

व्यवसाय की श्रेणी	वर्ष 2009-10 के लिए			वर्ष 2008-09 के लिए		
	अग्नि	समुद्री	विविध	अग्नि	समुद्री	विविध
एजेन्ट	146566	125453	1687361	136292	120106	1628951
दलाल (ब्रोकर्स)	63941	46173	380916	52605	55954	369040
निगमित एजेन्ट	65854	1682	501949	71692	2975	464868
रेफरल फीस	—	—	275643	55	1125	208085
अन्य	5217	241	294923	714	—	274848
योग	281578	173549	3140792	261358	180160	2945792

Annexure - II

Working Result :

The working Results of the Company for the last five years are given below :

(Rs. in Crore)

SI. No.	PARTICULARS	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
a.	Income from Underwriting	3977.65	3653.63	3187.98	2855.36	2683.00
b.	Increase/Decrease in Unexpired Risk Reserve	161.86	231.27	169.45	87.80	-80.17
c.	Incurred Claims on Underwriting	3245.36	3393.67	2838.84	2394.22	2830.33
d.	Net Commission on Underwriting	231.41	218.17	203.89	114.04	140.55
e.	Expenses & other Outgo	1307.70	1015.37	989.17	867.51	882.16
f.	Net Underwriting Result	-968.68	-1204.85	-1013.37	-608.21	-1089.87
g.	Net of other Income (Investment etc.)	1237.27	1071.32	1185.43	1064.04	1030.23
h.	Profit/Loss before Tax	268.59	-133.53	172.06	455.83	-59.64
i.	Provision for Taxation	43.73	5.15	8.75	37.76	55.00
j.	Profit/Loss after tax	224.86	-138.68	163.31	418.07	-114.64

Break up of Commission Expenses :

(Rs. in Thousand)

CLASS OF BUSINESS	FOR THE YEAR 2009-10			FOR THE YEAR 2008-09		
	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS
Agents	146566	125453	1687361	136292	120106	1628951
Brokers	63941	46173	380916	52605	55954	369040
Corporate Agents	65854	1682	501949	71692	2975	464868
Referral Fees	—	—	275643	55	1125	208085
Others	5217	241	294923	714	—	274848
Total	281578	173549	3140792	261358	180160	2945792



**तुलन-पत्र के मुख्य अंश तथा कम्पनी के
साधारण व्यवसाय का संक्षेप**
(कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग-IV के अनुसार प्रस्तुत विवरण)

I. पंजीकरण ब्यौरा :		APPLICATION OF FUNDS :	
पंजीकरण संख्या	1713	शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियां	537858
राज्य कूट	21	निवेश, ऋण (शुद्ध उचित मूल्य परिवर्तन)	5603118
तुलन-पत्र दिनांक	31.03.2010	शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	-4899141
		विविध खर्च	492268
II. वर्ष के दौरान बढ़ी पूंजी : (राशि रु. हजार में)		संचित हानियां	शून्य
सार्वजनिक निगम	शून्य		
राइट निर्गम	शून्य		
बोनस निर्गम	शून्य		
प्राइवेट नियोजन	शून्य		
III. कोष के व्यवस्थीकरण तथा अभिनियोजन की स्थिति : (राशि रु. हजार में)		IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन : (राशि रु. हजार में)	
कुल देयतायें (शेयर धारकों के कोष सहित)	9,63,80,553	आमदनी (शुद्ध प्रीमियम, निवेश तथा अन्य आय)	52068204
कुल परिसम्पत्तियां	9,63,80,553	कुल खर्च	49382285
कोष का स्रोत:		कर पूर्व लाभ/(हानि)	2685919
चुकता पूंजी	शून्य	कर पश्चात लाभ/(हानि)	2248628
आरक्षित तथा आधिक्य	17,34,103	प्रति शेयर आय (रुपये में)	22.49
सुरक्षित ऋण	शून्य	लाभांश दर (%)	43.98
असुरक्षित ऋण	शून्य		
		V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/संस्थाओं के सामान्य नाम :	
		(वित्तीय नियमों के अनुसार)	
		मद कूद संख्या	लागू नहीं
		उत्पाद विवरण	साधारण बीमा



**BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S
GENERAL BUSINESS PROFILE**

(Statement pursuant to Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956)

I. REGISTRATION DETAILS :

Registration No.	:	1713
State Code	:	21
Balance Sheet Date	:	31.03.2010

APPLICATION OF FUNDS :

Net Fixed Assets	:	537858
Investments, Loans (net of Fair Value Change)	:	5603118
Net Current Assets	:	-4899141
Misc. Expenditure	:	492268

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR :
(Rs. in Thousand)

Public Issue	:	Nil
Right Issue	:	Nil
Bonus Issue	:	Nil
Private Placement	:	Nil

Accumulated Losses : Nil

**III. POSITION OF MOBILISATION AND
DEPLOYMENT OF FUNDS :**
(Rs. in Thousand)

Total Liabilities (including Shareholders' Funds)	:	9,63,80,553
Total Assets	:	9,63,80,553

IV. PERFORMANCE OF COMPANY :
(Rs. in Thousand)

Turnover (Net Premium, Investment and Other Income)	:	52068204
Total Expenditure	:	49382285
Profit/(Loss) Before Tax	:	2685919
Profit/(Loss) After Tax	:	2248628
Earnings per share (in Rs.)	:	22.49
Dividend rate (%)	:	43.98

SOURCES OF FUNDS :

Paid-up Share Capital	:	Nil
Reserves and Surplus	:	17,34,103
Secured Loans	:	Nil
Unsecured Loans	:	Nil

**V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL
PRODUCTS/SERVICES OF THE COMPANY :**

(AS PER MONETARY TERMS)

Item Code No.	:	Not Applicable
Product Description	:	General Insurance



सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 103वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार 28 जुलाई 2010 को अपराह्न 3.00 बजे 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता - 700 071 में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आयोजित होगी :

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा और उस तारीख को निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित तुलन पत्र को प्राप्त करना और उसे पारित करना।
2. लाभांश घोषित करना।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों का वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कुल पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा तदनुसार निदेशक मंडल को इसके लिए प्राधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(रीना माडिया)
उप-कम्पनी सचिव

कोलकाता
19 जुलाई 2010

टिप्पणी :

1. बैठक में शामिल होने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह सदस्य हो या नहीं, अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने और वहाँ मतदान करने के लिए अपना प्राक्सी नियुक्त करने के पात्र हैं।
2. प्राक्सी या अन्य प्राधिकारी, यदि हों, को नियुक्त करने सम्बन्धी दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आयोजित होने के समय से 48 घंटे पूर्व जमा किये जा सकते हैं।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 103rd Annual General Meeting of the Members of National Insurance Company Limited will be held at 3, Middleton Street, Kolkata - 700071 on Wednesday, the 28th day of July 2010 at 3:00 pm to transact the following business -

Ordinary Business :

1. To receive and adopt the Profit and Loss Account for the financial year ended 31st March 2010 and the Balance Sheet as at that date together with the Report of Directors and Auditors thereon.
2. To declare dividend.
3. To fix the overall remuneration of the Auditors, to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India for the financial year 2010-11 and accordingly authorize the Board of Directors.

By order of the Board
For National Insurance Company Limited

(Rina Madia)
Dy. Company Secretary

Kolkata
19th July 2010

Notes :

- 1) **A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person, whether a Member or not, as his proxy to attend the Meeting and vote thereat instead of himself.**
- 2) **The instrument appointing a proxy or any other authority, if any, can be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.**